सत्यमेव जयते

आईएफसीआई लिमिटेड में क्रेडिट जोखिम प्रबंधन
पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

संघ सरकार
वित्त मंत्रालय

2017 की प्रतिवेदन सं. 16

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

आईएफसीआई लिमिटेड में क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

पर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त अवधि के लिए

संघ सरकार

वित्त मंत्रालय

2017 की प्रतिवेदन सं. 16

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय-सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	i
	कार्यकारी सार	iii
1	प्रस्तावना	1
2	नियोजन	7
3	क्रेडिट मूल्यांकन तथा संस्वीकृति	10
4	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना	30
5	बट्टे खाते में डाले गये ऋण	38
6	अनर्जक परिसंपत्तियां	56
7	इक्विटी निवेश	86
8	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	101
	अनुबंध	105
	शब्दावली	125
	संकेताक्षर	132

प्राक्कथन

यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया गया है। यह लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 और निष्पादन लेखापरीक्षा दिशा-निर्देश, 2014 के अनुरूप की गई है।

इस प्रतिवेदन में आईएफसीआई लिमिटेड (पूर्व में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम) में ''क्रेडिट जोखिम प्रबंधन'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम निहित हैं। संपूर्ण प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा राशियां न स्वीकारने वाले एनबीएफसी उद्योग की तुलना में आईएफसीआई की परिसंपत्ति गुणवत्ता में तेजी से गिरावट आई जिससे आईएफसीआई लिमिटेड में वसूली तंत्र, क्रेडिट मूल्यांकन की मौजूदा प्रणाली तथा आईएफसीआई की सामान्य उधार नीति के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन का अध्ययन करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। लेखापरीक्षा जांच में ऋण संस्वीकृति के दौरान क्रेडिट मूल्यांकन, प्रतिभूति कवरेज, ऋण वसूली की निगरानी, बट्टे खाते डाले गए ऋण, ऋण परिसंपत्तियों का वर्गीकरण, इक्विटी में निवेश आदि शामिल थे। प्रतिवेदन में क्रेडिट मूल्यांकन, ऋण की संस्वीकृति तथा संवितरण, आईएफसीआई की सामान्य उधार नीति और आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कमियों, जिसके कारण 31 मार्च 2016 तक अनर्जक परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई, पर प्रकाश डाला गया है।

लेखापरीक्षा वित्त मंत्रालय और आईएफसीआई लिमिटेड से लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

आईएफसीआई लिमिटेड प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशियाँ न स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित और प्रशासनिक रूप से वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया गया है। इसे 1948 में एक सांविधिक निगम के रूप में स्थापित किया गया था परन्तु बाद में आईएफसीआई (उपक्रम का हस्तान्तरण एवं निरसन) अधिनियम, 1993 के आधार पर एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया। आईएफसीआई दिसम्बर 2012 में एक डीम्ड सरकारी कम्पनी बन गयी थी और अप्रैल 2015 से एक सरकारी कम्पनी बन गई थी। आईएफसीआई का प्राथमिक व्यवसाय विनिर्माण, सेवाएं और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

आईएफसीआई लिमिटेड में 'क्रेडिट जोखिम प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से उद्योग के एनपीए अनुपात 3 प्रतिशत की तुलना में इसके उच्च अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात 13.05 प्रतिशत के कारण और 2012-13 से 2015-16 तक ₹ 40638.98 करोड़ की वसूले न गये ब्याज में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए की गयी थी। लेखापरीक्षा ने संस्वीकृत और संवितरित ऋण के संबंध में चार वर्षों अर्थात 2012-13 से 2015-16 तक की अवधि को कवर किया था। यद्यपि अनर्जक परिसम्पत्तियों की जांच के लिए 2008-09 से संस्वीकृत ऋणों को जांच में सम्मिलित किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्षों को नीचे संक्षेप में दिया गया है:

क्रेडिट मूल्यांकन और संस्वीकृति

- लेखापरीक्षा द्वारा 128 संस्वीकृत ऋणों की समीक्षा की गयी और पाया गया कि 69 मामलों (54 प्रतिशत) के संबंध में ऋण निवर्तमान सामान्य ऋण नीति (जीएलपी) में निर्धारित पात्रता मानदंडों से विचलन में संस्वीकृत किए गए थे। पात्रता मानदंड में छूट निर्धारित वित्तीय अनुपात/वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, उधारकर्ता कम्पनी की लाभप्रदता/निवल संपत्ति/क्रेडिट रेटिंग और न्यूनतम प्रतिभूति कवर/प्रतिभूति की प्रकृति के अनुपालन से संबंधित थी। संस्वीकृति/ऋण समझौते के साथ-साथ संबंधित जीएलपी में अन्य निर्धारित शर्तों से विचलन के भी 17 मामले देखे गये थे।

(पैरा 3.2)

- आठ उद्धृत मामलों के संदर्भ में प्रमुख रूप से ऋण संस्वीकृति में पात्रता मानदंड से छूट/विचलनों के परिणामस्वरूप ₹ 1094.65 करोड़ की वसूली में संदिग्धता के अतिरिक्त ₹ 25.57 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 3.3)

आरबीआई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन

- लेखापरीक्षा ने पाया कि परिसम्पत्ति वर्गीकरण पर आरबीआई के दिशा-निर्देशो का अनुपालन नहीं किया गया। ऋणों के गलत वर्गीकरण के अनेक उदाहरण थे परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान लाभ ₹ 297.60 करोड़ से अधिक दर्शाया गया था।

(पैरा 4.1)

- निवल संपत्ति, सतत नकदी हानि आदि में अपक्षरण के बावजूद 2014-15 और 2015-16 के दौरान, लंबी अवधि के निवेश के प्रति ₹ 734.31 करोड़ और ₹ 706.17 करोड़ के प्रावधान न करने/अल्प-प्रावधान के मामले थे।

(पैरा 4.3)

- कम्पनी ने पुर्नभुगतान की व्यवहार्यता का विश्लेषण किए बिना पुनर्संरचना पैकेज को मंजूरी देकर भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्संरचना नियमों का उल्लंघन किया इसके फलस्वरूप उधारकर्ता द्वारा हानियां वहन करने के बावजूद एक कमजोर क्रेडिट सुविधा को एवरग्रीन करने का प्रयास किया जा रहा था।

(पैरा 4.4)

अनर्जक परिसंपत्तियां

54 एनपीए मामलों (जिसमे बट्टे खाते में डाले गए 11 ऋण शामिल है) की समीक्षा से पता चलता है कि:

- 11 मामलों में (20 प्रतिशत) कम्पनी को ऋणों को बट्टे खाते में डालना पड़ा जिसके कारण ₹ 1235.65 करोड़ (₹ 674.51 के वसूले नहीं गये ब्याज सहित) की हानि हुई। लेखा-परीक्षा द्वारा यह भी देखा गया कि चूकपूर्ण क्रेडिट मूल्यांकन, अप्रवर्तनीय/अपर्याप्त प्रतिभूति की स्वीकृति और प्रतिभूति को लागू करने में विलम्ब हुआ।

(अध्याय 5)

- 5 मामलों के संबंध में (9 प्रतिशत) कम्पनी ने ₹ 296.20 करोड़ राशि के बकाया मूलधन के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया था। इन मामलों से वसूला नहीं गया ब्याज ₹ 119.09 करोड़ था जिससे कुल ₹ 415.29 करोड़ की हानि हुई। हानि मुख्य रूप से चूकपूर्ण क्रेडिट मूल्यांकन, पात्रता, प्रतिभूति आदि के संबंध में सामान्य ऋण नीति की शर्तों में छूट और अप्रवर्तनीय/अपर्याप्त सुरक्षा आदि की स्वीकृति के कारण हुई।

(पैरा 6.3.1)

- 18 मामलों के संबंध में (33 प्रतिशत), लेखापरीक्षा ने पाया कि चूकपूर्ण ऋण मूल्यांकन, मूर्त/प्रर्वतनीय प्रतिभूति के अभाव और अप्रभावी निगरानी के कारण ₹ 3799.33 करोड़ की वसूली संदिग्ध है।

(पैरा 6.3.2)

इक्विटी निवेश

- लेखापरीक्षा द्वारा असूचीबद्ध इक्विटी निवेश के 9 मामलों की जांच की गयी और पाया गया कि वापसी-खरीद/रिटर्न में चूक होने के कारण, ₹ 1136.28 करोड़ का निवेश अनर्जक हो गया और इन निवेशों से ₹ 651.69 करोड़ का प्रतिलाभ (31 मार्च 2016) वसूल नहीं हो पाया।

(अध्याय 7)

सिफारिशें

निम्नलिखित सिफारिशें की गयी है:

- क्रेडिट मूल्यांकन तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए;
- कम्पनी को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशियाँ न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनियों पर लागू आरबीआई दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए;
- कम्पनी को सख्ती से अपनी सामान्य उधार नीति का अनुपालन करना चाहिए और बार-बार विचलनों की सहायता नहीं लेनी चाहिए;

- कम्पनी को वित्तीय सहायता की संस्वीकृति के दौरान गिरवी दाता कम्पनी/ वापसी-खरीद इकाई के साथ उधारकर्ता कम्पनी की वित्तीय स्थिति का आंकलन करना चाहिए;
- वसूली की कार्रवाई को चूक के तुरंत बाद उपलब्ध प्रतिभूति लागू करते हुए शीघ्र ही प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है।

(पैरा 8.2)

अध्याय 1: प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

आईएफसीआई लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के नियामक नियंत्रण के अंतर्गत और वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार (जीओआई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत प्रणालीगत महत्वपूर्ण जमा राशियाँ न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) है। आईएफसीआई की स्थापना 1948 में एक सांविधिक निगम के तौर पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) अधिनियम, 1948 के तहत औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालीन वित्त संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में पहले विकास वित्त संस्थान के तौर पर हुई थी। यह बाद में आईएफसीआई (उपक्रम का हस्तान्तरण एवं निरसन) अधिनियम, 1993 के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कम्पनी के तौर पर पंजीकृत हुई थी। सरकारी नियंत्रण कायम रखने के उद्देश्य के लिए निरसन अधिनियम, 1993 के अधिनियमन के प्रभावानुसार यह था कि आईएफसीआई लिमिटेड के मामले, इसके खाते एवं लेखापरीक्षा पर संघ सरकार के नियंत्रण संबंधी आईएफसीआई अधिनियम, 1948 के प्रावधान[1], निरसन के बाद भी लागू होते रहे।

1.2 आईएफसीआई का सरकारी कम्पनी में रूपांतरण

संघ कैबिनेट ने कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत आईएफसीआई लिमिटेड (पूर्व में सांविधिक निगम) का रूपांतरण एक नयी सरकारी कम्पनी के रूप में अनुमोदित (10 अगस्त 1992) किया था। संघ सरकार ने निर्णय किया कि आईएफसीआई लिमिटेड के 51 *प्रतिशत* शेयर आरबीआई/सरकार द्वारा स्वामित्व वाले या नियंत्रित संस्थान, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र बैंक (पीएसबीज)/वित्तीय संस्थान (एफआईज़)/बीमा कम्पनियाँ जिनके पास आईएफसीआई के शेयर थे, द्वारा रखे जायेंगे।

इसके पश्चात, आईएफसीआई की बिगड़ रही वित्तीय स्थिति एवं देनदारियों पर आईएफसीआई की चूक के संभावित प्रणालीगत प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने 20 वर्षीय परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में ₹ 400 करोड़ रूपये डालने का निर्णय (2001) लिया। तत्पश्चात 20 वर्षों की अवधि के साथ वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडीज़) के रूप में आईएफसीआई के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा ₹ 5220 करोड़ का एक विशेष वित्तीय सहायता

[1] धाराएँ 33, 34, 34ए, 35 एवं 43

पैकेज संस्तुत किया गया। इस पैकेज के अंतर्गत ₹ 523 करोड़ की पहली किश्त वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में जारी (28 मार्च 2003) की गयी। इस पैकेज के तहत उत्तरवर्ती निर्मुक्तियों को (2003-04 के बाद) सहायता अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया। इस पैकेज को फरवरी 2005 में कैबिनेट का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त हुआ। ₹ 2409.31 करोड़ की राशि 2003-04 से 2006-07[2] तक सहायता अनुदान[3] के तौर पर जारी की गई थी। परन्तु इस वित्तीय पैकेज के तहत की जा रही निर्मुक्तियों को वर्ष 2007-08 में रोक दिया गया, क्योंकि आईएफसीआई ने लाभ उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया था।

वर्ष 2003-2004 तक आईएफसीआई में सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों की इक्विटी शेयर पूँजी 51 प्रतिशत की सीमा-रेखा के उपर थी। उसके बाद आईडीबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंव इनकी कुछ सहायक कम्पनियाँ, राष्ट्रीयकृत बैंक एंव वित्तीय संस्थानों जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम आदि ने अपनी इक्विटी शेयर पूंजी को घटा दिया जिसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों की शेयर पूँजी 51 प्रतिशत के नीचे गिर गई (मार्च 2005 तक)। परिणामस्वरूप, आईएफसीआई ने एक डीम्ड सरकारी कम्पनी होने का दर्जा खो दिया। तथापि, संघ कैबिनेट के अनुमोदन (अगस्त 2012) के साथ वित्त मंत्रालय ने ₹ 923 करोड़ मूल्य के वैकल्पिक परिवर्तनीय ऋणपत्रों को इक्विटी में बदलकर सरकारी कम्पनी के रूप में आईएफसीआई का दर्जा बहाल कर दिया। इस परिवर्तन से आईएफसीआई एक डीम्ड सरकारी (2012-13) कम्पनी बन गई। बाद में जब सरकार ने आईएफसीआई के वर्तमान अधिमान शेयर धारकों (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) से छः करोड़ अधिमान शेयर प्राप्त कर लिए, तब आईएफसीआई 7 अप्रैल 2015 से एक सरकारी कम्पनी बन गई।

1.3 भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ

गैर-बैकिंग वित्तीय कम्पनियाँ (एनबीएफसीज़) पारम्परिक बैंकिंग का एक बहुमूल्य विकल्प प्रदान करके भारत की वित्तीय प्रणाली के एक अभिन्न भाग के तौर पर उभरी है। तथापि एनबीएफसीज़ बढ़े हुए जोखिम की अवधारणा से उत्पन्न धीमी आर्थिक वृद्धि एवं अपेक्षाकृत उच्च क्रेडिट लागत के कारण पिछले कुछ वर्षों में चुनौती पूर्ण आर्थिक हालात का सामना करती रहीं हैं।

---

[2] ₹ 1573 करोड़ (2003-04), ₹ 316 करोड़ (2004-05), ₹ 300 करोड़ (2005-06) और ₹ 220.31 करोड़ (2006-07)

[3] आईएफसीआई को सहायता को बाद में प्रतिपूरक बजट में सहायक अनुदान (2003-2004) में परिवर्तित किया।

एनबीएफसीज़ ने आर्थिक गिरावट एवं कमज़ोर परिचालन माहौल के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान परिसम्पत्ति गुणवत्ता में दबाव देखा। चूँकि कम्पनियों की पुनर्भुगतान क्षमता प्रभावित होती जा रही थी जिससे खातों की पुनर्संरचना के बावजूद अनर्जक परिसम्पत्ति में वृद्धि हो रही थी। बढते परिसम्पत्ति आकार ने क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। विशेषकर बढ़ते हुए अनर्जक परिसम्पत्ति के संदर्भ में, ₹ 100 करोड़ के परिसम्पत्ति आकार वाली एनबीएफसीज़ को आरबीआई द्वारा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशियाँ न स्वीकारने वाली गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। तथापि, नवम्बर 2014 से इस सीमा-रेखा मापदंड को ₹ 500 करोड़ तक बढ़ाया गया है।

1.4 आईएफसीआई लिमिटेड के कार्य एवं उद्देश्य

आरबीआई द्वारा विनियमित एक एनबीएफसी-एनडी-एसआई के तौर पर आईएफसीआई लिमिटेड लघु, मध्यम या दीर्घ-अवधि ऋणों या इक्विटी भागीदारी, मुख्यत: कृषि आधारित उद्योगों, सेवा क्षेत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं पूंजी व मध्यवर्ती माल उद्योग के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही थी। आईएफसीआई लिमिटेड ने वित्तीय/सलाहकार क्षेत्र में सहायक[4] कम्पनियों को भी स्थापित किया।

1.5 संगठनात्मक ढांचा

कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसकी सहायता के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी व प्रबंध निदेशक (सीईओ एंड एमडी) एवं उप-प्रबंध निदेशक (डीएमडी) है। इसके अलावा कार्यपालक निदेशक (ईडीज़), कंपनी के संचालन को नियंत्रित करने के लिए मुख्य महा-प्रबंधक एवं महा-प्रबंधक की सहायता लेते हैं जो अपने संबधित विभागों की अध्यक्षता करते हैं।

कम्पनी विभिन्न विभागों द्वारा परिचालन करती है जिसमें मुख्यत: क्रेडिट मूल्यांकन, अनुवीक्षण एवं उद्योग अनुसंधान, एनपीए अधिग्रहण, समाधान एवं विधि है।

---

[4] आईएफसीआई फैक्टर लिमिटेड, आईएफसीआई वित्तीय सेवाएँ लिमिटेड, आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आईएफसीआई वेन्चर कैपिटल फन्ड लिमिटेड, एमपीसीओएन लिमिटेड एवं स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

1.6 लेखापरीक्षा के लिए विषय के चयन के तर्काधार

आईएफसीआई लिमिटेड में 'क्रेडिट जोखिम प्रबंधन' की निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न को देखते हुए की गई थी:

- 31 मार्च 2016 तक ₹ 3544.54 करोड़ के अनर्जक परिसम्पत्ति के अत्यधिक स्तर की विद्‌यमानता जो कि कुल बकाया ऋणों का 13.05 प्रतिशत है।
- लेखापरीक्षा अवधि अर्थात 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान लेखा बहियों से ₹ 1637.87 करोड़ की मूल राशि बट्टे खाते डाली गई;
- 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान वसूल न किए गये ब्याज में ₹ 40638.98 करोड़ की वृद्धि;
- ₹ 3332.31 करोड़ का भारत सरकार द्‌वारा सारभूत वित्त-पोषण;
- पूर्व सीएजी लेखापरीक्षाओं के दौरान दोषपूर्ण क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाएं, अनुचित संस्वीकृतियां/संवितरण पर टिप्पणियाँ।

1.7 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्न थे:

- कम्पनी की सामान्य उधार नीति के अनुपालन की जांच करना;
- ऋणों की संस्वीकृति तथा संवितरण में विधिवत सचेतना सहित सुदृढ़ क्रेडिट मूल्यांकन तंत्र की विद्‌यमानता की जांच करना;
- वसूली तंत्र की प्रभावकारिता की जांच करना;
- क्रेडिट निगरानी तंत्र की दक्षता की जांच करना।

1.8 लेखापरीक्षा मानदण्ड तथा कार्यप्रणाली/मापदंड

कम्पनी के निष्पादन की समीक्षा करने के मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- एनबीएफसी-एनडी-एसआई के आरबीआई दिशा-निर्देश
- प्रशासनिक मंत्रालय के दिशा-निर्देश/परिपत्र
- उद्‌योग प्रथाएं
- कम्पनी की उधार नीति
- कम्पनी की व्यवसाय योजना
- क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली
- संस्वीकृति/संवितरण शर्तें
- ऋण समझौते
- वसूली नीति
- मामलों से सम्बन्धित कानूनी दस्तावेज

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली/ पद्धति:

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, मानदंड आदि पर चर्चा करने के लिए आईएफसीआई प्रबंधन और डीएफएस, एमओएफ के प्रतिनिधियों के साथ 7 अप्रैल 2016 को एन्ट्री कान्फ्रेंस की गई थी। अप्रैल 2016 से जुलाई 2016 तक की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी। ड्राफ्ट लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 19 सितम्बर 2016 को आईएफसीआई को जारी किया गया था और उसके उत्तर 4 नवम्बर 2016 को प्राप्त हुए थे। प्रबंधन की प्रतिक्रिया को शामिल करने के बाद ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 10 जनवरी 2017 को मंत्रालय को जारी किया गया था। मंत्रालय के उत्तर (16 फरवरी 2017) तथा एक्जिट कान्फ्रेंस (17 फरवरी 2017) के दौरान प्राप्त प्रतिक्रिया को इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देते समय उचित स्थान दिया गया है।

1.9 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं नमूना चयन

लेखापरीक्षा ने क्रेडिट मूल्यांकन, संस्वीकृति प्रक्रिया, मंजूरी के बाद निगरानी एंव क्रेडिट वसूली पद्धतियों में कम्पनी के निष्पादन की समीक्षा की। आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निगरानी की प्रभावशीलता की भी समीक्षा की गई।

संस्वीकृत ऋणों की समीक्षा के लिए, लेखापरीक्षा में शामिल अवधि चार वर्षों की, 2012-13 से 2015-16 तक थी। समीक्षा में वित्तीय दिशानिर्देश, ऋण समझौते एवं वित्तीय सहायता की संस्वीकृति एवं संवितरण के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन की जाँच निहित है। तथापि जहाँ तक एनपीएज़ की समीक्षा का संबंध है, संस्वीकृति की जाँच, निगरानी एवं वसूली आदि के लिए 2012-13 से पहले की अवधि भी शामिल है। यह इस तथ्य के कारण था कि आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वह परिसम्पत्तियां, जिनके संबंध में ब्याज या मूल-धन पाँच महीनों से अधिक शेष रहा हो, उनको अनर्जक परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा वह परिसम्पत्तियां, जो अधिकतम 16 महीनों[5] की अवधि के लिए अनर्जक रहीं, उनको अव-मानक परिसम्पत्तियों के तौर पर वर्गीकृत किया जाना था जबकि परिसम्पत्तियां, जो 16 महीनों की अवधि से अधिक अव-मानक रहीं, उनको संदिग्ध परिसम्पत्तियों के तौर पर वर्गीकृत किया जाना था।

---

[5] पहले के 18 महीनों के प्रतिमानों से, 16 महीनों (2015-16 से प्रभावी) के लिए संशोधित किया गया।

नमूना चयन

लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान ऋणों की संस्वीकृति एवं संवितरण, अनर्जक परिसम्पत्तियां, बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की समीक्षा की। नमूना चयन निम्न प्रकार से था:

A. **संस्वीकृतियां एंव संवितरण:** लेखापरीक्षा ने नमूने के चयन के लिए संस्वीकृत राशि के आधार पर कम्पनी द्वारा संस्वीकृत ऋणों को स्तरीकृत किया जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है:

संस्वीकृत राशि	₹ 100 करोड़ से कम	₹ 100 करोड़ से ₹ 200 करोड़ के बीच	₹ 200 करोड़ से अधिक
नमूना (प्रतिशत)	20	40	100
चयनित मामलों की संख्या	36	45	47

स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि द्वारा प्रत्येक स्तर के लिए वर्ष-वार चयनित नमूना नीचे दिखाया गया है:

तालिका-1: संस्वीकृतियां एवं संवितरणों का प्रतिचयन

वर्ष	कुल संस्वीकृत मामले (कुल संख्या)		नमूना आकार	
	सं.	राशि (₹ करोड़ में)	सं.	राशि (₹ करोड़ में)
2012-13	20	1,911.53	8	1,008.04
2013-14	53	8,915.18	32	7,056.50
2014-15	127	11,144.17	45	6,038.54
2015-16	130	10,854.69	43	5,252.69
कुल	**330**	**32,825.57**	**128**	**19,355.77**

B. **अनर्जक परिसम्पत्तियां एवं बट्टे खाते में डाले गए ऋण:**

31 मार्च 2016 तक एनपीए के 413 मामले (बट्टे खाते में डाले गए मामलों सहित) हुए थे। इनमें से, लेखापरीक्षा ने 43 एनपीए मामलों की समीक्षा की जो कि 2008-09 के बाद से संस्वीकृत किए गए थे एवं इसके साथ लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान मूल धन के बट्टे खाते में डाले गए 11 मामलों की समीक्षा भी की।

अध्याय 2: नियोजन

2.1 व्यवसाय योजना

कम्पनी आगामी वर्ष के लिए संस्वीकृतियां, संवितरण, वसूली आदि के लक्ष्य को विनिर्दिष्ट करने वाली एक वार्षिक व्यवसाय योजना बनाती है जो कि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की जाती है। यह योजना पिछले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के प्रति कम्पनी के वास्तविक निष्पादन की व्याख्या और उसके विचलनों एवं कारणों का भी वर्णन करती है।

2.2 लक्ष्य एवं प्राप्तियां

पिछले चार वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा लक्ष्य एवं उनकी प्राप्तियां निम्नानुसार दी गई हैं:

तालिका-2: लक्ष्य एंव प्राप्तियाँ

राशि (₹ करोड़ में)

वर्ष/विवरण		संस्वीकृत राशि	संवितरित राशि	वसूली	
				मानक परिसंपत्तियां	अनर्जक परिसंपत्तियां
2012-13	लक्ष्य	5000.00	4000.00	4500.00	170.00
	वास्तविक	1911.53	1504.00	5482.00	126.00
	विचलन	**(-) 3088.47**	**(-) 2496.00**	**(+) 982.00**	**(-) 44.00**
2013-14	लक्ष्य	10000.00	8000.00	5227.00	741.00
	वास्तविक	10098.00	8683.00	5724.63	884.43
	विचलन	**(+) 98.00**	**(+) 683.00**	**(+) 497.63**	**(+) 143.43**
2014-15	लक्ष्य	13600.00	11220.00	4642.41	807.57
	वास्तविक	12230.00	8687.03	4863.78	827.59
	विचलन	**(-) 1370.00**	**(-) 2532.97**	**(+) 221.37**	**(+) 20.02**
2015-16	लक्ष्य	14000.00	11500.00	उ.न.	618.11
	वास्तविक	10894.69	7488.30	7802.33	421.40
	विचलन	**(-) 3105.31**	**(-) 4011.70**	**उ.न.**	**(-) 196.71**

कम्पनी ने एनपीएज़ के संबंध में वर्ष 2012-13 और 2015-16 के अलावा मानक परिसम्पत्तियों के साथ-साथ एनपीएज़ में लक्ष्यों से अधिक वसूलियाँ की। यद्यपि वर्ष 2013-14 को छोड़कर संस्वीकृतियों एंव संवितरणों के संबंध में यह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी।

2.3 उद्योग (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) के निष्पादन की तुलना में आईएफसीआई का निष्पादन

बाजार शेयर डाटा की समीक्षा ने दर्शाया कि आईएफसीआई का बाजार अंश 2013 में 2.21 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 2.67 प्रतिशत हो गया जैसा कि चार्ट-1 में दर्शाया गया है:

चार्ट-1: आईएफसीआई का बाजार अंश (कुल परिसम्पत्तियों पर आधारित)

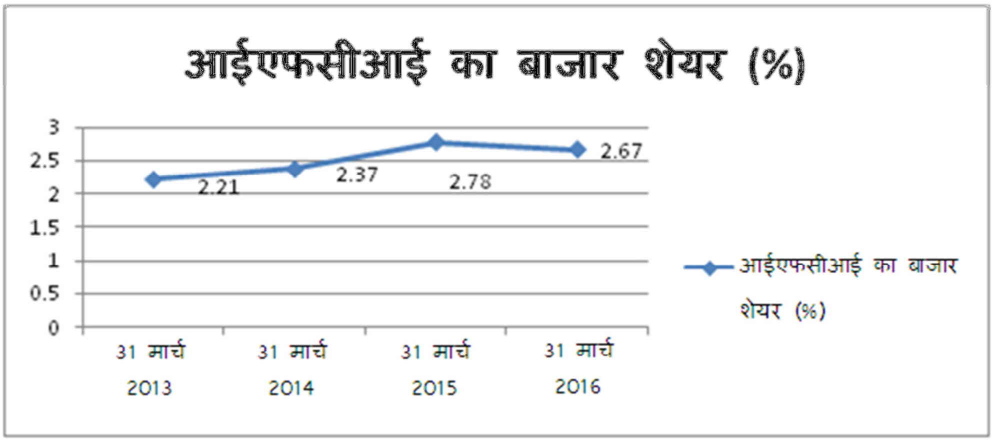

स्रोत: भारत में बैंकिंग प्रचलन एवं प्रगति पर आरबीआई रिपोर्ट एवं आईएफसीआई की वार्षिक रिपोर्ट (31 मार्च 2016 के लिए इंडस्ट्री डाटा अनंतिम था)

उद्योग (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) की तुलना में आईएफसीआई के निष्पादन की समीक्षा ने दर्शाया कि उद्योग की लाभकारिता सीमांत रूप से घटी जबकि आईएफसीआई की लाभकारिता बहुत अधिक घट गयी जैसा कि चार्ट-2 में दिखाया गया है:

चार्ट-2: लाभकारिता की तुलना (निवल लाभ की कुल आय से प्रतिशत के रूप में)

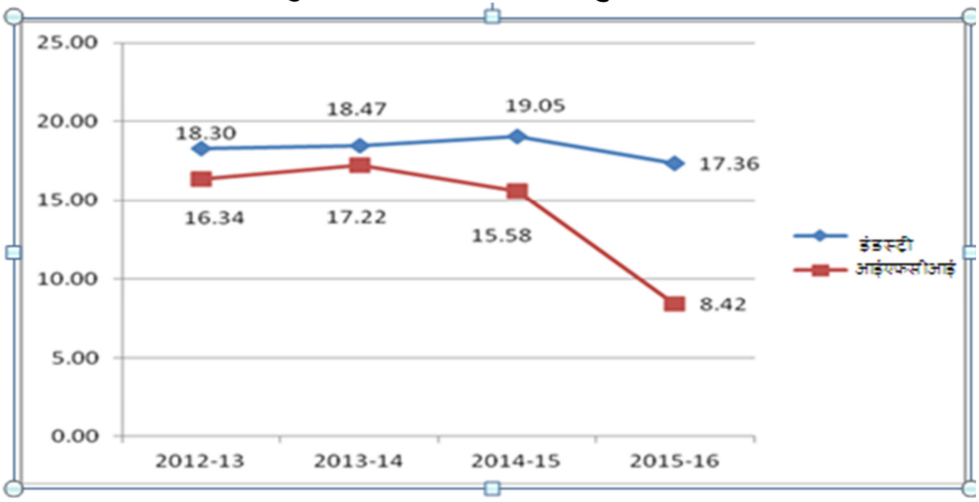

स्रोत: भारत में बैंकिंग प्रचलन एवं प्रगति पर आरबीआई रिपोर्ट एवं आईएफसीआई की वार्षिक रिपोर्ट (31 मार्च 2016 के लिए इंडस्ट्री डाटा अनंतिम था)

जैसा कि चार्ट-3 में दिखाया गया है इंडस्ट्री की तुलना में आईएफसीआई की परिसंपत्ति गुणवत्ता भी बिगड़ गयी:

चार्ट-3: परिसंपत्ति गुणवत्ता की तुलना (सकल एनपीए का कुल ऋण बकाया से अनुपात)

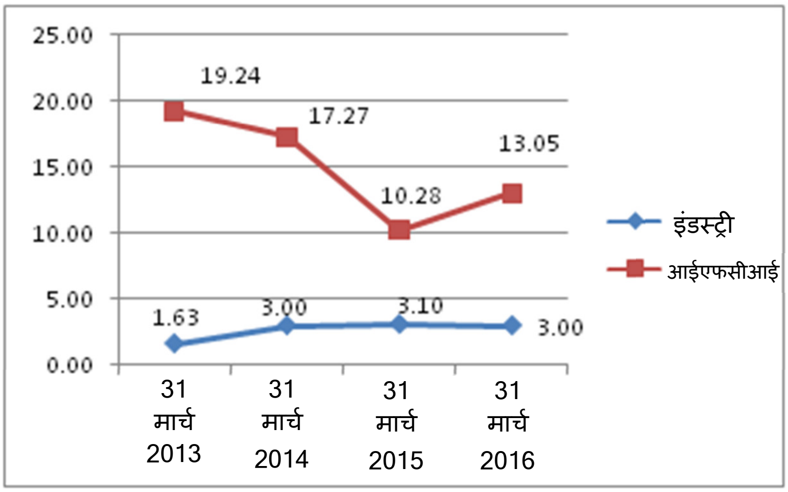

स्रोत: भारत में बैंकिंग प्रचलन एवं प्रगति पर आरबीआई रिपोर्ट एवं आईएफसीआई की वार्षिक रिपोर्ट

जैसा कि उपरोक्त से स्पष्ट है, यद्यपि कम्पनी ने अपने उधार-कार्यों में वृद्धि की और उसके फलस्वरूप बाजार शेयर में वृद्धि की परन्तु यह अपनी परिसंपत्ति गुणवत्ता के नियंत्रण में असफल रही क्योंकि इसका सकल एनपीए अनुपात इंडस्ट्री की तुलना में बढ़ गया था जिसकी वजह संवितरित ऋणों की खराब गुणवत्ता थी। इंडस्ट्री की लाभकारिता जो कि केवल सीमांत रूप से घटी थी, की तुलना में इसकी लाभकारिता में तेज़ गिरावट से भी यह स्पष्ट हो गया था।

मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2017) कि एनबीएफसीज़ जैसे कि आईएफसीआई लिमिटेड की तुलना कॉर्पोरेट लेंडिग के उसी कारोबार में कार्यरत अन्य एनबीएफसीज़ से की जानी चाहिए। इसने आगे कहा कि समान तुलन पत्र आकार एवं अग्रिमों को देखते हुए एल एंड टी इंफ्रा, श्रेई इंफ्रा फाइनेंस लिमिटेड एवं इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड आईएफसीआई लिमिटेड से तुलनीय एनबीएफसीज़ थे और इन एनबीएफसीज़ का सकल एनपीए अनुपात 2015-16 के लिए 3.77 प्रतिशत था।

अध्याय 3: क्रेडिट मूल्यांकन तथा संस्वीकृति

3.1 क्रेडिट मूल्यांकन तथा क्रेडिट सुविधाओं की संस्वीकृति हेतु प्रक्रिया

आईएफसीआई द्वारा क्रेडिट मूल्यांकन तथा क्रेडिट सुविधाओं की संस्वीकृति हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन नीचे किया गया है:

- क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) कारोबार मॉडल, निधियों की आवश्यकता के संबंध में प्रवर्तकों/ कर्जदारों के साथ प्रारंभिक चर्चाओं के बाद ऋण प्रस्ताव प्रस्तुत करते है। इसके अलावा, आरओ पात्रता मानदंड, वित्तीय संबंधी, प्रतिभूति आदि की समीक्षा के अलावा समुचित सावधानी तथा 'अपने ग्राहक को जानिए' की औपचारिकताएं करता है।
- ईडी (क्रेडिट) की अध्यक्षता में अनुवीक्षण समिति (एससी) जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)/ मुख्य क्रेडिट अधिकारी (सीसीओ)/जीएम (वसूली), डीजीएम (जोखिम), क्षेत्र के जीएम शामिल है, के समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है। अनुवीक्षण समिति विस्तृत मूल्यांकन हेतु प्रस्तावों की प्रथम दृष्टया मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकरण है।
- अनुवीक्षण समिति द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी के बाद, क्षेत्रीय कार्यालय क्रेडिट मूल्यांकन करता है जिसमे प्रतिभूति, समुचित सावधानी, औद्योगिक परिदृश्य, प्रक्षेपित वित्त आदि पर जानकारी के अलावा कार्पोरेट/परियोजना/प्रवर्तक प्रोफाइल, वित्तीय, नकद-प्रवाह, क्रेडिट रेटिंग, ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर), अचल परिसम्पत्ति कवरेज अनुपात (एफएसीआर) आदि का वर्णन किया जाता है।
- शुरुआती क्रेडिट मूल्यांकन के पश्चात, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन विभाग (सीआरएमडी) कर्जदार की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग/क्रेडिट को अंतिम रूप देता है जो ग्राहक की आंतरिक क्षमता तथा कमजोरियों का मूल्यांकन प्रस्तुत करती है।
- विस्तृत क्रेडिट मूल्यांकन के पश्चात, प्रस्ताव को क्रेडिट एवं निवेश समिति (सीआईसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसकी अध्यक्षता सीईओ एवं एमडी द्वारा की जाती है व अन्य सदस्यों के रूप में डीएमडी, ईडी, सीएफओ, सीसीओ तथा जीएम (क्रेडिट) होते हैं। सीआईसी ₹ 100 करोड़ तक वित्तीय सहायता की संस्वीकृति तथा ₹100 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता के लिए सिफारिश करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है।
- सीआईसी द्वारा अनुमोदन हेतु सिफारिश किए गए प्रस्ताव को निदेशकों की कार्यकारी समिति (ईसी) के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिसे ₹ 100 करोड़ से अधिक तथा ₹ 300

करोड़ तक की वित्तीय सहायता संस्वीकृत करने की शक्ति दी गई है। ₹ 300 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता की संस्वीकृति निदेशक बोर्ड द्वारा दी जाती है।

- प्रस्ताव की संस्वीकृति के पश्चात इसकी सूचना आशय पत्र (एलओआई) द्वारा स्वीकृति हेतु सभी निबंधन एवं शर्तों के साथ, कर्जदार के साथ आगे पत्राचार के लिए संबंधित आरओ को दी जाती है।
- कर्जदार द्वारा एलओआई की स्वीकृति पर, प्रलेखन की प्रक्रिया की जाती है जिसमें प्रतिभूति का सृजन शामिल है जिसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप सीईओ तथा एमडी द्वारा संवितरण का अनुमोदन किया जाता है।
- पात्रता मानदंड, प्रतिभूति कवर, ऋण अवधि या किसी अन्य शर्त के संबंध में प्रस्तावों में छूट/भिन्नता का अनुमोदन निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है। तथापि, 2014-15 के बाद से, ऐसी छूट/भिन्नता का अनुमोदन शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया जाना है।
- ब्याज दर, प्रतिभूति कवर तथा ऋण अवधि से संबंधित संस्वीकृति की शर्तों में आशोधन तथा छूट का अनुमोदन संस्वीकृति प्राधिकारी को किया जाता है। संस्वीकृति की किसी अन्य शर्तों को संस्वीकरण प्राधिकारी को रिपोर्ट के तहत सीईओ तथा एमडी द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तथापि, 2014-15 के बाद से ऐसे आशोधन/छूट का अनुमोदन सीइओ तथा एमडी की अध्यक्षता में समिति/शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार किया जाना है।

3.2 सामान्य उधार नीति

ऋणों की संस्वीकृति हेतु, आईएफसीआई का मार्गदर्शन सामान्य उधार नीति (जीएलपी) द्वारा किया जाता है जिसे प्रतिवर्ष बनाया जाता है तथा निदेशक बोर्ड द्वारा इसका अनुमोदन किया जाता है। यह नीति विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र आदि के साथ-साथ धारक/निवेश कम्पनियों/एसपीवीज के वित्तपोषण के पात्रता मापदंड को नियत करती है। जीएलपी प्रतिभूति के सृजन, प्रतिभूति के मूल्यनिर्धारण, क्रेडिट प्रशासन तथा मॉनिटरिंग हेतु नीति के ब्यौरों का वर्णन भी करती है। जीएलपी का उद्देश्य विविध पोर्टफोलियों के साथ लेन-देन के जोखिम रिटर्न को अनुकूल बनाने के लिए दूसरे सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुपालन के साथ कम्पनी के मुख्य कारोबार उद्देश्यों के अनुरूप कार्पोरेट को वित्तीय सहायता संस्वीकृत करना है।

लेखापरीक्षा ने यह जांच करने के मद्देनजर 31 मार्च 2016 को समाप्त चार वर्षों के दौरान संस्वीकृत किए गए ऋणों के 128 मामलों का चयन तथा उनकी समीक्षा की कि क्या ऋणों

को मौजूदा जीएलपी तथा करार की शर्तों के अनुसार संस्वीकृत किया गया था। लेखापरीक्षा ने समीक्षा किए गए इन 128 मामलों में देखा कि 69 मामलों (54 प्रतिशत) के संबंध में, ऋणों को संबंधित जीएलपी में निर्धारित पात्रता शर्तों से विचलन करते हुए संस्वीकृत किया गया था। इसके अलावा, यह देखा गया कि 20 मामलों (नमूना मामलों का 16 प्रतिशत) के संबंध में कर्जदार ने ₹ 184.58 करोड़ के ब्याज भुगतान में चूक की थी।

विचलनों की प्रवृति के विश्लेषण (अनुबंध-1) से पता चला कि छूट दिए गए पात्रता मानदंड मुख्यत: अनुबद्धित वित्तीय अनुपातों के अनुपालन, न्यूनतम प्रतिभूति कवर की आवश्यकता, प्रतिभूति के प्रकार तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्जदार कंपनी की लाभकारिता आदि से संबंधित थे जैसे कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-3: ऋण संस्वीकृत करते समय सामान्य उधार नीति में निर्धारित प्रतिमानों से विचलन:

क्रम सं.	अनुबद्धित मानदंडों से विचलन की प्रवृति	मामलों की संख्या जहां विचलन देखे गए*	प्रतिशतता
1.	वित्तीय अनुपातों (लाभकारिता अनुपात, नकदी अनुपात, लीवरेज अनुपात तथा कवरेज अनुपात) से संबंधित मानदंड से विचलन	67	52
2.	क्रेडिट रेटिंग, न्यूनतम निवल संपति तथा पिछले वर्षों की लाभकारिता से संबंधित मानदंड से विचलन	31	24
3.	न्यूनतम प्रतिभूति कवर तथा प्रतिभूति के प्रकार तथा इसके मूल्य निर्धारण से छूट	38	30
4.	संस्वीकृत शर्तों के अनुसार अन्य अनुबद्धित शर्तों से विचलन	17	13
5.	इरादतन चूककर्ताओं को संस्वीकृति	3	2

** मामलों, जहां विचलन पाए गए थे, के ब्यौरें अनुबंध-1 में दिए गए है। एक मामला विचलन की कई श्रेणियों में आ सकता है।*

क. वित्तीय अनुपातों का पालन न करना

एक इकाई की समग्र वित्तीय मजबूती के निर्धारण में इसके निष्पादन तथा इसके वित्तीय सूचकों का विश्लेषण शामिल है जो वित्तीय विवरणों से लिया जाता है। इस निर्धारण के लिए मुख्य मापदंड लाभकारिता अनुपात, नकदी अनुपात, लीवरेज अनुपात तथा कवरेज अनुपात है। यद्यपि नकदी अनुपात जैसे चालू अनुपात फर्म की इसके वर्तमान दायित्वों को पूरा करने की

योग्यता का आकलन करते है। लाभकारिता/प्रचालन अनुपात जैसे सकल लाभ, निवल लाभ तथा प्रचालन लाभ के अंतर प्रबंधन की व्ययों को नियंत्रित करने तथा प्रतिबद्ध संसाधनों पर लाभ अर्जित करने की योग्यता का आंकलन करते है लीवरेज अनुपात जैसे ऋण इक्विटी अनुपात, वास्तविक निवल सम्पति अनुपात में कुल बकाया देयताओं आदि कम्पनी के लीवरेज अर्थात इसके ऋण भार की सीमा का आंकलन करते है। कवरेज अनुपात जैसे ऋण सेवा कवरेज अनुपात, अचल परिसम्पत्ति कवरेज अनुपात तथा ब्याज कवरेज अनुपात दीर्घावधि निधियों के ऋणदाताओं को दी गई सुरक्षा की सीमा का मापन है अर्थात कम्पनी की इसके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की योग्यता। इस प्रकार, वित्तीय अनुपात उधारकर्ताओं की क्रेडिट पात्रता का मूल्यांकन तथा उनकी वित्तीय स्थिति के आंकलन के लिए साधन उपलब्ध कराते है। आईएफसीआई ने उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ऋण संस्वीकृत करते समय विभिन्न न्यूनतम एवं अधिकतम अनुपातों का अनुबद्ध किया, जिन पर विचार किया जाना था।

वित्तपोषण दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय अनुपात शर्तों में समीक्षा किए गए नमूनों में से 67 मामलों (52 प्रतिशत) के संबंध में विचलन/छूट पाई गई थी

ख. क्रेडिट रेटिंग, न्यूनतम निवल परिसम्पति तथा कर्जदारों की लाभकारिता मानदंड से विचलन

आईएफसीआई की जीएलपी ने कर्जदारों की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग का उल्लेख किया जो कि क्रेडिट जोखिम को दर्शाता था। सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए तथा सीएआरई आदि जैसी बाह्य एजेंसियों से क्रेडिट रेटिंग को बैंचमार्क के रूप में उपयोग किया गया था। इसी प्रकार, कर्जदार की न्यूनतम निवल परिसम्पति, जो इकाई की क्रेडिट पात्रता को दर्शाती है, का उल्लेख किया गया था और यह इकाई के मूल्य का महत्वपूर्ण निर्धारक था। इसके अलावा, संस्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष पूर्व के लाभ को भी मानदंड के रूप मे निर्धारित किया गया था।

नमूना मामलों की समीक्षा से पता चला कि इन मानदंडों से 31 मामलों (नमूना मामलों का 24 प्रतिशत) के संबंध में विचलन था/छूट दी गई थी।

ग. प्रतिभूति कवर से विचलन

जीएलपी के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति प्रबंधन में अग्रिमों/ऋणों के संवितरण से पूर्व आईएफसीआई के पक्ष में कर्जदार/तीसरी पार्टी की परिसम्पत्तियों पर लागू करने योग्य प्रभार का सृजन शामिल है। इसका उचित मूल्य-निर्धारण/भंडारण/अनुरक्षण तथा बीमा

नियमित अंतरालों पर करना अपेक्षित है ताकि आईएफसीआई द्वारा दिए गए अग्रिम पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहे। इसके अलावा, प्रभारित प्रतिभूतियों का आवधिक रूप से मूल्य-निर्धारण किया जाना था तथा संस्वीकृत शर्तों के अनुसार अनुबद्धित मार्जिन का क्रेडिट अवधि के दौरान रख-रखाव करने की आवश्यकता होगी। सामान्य उधार नीति प्रभारित प्रतिभूति की प्रकृति तथा प्रतिभूति के वर्गीकरण को भी निर्धारित करती है जैसाकि नीचे दिया गया है:

(i) प्राथमिक प्रतिभूतियां सभी मुख्य सुविधाओं तथा आईएफसीआई के पक्ष में प्रभार/अधिकार को कवर करने के लिए ली जानी थी:

क. दीर्घावधि ऋणों तथा प्रत्याभूतियों के लिए: प्राथमिक प्रतिभूति वित्तपोषित की गई विशेष अचल परिसम्पत्तियों पर प्रभारित की जानी थी।

ख. परियोजना ऋणों के लिए: परियोजना की अचल परिसम्पत्तियों को गिरवी रखना तथा चल परिसम्पत्तियों को बंधक रखना अपेक्षित था।

(ii) कोर्पोरेट प्रत्याभूति, प्रोत्साहकों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति, परिसम्पत्तियों पर सहायक[6] प्रभार आदि जैसी अतिरिक्त प्रतिभूति भी अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की जा सकती थी।

मार्च 2016 को समाप्त चार वर्षों में संस्वीकृत ऋणों की समीक्षा से 38 मामलों (नमूना मामलों का 30 प्रतिशत) में उपरोक्त पात्रता शर्तों से विचलन देखे गए थे जिसने चूक के मामले में जोखिमों को कवर करने के प्रतिभूति प्रतिमानों के उद्देश्यों को विफल किया।

घ. जीएलपी में अनुबद्धित अन्य शर्तों/संस्वीकृति की शर्तों से विचलन

कुछ शर्तें करार की संस्वीकृति की शर्तों के साथ-साथ संबंधित जीएलपी जैसे शेयरों के प्रति ऋण देना, संवितरण से पहले अपफ्रन्ट फीस/विधिक फीस की प्राप्ति, ऋण अवधि में वृद्धि तथा कर्जदार से लिक्विडेटेड हर्जाने आदि जैसे अन्य प्रभारों की वसूली के अनुसार अनुबद्धित की गई थी।

नमूना मामलों की समीक्षा से 17 मामलों (नमूना मामलों का 13 प्रतिशत) में यह त्रुटियां सामने आई थी, जिससे सुविधाओं के संस्वीकरण में शामिल जोखिमों को कम करने का उद्देश्य विफल होता है।

---

6 परिसम्पत्तियों पर गौण प्रभार अर्थात प्राथमिक प्रभार धारण करने वाले ऋणदाता की संतुष्टि के बाद बाकी प्रभार

ङ. इरादतन चूककर्ताओं को संस्वीकृति

कम्पनी की सामान्य उधार नीति विशेष रूप से उन कर्जदारों को ऋण की संस्वीकृति को निषेध करती है जिनके प्रवर्तक, निदेशक या पूर्ण कालीन निदेशक क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सीआईबीआईएल) की 'इरादतन चूककर्ता' सूची में डाले गए है। हालांकि, यह देखा गया कि तीन मामलों में (नमूना मामलों का दो प्रतिशत), कंपनी ने उन कर्जदारों को ऋण संस्वीकृत किया था जिसके प्रवर्तकों/निदेशकों को इरादतन चूककर्ता सूची में डाला गया था।

3.3 लेखापरीक्षा परिणाम

ऋण की संस्वीकृति में पात्रता मानदंड से महत्वपूर्ण छूट/विचलनों के कुछ निदर्शी मामलों के परिणामस्वरूप ₹ 97.03 करोड़ के बकाया ब्याज सहित ₹ 1094.65[7] करोड़ की संदेहास्पद वसूली के अलावा ₹ 25.57 करोड़ की हानि हुई थी, ब्यौरे नीचे दिए गए है:

3.3.1 प्रतिभूति के सृजन के संबंध में सामान्य उधार नीति से विचलन के मामले

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईएफसीआई ने प्रतिभूतियों के उचित सृजन तथा मूल्य निर्धारण के संबंध में अपनी सामान्य उधार नीति के प्रावधानों से विचलन करते हुए कर्जदार को क्रेडिट सुविधाओं की संस्वीकृति दी थी। इसके अलावा, अविक्रेय प्रतिभूतियों की स्वीकृति भी देखी गई थी। प्रतिभूतियों का अधिक मूल्य निर्धारण पाया गया था क्योंकि यह निवर्तमान सामान्य उधार नीति में निर्धारित की गई मूल्य निर्धारण पद्धति के अनुरूप नहीं था। प्रतिभूति सृजन के संबंध में विचलनों के कुछ मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

क. मंडावा होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड

कंपनी ने मंडावा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (एमएचपीएल) को ₹ 250 करोड़ के ऋण की संस्वीकृति (अगस्त 2014) दी थी जो कि प्रवर्तक की व्यक्तिगत प्रत्याभूति सहित मूर्त प्रतिभूति (1.75 गुणा) तथा नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड (एनएसएल, एक समूह कम्पनी) के असूचीबद्ध शेयरों की गिरवी (0.5 गुणा) पर अनन्य प्रभार द्वारा प्रतिभूत किया जाना था। ₹ 245.74 करोड़ की कुल राशि को क्रमश: ₹ 80 करोड़, ₹ 105 करोड़ तथा ₹ 60.74 करोड़ के तीन भागों में संवितरित (सितम्बर 2014/दिसम्बर 2014/जनवरी 2015) किया गया था

[7] मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, भूषण स्टील लिमिटेड, वीबीसी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड तथा पीपावाव मरीन एण्ड ऑफशोर लिमिटेड/पीपावाव डिफेंस एण्ड ऑफशोर इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के मामले में।

और शेष को निरस्त कर दिया गया था। कर्जदार ने कृषि भूमि के गिरवी के आधार पर तथा असूचीबद्ध एनएसएल शेयरों की गिरवी के आधार पर पहले संवितरण का अनुरोध किया था (सितम्बर 2014)। तथापि, इस भूमि को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसम्पत्तियों का परिसम्पत्ति पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के प्रावधानों के तहत् कृषि भूमि लागू करने योग्य नहीं थी तथा केवल एनएसएल शेयरों की गिरवी के आधार पर संवितरण किया गया था।

लेखा परीक्षा ने देखा कि असूचीबद्ध शेयरों की गिरवी को निजी पार्टी द्वारा किए गए मूल्य निर्धारण के आधार पर लिया गया था, जिसे बाजार मूल्य मान लिया गया जो प्रचलित सामान्य उधार नीति के प्रावधानों के उल्लंघन में था जिसमे बुक मूल्य या आईएफसीआई द्वारा नियुक्त मूल्यांकक द्वारा निर्धारित कीमत से कमतर पर गिरवी रखने का प्रावधान था। कंपनी ने न तो शेयरों के बुक मूल्य का निर्धारण किया और न ही स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा मूल्य निर्धारण करवाया। दूसरे संवितरण (31 दिसम्बर 2014) के दौरान, आईएफसीआई की अनुवीक्षण समिति द्वारा स्पष्ट अनुबद्ध (23 जून 2014) कि गिरवी संपत्ति गैर-विशेष आर्थिक जोन (नॉन-एसईजेड) संपत्ति होनी चाहिए उसके बावजूद, आईएफसीआई ने हैदराबाद स्थित सूचना प्रोद्योगिकी (आईटी) तथा आईटी सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) के लिए अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) में भूमि की प्रतिभूति स्वीकार की थी। अभिलेखों मे अनुवीक्षण समिति अनुबद्ध के उल्लंघन के कारण नहीं पाये गए थे। एसईजेड नियमावली, 2006 के नियम 11(9) के अनुसार प्रवर्तक भूमि को नहीं बेच सकता। यदि कर्जदार द्वारा चूक के मामले में भूमि को बेचना पड़ जाए तो यह आईएफसीआई को जोखिम में डाल देगा। मार्च 2016 को बकाया राशि ₹ 245.74 करोड़ थी।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2016) कि एनएसएल के शेयरों की गिरवी अन्य ऋणदाताओं के अनुरूप एक्सिस कैपिटल द्वारा किए गए मूल्य निर्धारण के आधार पर किया गया था। यह भी बताया गया कि एसईजेड अधिनियम ऋणदाता के पक्ष में पट्टा अधिकारों को गिरवी रखने हेतु प्रवर्तक पर रोक नहीं लगाता। कंपनी द्वारा प्राप्त विधिक राय के अनुसार (एसईजेड) भूमि को सरफेसी के अंतर्गत लागू किया जा सकता; हालांकि बिक्री के मामले में हस्तांतरिती को इस भूमि का उपयोग केवल औद्योगिक उद्देश्य हेतु करना पड़ेगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आईएफसीआई ने स्वतंत्र मूल्य निर्धारक द्वारा मूल्य-निर्धारण कराए बिना एनएसएल के शेयरों की गिरवी स्वीकार करके अपनी सामान्य उधार नीति से विचलन किया था। इसके अलावा, एसईजेड भूमि की गिरवी अनुवीक्षण समिति की टिप्पणियों

तथा एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 11(9) के प्रावधानों, जिनमे अनुबद्ध था कि प्रवर्तक एसईजेड भूमि नहीं बेच सकता, के विचलन में था।

ख. रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

आईएफसीआई ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरआईएल) को ₹500 करोड़ का कार्पोरेट ऋण संस्वीकृत किया था (जनवरी 2015)। ऋण का संवितरण (फरवरी 2015) रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) के शेयरों की गिरवी के माध्यम से ऋण राशि के दो गुणा की अंतरिम प्रतिभूति उपलब्ध कराकर किया गया था। दहानु थर्मल पावर स्टेशन की भूमि पर पहले समरूप प्रभार की प्राथमिक प्रतिभूति आठ माह में तैयार की जानी थी। ऋण का पुनर्भुगतान 27 माह के अधिस्थगन के बाद 11 बराबर तिमाही किस्तों मे किया जाना था। मार्च 2016 को बकाया राशि ₹ 500 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईएफसीआई ने 1.75 गुणा (जिसमें से कम से कम 1 गुणा अर्थात ऋण राशि के बराबर का प्रतिभूति कवर मूर्त परिसम्पत्तियों के रूप में अपेक्षित था) के अनुबद्धित सुरक्षा कवर के प्रति केवल 1.25 गुणा प्रतिभूति कवर के साथ आरआईएल को ऋण संस्वीकृत किया था। ऋण का संवितरण रिलायंस पॉवर लिमिटेड के गिरवी शेयरों की अंतरिम प्रतिभूति के आधार पर किया गया था क्योंकि आईएफसीआई ने सरकारी भूमि, जो मूल रूप से बम्बई उपनगरीय विद्युत आपूर्ति (बीएसईएस) को आबंटित (अगस्त 2003) थी तथा अभी आरआईएल[8] को हस्तांतरित की जानी है, के गिरवी के नाते प्राथमिक प्रतिभूति देने हेतु आठ माह का समय दिया था। तथापि, यह देखा गया कि आईएफसीआई ने उसी प्रतिभूति को स्वीकार कर लिया जिसके संबंध में आरआईएल दूसरे ऋण के संबंध में फरवरी 2014 में गिरवी रखने हेतु महाराष्ट्र सरकार से पहले भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहा था। अप्रवर्तनीय प्रतिभूति स्वीकार करने में समुचित सावधानी नहीं दिखाई गयी। जिसके परिणामस्वरूप अब तक गिरवी का सृजन नहीं हुआ। इसके अलावा, आरपीएल जिसके शेयर गिरवी रखे जाने थे, की बाह्रय क्रेडिट रेटिंग 'ए' की अपेक्षित न्यूनतम रेटिंग के बजाय 'ए-' थी।

प्रबंधन (अप्रैल/नवम्बर 2016) ने स्वीकार किया कि इसने कर्जदार के प्रतिष्ठित प्रवर्तकों को ध्यान में रखते हुए संस्वीकृति की शर्तों को माफ़ कर दिया/संशोधित कर दिया तथा भूमि की

---

[8] 24 फरवरी, 2004 से बीएसईएस लिमिटेड का नाम बदल कर रिलायंस एनर्जी लिमिटेड कर दिया गया था तथा रिलायंस एनर्जी लिमिटेड का नाम 28 अप्रैल 2008 से आरआईएल कर दिया गया था।

गिरवी भूलेख में नाम के परिवर्तन की लंबित प्रक्रिया के कारण रखी नहीं की जा सकी। इसके अलावा, आईएफसीआई के पक्ष में प्रतिभूति रखने हेतु आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में पर्याप्त प्रगति हुई है तथा गिरवी शेयरों का कवर 2.00 गुणा के अनुबद्धित कवर के प्रति वर्तमान में 2.18 गुणा था (07/10/2016 को बंद हुई बाजार कीमत के आधार पर)।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 2014 (हस्तांतरण के छह वर्षों के बाद भी) में उसी भूमि को गिरवी रखने हेतु सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कर्जदार की विफलता के बावजूद उक्त को फिर से स्वीकारने से आईएफसीआई ने गुरेज नहीं किया। इसके अलावा, यद्यपि शेयरों का प्रतिभूति कवर 2.18 गुणा है, फिर भी सामान्य उधार नीति अनुबद्ध का अभी तक पालन नहीं किया गया है जिसमें अपेक्षित है कि मूर्त प्रतिभूति कवर ऋण राशि से कम नहीं होना चाहिए।

ग. विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

आईएफसीआई ने विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (वीआईएल) को ₹ 100 करोड़ का कार्पोरेट ऋण संस्वीकृत किया था (जुलाई 2015) तथा ₹ 98 करोड़ का संवितरण किया (सितम्बर 2015)। ऋण को संवितरण की तिथि से 18 माह के स्थगन के पश्चात 14 तिमाही किस्तों में चुकाया जाना था। प्राथमिक प्रतिभूति वाणिज्यिक कॉम्पलैक्स की गिरवी तथा वीआईएल के तथा इसके स्पेशल परपस वेहिकल (एसपीवी) के असूचीबद्ध शेयरों की गिरवी द्वारा दी गई थी। इस वाणिज्यिक कॉम्पलैक्स को नागपुर नगर निगम (एनएमसी) के स्वामित्व वाली भूमि पर बनाया जाना था जिसे निर्माण प्रचालन एवं हस्तांतरण (बीओटी) करार के आधार पर उपरोक्त भूमि के विकास हेतु ओरेंज सिटी मॉल प्राइवेट लिमिटेड (ओसीएमपीएल), वीआईएल तथा काकड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (केआईएल) की एक एसपीवी को हस्तांतरित (8 मई 2014) किया गया था। बकाया मूलधन ₹ 98 करोड़ था (31 मार्च 2016 तक)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऋण की संस्वीकृति 2.41 गुणा के प्रतिभूति कवर तथा 1.1 के चालू अनुपात पर दी गई थी जबकि सामान्य उधार नीति 2.5 के न्यूनतम प्रतिभूति कवर तथा 1.2 का चालू अनुपात का अनुबद्ध करती है, आईएफसीआई ने भी कर्जदार की खराब वित्तीय स्थिति के सूचकों पर ध्यान नहीं दिया जोकि 2013-14 तथा 2014-15 मे राजस्व, लाभों, नकद उपचय, ब्याज कवरेज आदि में गिरावट की प्रवृति से स्पष्ट था। समेकित परिणाम ने 2012-13 में ₹ 7.76 करोड़ के लाभ से 2013-14 में ₹ 3.45 करोड़ की हानि दर्शाई।

प्रचालनों से प्राप्त राजस्व में भी पिछले दो वर्षों में गिरावट आई थी तथा प्रचालन एवं निवेश कार्यकलापों का नकद प्रवाह 2012-13 और 2013-14 के दौरान नकारात्मक था।

बीओटी करार के अनुसार, ओसीएमपीएल को ऋणदाता संस्थानों से वित्त सृजन तथा एनएमसी को पूर्व सूचना के साथ परियोजना या परियोजना स्थल के गिरवी के माध्यम से उक्त को प्रतिभूत करने का अधिकार दिया गया था। तथापि, आईएफसीआई तथा ओसीएमपीएल ने क्रमश: परियोजना स्थल तथा परियोजना[9] को गिरवी रखने के लिए गैर-बकाया प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए एमएमसी को किए गए अनुरोध (16 तथा 21 सितम्बर 2015) के प्रति एनएमसी ने केवल परियोजना के गिरवी रखने की अनुमति दी (28 सितम्बर 2015)। यह देखा गया कि यद्यपि आईएफसीआई ने भूमि तथा उसकी ऊपर की संरचना को गिरवी रखा था फिर भी उक्त को प्रवर्तित करना कठिन होगा, यदि कर्जदार अपने ऋण चुकाने में चूक जाता है, क्योंकि इस परियोजना स्थल को गिरवी रखने के लिए एनएमसी ने अनुमति नहीं दी थी।

बीओटी करार (ओसीएमपीएल के साथ) के अनुसार परियोजना या परियोजना स्थल पर ठेका अवधि की अनुबद्धित तिथि या इसके पहले समापन से परे किसी वित्तीय भार[10] का सृजन नहीं किया जा सकता। यह भी बताया गया कि सभी संदर्भों में निर्माण 6 अगस्त 2016 तक पूरा हो जाना चाहिए। उपरोक्त के मद्देनजर, यह भी देखा गया कि कथित भूमि पर निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, अत: यदि एनएमसी द्वारा करार समाप्त कर दिया जाए तो गिरवी को प्रवर्तित करना कठिन होगा।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त/नवम्बर 2016) कि विचलनों का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया था। उन्होंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि ओसीएमपीएल के पास परियोजना स्थल का स्वामित्व नहीं है तथा बताया कि 29 सितम्बर 2015 को भूमि तथा भवन पर आईएफसीआई के पक्ष में रखा गया गिरवी नियमानुकूल तथा वैध था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विचलनों का अनुमोदन कर्जदार की खराब वित्तीय स्थिति पर चेतावनी सूचकों को अनदेखा करके किया गया था तथा यदि कर्जदार चूक जाता है तो

---

9 बीओटी करार के तहत परियोजना में शॉपिंग माल, बाजारों, होटेल, वाणिज्यिक क्षेत्रों, रेस्त्रा, मनोरंजन क्षेत्रों, पार्किंग क्षेत्र सहित सुविधा के निर्माण, विकास तथा प्रचानन या बीओटी करार की शर्तों के अनुसार कोई अन्य विकास शामिल है।

10 बीओटी करार के अनुसार ऋणभार में गिरवी प्रभार, जमानत, पुनर्ग्रहणाधिकार गिरवी या प्रतिभूति ब्याज या कोई अन्य बंधन शामिल है।

प्रतिभूति का प्रवर्तन करना कठिन होगा क्योंकि एनएमसी द्वारा दी गई अनुमति विशेष रूप से केवल परियोजना के लिए थी जिसमें गिरवी भूमि हेतु अनुमति शामिल नहीं थी।

3.3.2 इरादतन चूककर्ता को संस्वीकृति

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन मामलों में, उन कर्जदारों को ऋण संस्वीकृत किए गए थे जिनके नाम प्रवर्तकों/स्वतंत्र निदेशकों की इरादतन चूककर्ता सूची में थे। यह सामान्य उधार नीति से विचलन में था। एक मामले का ब्यौरा नीचे दिया गया है, एसईडब्लू इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से संबंधित दूसरे मामले पर पैरा 6.3.1 में चर्चा की गई है तथा जुबिलेंट लाइफ साइसेंस लिमिटेड से संबंधित तीसरे मामले का उल्लेख अनुबंध 1 में किया गया है।

मंत्री डेवलपर्स प्राइवेट लमिटेड

आईएफसीआई ने मंत्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (एमडीपीएल) को इसकी रियल एस्टेट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ₹ 100 करोड़ प्रत्येक के दो कार्पोरेट ऋण संस्वीकृत किए थे (जून 2014, सितम्बर 2014)। एमडीपीएल ने बेंगलोर में ₹ 258.74 करोड़ तथा ₹ 251.18 करोड़ (डीएसवी) मूल्य के दो प्लॉटों को गिरवी रखकर प्रतिभूति दी थी (जून 2014, अक्तूबर 2014)। 31 मार्च 2016 तक कुल बकाया ऋण ₹ 177.39 करोड़ था।

आरबीआई दिशानिर्देशों में विशेष रूप से सूचीबद्ध इरादतन चूककर्ताओं को ऋण की संस्वीकृति का निषेध किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान सामान्य उधार नीति ने अनुबद्ध किया कि किसी संस्वीकरण प्राधिकारी द्वारा उन कंपनियों को क्रेडिट सुविधाएं देने के लिए विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी जिनके प्रवर्तक सीआईबीआईएल की इरादतन चूककर्ता सूची में थे। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि एमडीपीएल को पहला ऋण आईएफसीआई के क्रेडिट एवं निवेश समिति द्वारा संस्वीकृत किया गया था (10 जून 2014) जो इसकी उधार नीति से विचलन में था, चूंकि एमडीपीएल का प्रवर्तक 2007 से सीआईबीआईएल की इरादतन चूककर्ता की सूची में था। इस विचलन का अनुमोदन कार्यकारी समिति तथा निदेशक मण्डल द्वारा किया गया था (12 जून 2014), हालाँकि सामान्य उधार नीति ने कभी भी इस विचलन के अनुमोदन की अनुमति नहीं दी। इस ऋण का संवितरण 16 जून 2014 को किया गया था। आईएफसीआई द्वारा इस ऋण की संस्वीकृति एमडीपीएल के इसके संबंधित ग्रुप में ₹ 1200 करोड़ की इसकी अनावृति के साथ-साथ लगभग ₹ 1800 करोड़ की बड़ी आकस्मिक देयता (31 मार्च 2013) के तहत इसकी खराब स्थिति के संबंध में क्रेडिट जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा बताए गए जोखिमों का विश्लेषण किए बिना दी गई थी। यहां तक कि ऋण

सेवा कवरेज अनुपात पिछले दो वर्षों के 0.32 तथा 0.36 (2012 तथा 2013) के अनुपातों के बावजूद अनुमानित ऋण सेवा कवरेज अनुपात ऋण अवधि (2014-15 से 2018-19) के लिए 1.5 था। आईएफसीआई इस तथ्य का संज्ञान लेने में विफल रहा कि टर्नओवर की अनुमानित वृद्धि को अगले तीन वर्षों (क्रमश 65 प्रतिशत, 15 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत) के लिए उच्च दरों पर प्रक्षेपित किया गया था, यद्यपि संस्वीकृति से पूर्व पिछले तीन वर्षों के लिए टर्नओवर के वास्तविक प्रवृत्ति में बहुत ही कम वृद्धि (लगभग 3 प्रतिशत) दर्शाई थी जैसाकि क्रेडिट लेखापरीक्षा रिपोर्ट (जुलाई 2014) में बताया गया था।

दूसरे ऋण की संस्वीकृति एमडीपीएल को पिछले ऋण के संस्वीकरण के तीन माह के पश्चात दी गई थी, हालांकि इसके प्रवर्तक का नाम अभी तक सीआईबीआईएल की इरादतन चूककर्ता की सूची में था। पहले ऋण को संस्वीकृत करते समय प्रक्षेपित की अपेक्षा 2013-14[11] में कम आय/लाभों के वित्तीय ट्रिगर पर भी दूसरे ऋण को संस्वीकृत करने से पूर्व ध्यान नहीं दिया गया था।

प्रबंधन ने बताया (अप्रैल/नवम्बर 2016) कि इरादतन चूककर्ता सूची में प्रवर्तक के नाम के संबंध में विचलन का अनुमोदन बोर्ड द्वारा जून 2016 में दिया गया था। इसके अलावा, रियल एस्टेट क्षेत्र में एमडीपीएल के पर्याप्त अनुभव तथा लेखा का संतोषजनक निष्पादन वह कारक थे जिन पर एमडीपीएल को क्रेडिट सुविधा की संस्वीकृति देते समय विचार किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि सामान्य उधार नीति के साथ-साथ आरबीआई दिशानिर्देश विशेष रूप से इरादतन चूककर्ताओं को ऋण की संस्वीकृति पर रोक लगाते है। इसके अलावा, मौजूद जीएलपी ने विशेष रूप से बताया कि किसी संस्वीकरण प्राधिकरण द्वारा इस विचलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना रूढ़िवादी तरीके से की जानी चाहिए थी क्योंकि सीआरएमडी ने भी कहा था कि कुछ परियोजनाएं कार्यान्वयन/योजना स्तर पर थी इसलिए वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए नकद प्रवाहों की पर्याप्तता का मूल्यांकन स्ट्रेस्ड परिस्थितियों के हिसाब से किया जाना चाहिए।

3.3.3 वित्तीय अनुपातों से विचलन करते हुए ऋणों की संस्वीकृति

लेखापरीक्षा ने देखा कि नीचे दिए गए मामलों के संबंध में ऋणों की संस्वीकृति पात्रता शर्तों से विचलन करते हुए दी गई थी जिनमे अपेक्षित था कि कर्जदार के वित्तीय अनुपात सामान्य उधार नीति की शर्तों के अनुसार होने चाहिए। क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान समुचित

[11] वास्तविक आय तथा पैट ₹ 670 करोड़ तथा ₹ 118 करोड़ के प्रक्षेपणों के प्रति क्रमश: ₹ 522 करोड़ तथा ₹ 70 करोड़

सावधानी नहीं दिखाई गयी थी जिसके परिणामस्वरूप खराब ऋण सेवा क्षमताओं वाले कर्जदारों को ऋण संस्वीकृत हो गए थे। विशेष मामलों पर नीचे चर्चा की गयी है:

क. मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड

कंपनी ने मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड (एमआईईएल) द्वारा जारी किए गए ₹ 250 करोड़ मूल्य के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर का अभिदान किया (फरवरी 2014/मार्च 2014) जो एनसीडी की अवधि पर न्यूनतम 1.25 गुणा के अचल परिसम्पति कवरेज अनुपात (एफसीसीआर) के साथ सभी अचल परिसम्पत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत थी। एमआईईएल ब्याज भुगतान में चूक गया था (नवम्बर 2014 के बाद से) तथा 1 अप्रैल 2015 को देय ₹ 31.25 करोड़ के पहले मूलधन को चुकाने में भी विफल रहा। इसी बीच, इसकी क्रेडिट रेटिंग को दो बार सीएआरई ए+(संस्वीकृति के समय) से सीएआरई ए-(अक्तूबर 2014) तथा बाद में सीएआरई बीबीबी-(नवम्बर 2014) में डाऊनग्रेड किया गया था जो आईएफसीआई को डिबेंचर अंशदान की शर्तों के अनुसार कूपन दर को फिर से नियत करने का अधिकार देता था। संयुक्त ऋणदाता फोरम ने नीतिगत ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) को लागू किया जिसके अनुरूप आईएफसीआई के बकाया ब्याज (₹ 11.69 करोड़) के हिस्से को इक्विटी[12] में बदला गया था। बकाया मूलधन ₹ 250 करोड़ था और बकाया ब्याज ₹ 22.76 करोड़ था (मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एनसीडीज का अभिदान किया गया था यद्यपि प्रतिभूति कवर एफएसीआर के माध्यम से केवल 1.25 था, जबकि सामान्य उधार नीति के अनुसार एफएसीआर 1.75 अनुबद्ध था। कम एफएसीआर पर क्रेडिट जोखिम प्रबंधन विभाग (सीआरएमडी) की टिप्पणियों को यह कहते हुए शामिल किया गया कि भावी नकद प्रवाहों के आधार पर नकदी स्थिति ऋण दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कवरेज अनुपातों से अधिक संबंधित थी। इसके अलावा, कम एफएसीआर होते हुए भी व क्रेडिट एवं निवेश समिति (सीआईसी)/सीआरएमडी के सुझाव के बावजूद अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी। एनसीडीज की अवधि के दौरान एमआईईएल का औसत प्रक्षेपित ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर) 1.29 था, यद्यपि सामान्य उधार नीति में 1.4 का औसत डीएससीआर अनुबद्ध किया गया था। संस्वीकृति के दौरान किए गए डीएससीआर प्रक्षेपण अवास्तविक पाए गए क्योंकि वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान वास्तविक डीएससीआर

[12] अर्थात 34.18 लाख शेयर @ ₹ 34.20 प्रति शेयर (₹ 10 प्रत्येक और ₹ 24.20 प्रति शेयर के प्रीमियम पर)

एक से कम रहा था। कंपनी ने कर्जदार की क्रेडिट रेटिंग के डाऊन ग्रेड होने के बावजूद डिबेंचर अभिदान की शर्तों के अनुसार कूपन दर को पुन: नियत नहीं किया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि एमआईईएल को संस्वीकृति के समय 'सीएआरई ए+' रेटिंग दी गई थी तथा इसमें बैंकिंग प्रणाली का ₹ 5540 करोड़ का कुल निवेश था। वित्तीय वर्ष 2014-15 में एमआईईएल की लाभकारिता बुरी तरह प्रभावित हुई क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोनेट ग्रुप को आबंटित पांच कोयला खानों सहित सभी कोयला खानों का आबंटन रद्द कर दिया तथा इसे ₹ 252 करोड़ का रॉयल्टी भुगतान वहन करना पड़ा था। इसने यह भी बताया कि संघीय व्यवस्था में आईएफसीआई को संघ की शर्तों द्वारा निर्देशित किया जाएगा और इसलिए प्रतिभूति कवर को अन्य एनसीडी अभिदाताओं की संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार 1.25 गुणा पर अनुबद्धित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह तथ्य बताने वाले दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे कि वर्तमान सुविधा संघ व्यवस्था के अंतर्गत थी। संघ व्यवस्था में भी कंपनी को अपने वित्तीय हितों की पर्याप्त रूप से सुरक्षा करनी चाहिए तथा अतिरिक्त प्रतिभूति प्राप्त करनी चाहिए जैसाकि सीआईसी/सीआरएमडी द्वारा सुझाव दिया गया था।

चूंकि नीतिगत ऋण पुनर्संरचना लागू कर दिया गया है, जिससे एमआईईएल की इक्विटी में आईएफसीआई की हिस्सेदारी केवल ₹ 11.69 करोड़ तक ही है, ₹ 272.76 करोड़ की शेष बकाया राशि की वसूली संदेहास्पद है।

ख. भूषण स्टील लिमिटेड

भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) को पूंजीगत व्यय तथा कार्पोरेट ऋण को चुकाने के लिए ₹ 300 करोड़ का कार्पोरेट ऋण संस्वीकृत/संवितरित किया गया था (अगस्त/सितम्बर 2013)। इस ऋण को दो वर्षों के स्थगन के पश्चात 4.5 वर्षों में चुकाया जाना था। कंपनी की मौजूदा/भावी चल तथा अचल परिसम्पत्तियों पर पहले समरूप प्रभार की प्रतिभूति छह माह में दी जानी थी। इसे निदेशकों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति द्वारा भी प्रतिभूत किया गया था। चूंकि बीएसएल नकदी की कमी के कारण अपने ऋणदाता को देयताओं को चुकाने में समस्या का सामना कर रहा था इसलिए संयुक्त ऋणदाता मंच (जेएलएफ) का गठन किया गया तथा जेएलएफ द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) कार्यान्वित की गई थी (अप्रैल 2014)। आईएफसीआई ने सीएपी के अंतर्गत इसको ₹ 100 करोड़ का अतिरिक्त ऋण संस्वीकृत किया

था (जुलाई 2015)। इसका मूलधन बकाया ₹ 389.58 करोड़ था तथा ब्याज चूक ₹ 12.96 करोड़ थी (31 मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऋण की संस्वीकृति आईएफसीआई की मौजूदा सामान्य उधार नीति का उल्लंघन करते हुए दी गई थी क्योंकि अधिकतम ऋण इक्विटी अनुपात 1.5:1 के बजाय 2.24:1 था तथा मौजूदा अनुपात के अनुबद्धित न्यूनतम 1.33 के बजाय 1.06 था। ऋण अवधि के लिए अनुमानित औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात अनुबद्धित न्यूनतम 1.5 के बजाय 1.42 गुणा था। आगे यह देखा गया कि प्रचालन लाभ मार्जिन तथा निवल लाभ मार्जिन में संस्वीकृति से पूर्व पिछले तीन वर्षों में लगातार गिरावट आई थी तथा वित्तीय वर्ष 2014[13] के लिए अनुमानों के अनुसार मार्जिन में और अधिक कमी आने की संभावना थी। इस बारे में सीआरएमडी द्वारा उसके जोखिम पत्र में बताया गया था कि लाभ मार्जिनों में कमी का बीएसएल की नकदी तथा इसके ऋण दायित्वों की व्यवस्था करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता था और विशेष अचल परिसम्पत्तियों पर प्रभार के माध्यम से ऋण को प्रतिभूत करने का पता लगाया जा सकता था। फिर भी ऋण की संस्वीकृति केवल समरूप आधार पर दे दी गई थी तथा निदेशकों की व्यक्तिगत प्रत्याभूति पर ही संवितरण किया गया था। यहां तक कि ऋण इक्विटी अनुपात में ऋण की संस्वीकृति से पूर्व पिछले तीन वर्षों मे निरंतर वृद्धि हुई थी जो 1.83 गुणा से 2.24 गुणा के बीच थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अप्रैल, नवम्बर 2016) कि सुविधा की संस्वीकृति दी गई थी जिसमें सभी विचलनों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथावत अनुमोदन दिया गया था तथा बिक्रियों में वृद्धि के साथ लाभ में काफी सुधार आने की संभावना थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संस्वीकृति के समय लाभ मार्जिन में कमी आई थी जिसमें अनुमानों के अनुसार और अधिक गिरावट आनी थी तथा ऋण-ग्रस्तता के स्तर में वृद्धि हुई थी जो बीएसएल की नकदी तथा इसके ऋण दायित्वों को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित करेगी। इसके अलावा, आरबीआई की स्ट्रैस्ड परिसम्पत्तियों की संधारणीय संरचना योजना के अंतर्गत इसके ऋणों की पुनः संरचना के लिए बीएसएल द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव विचाराधीन था (फरवरी 2017)। इसके साथ ही 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान इसके

---

13 प्रचालन लाभ मार्जिन (2011 में 19 %, 2012 में 13%, 2013 में 11%) तथा निवल लाभ मार्जिन (2011 में 14%, 2012 में 10%, 2013 में 8%)। संभावित प्रचालन लाभ मार्जिन तथा निवल लाभ मार्जिन क्रमशः 8% तथा 6% थे।

ऋण भार[14] के साथ-साथ भारी हानियों[15] में काफी वृद्धि के मद्देनजर ₹ 402.54 करोड़ की वसूली की संभावना संदेहास्पद है।

3.3.4 धन वापसी में चूकों के कारण सुविधाओं की अदला-बदली

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईएफसीआई ने कर्जदार कंपनी में इसकी मौजूदा एक्सपोज़र की अदला बदली के लिए कर्जदार की दूसरी ग्रुप कंपनियों को नई क्रेडिट सुविधाएं संस्वीकृत की थी जब कर्जदार इक्विटी निवेश के ऋण की धन वापसी/वापसी खरीद में चूक गया था। अत: कंपनी ने पुरानी सुविधाओं को बंद कर दिया, तथा उसकी देयताओं को संस्वीकृत की गई नई सुविधाओं में हस्तांतरित कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उसकी पूर्व एक्सपोज़र एवरग्रीन हो सके जिसे चूकों के कारण वसूल नहीं किया जा सका। चूकों के कारण सुविधाओं की अदला-बदली के कुछ मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

क. वीबीसी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

आईएफसीआई ने वीबीसी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (वीबीसीआईएल) के अपरिवर्तनीय डिबेंचर में ₹ 56.74 करोड़ का अभिदान संस्वीकृत किया (मार्च 2013) जिसका उद्देश्य कोना सीमा गैस पावर (केजीपीएल), जो वीबीसीआईएल की ग्रुप कंपनी थी, में आईएफसीआई की ₹ 45 करोड़ की इक्विटी निवेश को अदला बदली करना था। अदला बदली का कारण केजीपीएल की अपनी वापसी-खरीद[16] की प्रतिबद्धता (जुलाई 2012) का भुगतान करने में विफलता के साथ साथ वापसी खरीद की तिथि तक ₹ 11.74 करोड़ के बकाया रिटर्न (16 प्रतिशत पर) के भुगतान में विफलता था। संवितरण 02 अप्रैल 2013 को हुआ तथा प्रथम कूपन 5 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से 15 अप्रैल 2014 को देय था तथा शेष रिटर्न 7 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से एनसीडीज के मोचन के समय देय था। प्रतिभूति केवल केजीपीएल तथा वीबीसीआईएल के गिरवी शेयरों के रूप में थी तथा किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति की मांग नहीं की गई थी। कर्जदार प्रथम कूपन के भुगतान (अप्रैल 2014) में ही चूक गया था तथा तब से कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुए है। कंपनी ने बकाया एनसीडी सहायता को पुन: निर्धारित किया (अक्तूबर 2014) जिसके अनुसार 2 अप्रैल 2013 से 30 सितम्बर 2016 तक **₹** 25.83 करोड़

---

14 दीर्घावधि उधारियों में 2013-14 में ₹5,566.10 से 2014-15 में ₹30,927.72 करोड़ तथा 2015-16 में ₹ 32,326.02 करोड़ तक वृद्धि आई थी।

15 2013-14 में ₹95.33 करोड़ के लाभ से 2014-15 में ₹1254.95 करोड़ तथा 2015-16 में ₹3573.85 करोड़ की हानि हुई।

16 शेयरों की पुन: खरीद

के अदत्त ब्याज का वित्तपोषण तथा एनसीडी की मूलधन धन वापसी को आस्थगित करके सितम्बर 2018 से आरंभ किए जाने का प्रावधान किया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस सुविधा की संस्वीकृति केजीपीएल के इक्विटी शेयरों में आईएफसीआई के निवेश की वापसी-खरीद को सरल बनाने के लिए दी गई थी क्योंकि यह नकदी समस्याओं के कारण इन शेयरों को वापस खरीदने में चूक गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.74 करोड़ की (केजीपीएल द्वारा देय) अनार्जित आय की बुकिंग हुई क्योंकि इसमें केजीपीएल को संस्वीकृत की गई इक्विटी सुविधा पर चूका हुआ रिटर्न शामिल था, जो कर्जदार से वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ था, किंतु अब इसे वीबीसीआईएल को एनसीडीज़ के रूप में दे दिया गया था।

इसके अलावा, नई अदला-बदली सुविधा की संस्वीकृति कर्जदार की धन वापसी क्षमता का विश्लेषण किए बिना दी गई थी। संस्वीकृति के समय कर्जदार का संयत्र चालू नहीं था (मार्च 2013) जिसकी आईएफसीआई ने जांच नहीं की थी क्योंकि कोई साइट दौरा नहीं किया गया था। सुविधा की संस्वीकृति अपर्याप्त तथा अविक्रेय प्रतिभूतियों के साथ दी गई थी, उस समय केजीपीएल के शेयर असूचीबद्ध थे तथा वीबीसीआईएल के शेयर निश्चित अवरूद्धता अवधि में तथा कम ट्रेडिड थें, जिससें कर्जदार द्वारा चूक के मामले में प्रतिभूति के प्रवर्तन हेतु एक्जिट विकल्प सीमित हो गए। कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि जब कर्जदार ने एनसीडीज की सर्विसिंग करने में अपनी अक्षमता व्यक्त कर दी थी (2 अप्रैल 2014)। इन चूकों के बावजूद, सुविधा को मानक परिसम्पति माना गया था। क्रेडिट जोखिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट (जुलाई 2014), जिसमे सुविधा को उच्च जोखिम की श्रेणी में रखा गया था, को इस स्पष्टीकरण के साथ बंद कर दिया गया कि प्रक्रिया में कोई कमी नहीं थी।

प्रबंधन ने स्वीकार किया कि प्रवर्तक के पास केजीपीएल मे आईएफसीआई के इक्विटी अधिकार वापस खरीदने के लिए या खराब नकद प्रवाह स्थिति के मद्देनजर निश्चित रिटर्न की सर्विस के लिए कोई नकदी नहीं थीं। इसने स्वीकार किया कि अदला-बदली का मुख्य उद्देश्य वैध तरीकों से इसकी प्राप्य राशियों की वसूली करना था। उन्होंने तथ्य को स्वीकार किया कि संस्वीकृति के समय कर्जदार के प्रचालन बंद थे। आगे यह बताया गया कि वीबीसीआईएल के पास संस्वीकृति के समय सात करोड़ रूपए का ईबीआईटीडीए था जिसके भविष्य में मांग में वृद्धि होने से बढ़ने कीसंभावना थी।

प्रबंधन की स्वीकृति से पता चला कि इस सुविधा की संस्वीकृति का उद्देश्य वापसी खरीद में चूक के कारण केजीपीएल में इसकी इक्विटी के एक्सपोज़र को एवरग्रीन करना था। इसके परिणामस्वरूप आईएफसीआई के जोखिम को बढ़ाते हुए ₹ 10.81 करोड़[17] के वित्त पोषित ब्याज की धन वापसी के संबंध की भावी देयता के अलावा 31 मार्च 2016 तक ₹ 71.76 करोड़[18] की वसूली संदेहास्पद है|

ख. पिपावाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड तथा पिपावव मरीन एंड ऑफशोर लिमिटेड

आईएफसीआई ने एसकेआईएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एसकेआईएल, ग्रुप कंपनी) को पूर्व में स्वीकृत संस्वीकृत दो सुविधाओं (मई 2010 तथा अप्रैल 2011), अर्थात ₹ 150 करोड़ का एक लघु अवधि ऋण (एसटीएल) तथा ₹ 200 करोड़ का विकल्पत: परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडीज), के संबंध में आईएफसीआई की मौजूदा एक्सपोज़र की अदला-बदली के उद्देश्य हेतु पिपावाव डिफेंस एण्ड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (पीडीओईसीएल) तथा पिपावाव मरीन एंड ऑफशोर लिमिटेड (पीएमओएल) को क्रमश: ₹ 150 करोड़ तथा ₹ 202.22 करोड़ के ऋण संस्वीकृत किए (मार्च 2014/मार्च 2013)।

एसकेआईएल को लघु अवधि ऋण, जिसकी पीडीओईसीएल के ऋण के साथ अदला बदली की गई थी, संस्वीकृत किया गया था यद्‌यपि इसके लाभ इसकी धन वापसी क्षमता के अनुरूप नहीं थे। इसके अलावा, एसकेआईएल पहले ही अन्य सत्वों का ₹ 615 करोड़ का ऋणी था तथा ग्रुप कंपनियों, जिसके सूचीबद्ध शेयरों को प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत किया गया था, या तो नई थी या क्षीण लाभ कमा रही थी, जोकि सामान्य उधार नीति के विरूद्ध था जो अपेक्षा करती है कि कंपनी, जिसके शेयर गिरवी रखे गए है, पिछले तीन वर्षों से लाभ अर्जित करने वाली तथा प्राथमिकता के साथ लाभांश का भुगतान करने वाली होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि पीडीओईसीएल को ऋण की संस्वीकृति इसकी खराब वित्तीय स्थिति के बारे में ज्ञात होने के बावजूद उक्त को एसकेआईएल के ऋण की थोड़ी धन वापसी के लिए उपयोग करने की शर्त के साथ दी गई थी। ऋण इक्विटी अनुपात 2.33 था जोकि जीएलपी द्‌वारा अनुबद्धित 1.6 के अधिकतम से अधिक था और प्रतिभूति कवर जीएलपी द्‌वारा अनुबद्धित दो गुणा के न्यूनतम प्रतिभूति कवर के बजाय केवल 1.78 गुणा था। इसके

---

[17] ₹ 25.83 करोड़ - ₹ 15.02 करोड़

[18] ₹ 15.02 करोड़ के वित्तपोषित ब्याज सहित (31 मार्च 2016 तक)

अलावा, संस्वीकृति के समय यह अन्य संघ ऋणदाताओं को नियमित रूप से अपने ऋण की सर्विस करने में भी समर्थ नहीं था। इस सुविधा की अदला-बदली के समय, आईएफसीआई ने एसकेआईएल द्वारा लिए गए ऋण के संबंध में मूलधन तथा ब्याज के प्रति क्रमश: ₹ 9.50 करोड़ तथा ₹ 27.78 करोड़ का समायोजन (जून 2014) किया था तथा दांडिक ब्याज और लिक्विडेटेड हर्जानों के प्रति ₹ 12.65 करोड़ छोड़ दिए थे जो एसकेआईएल द्वारा धन वापसी में चूक के कारण उदगृहित किए गए थे। मार्च 2016 तक पीडीओईसीएल की बकाया देयताए ₹ 181.09 करोड़ थी जिसमें ₹ 31.09 करोड़ का ब्याज शामिल था।

पीएमओएल को ऋण के साथ ओसीडीज की अदला-बदली के संबंध में, यह देखा गया कि पीएमओएल एक नई निगमित कम्पनी थी (जून 2012) जिसकी प्रदत पूंजी केवल ₹ 5 लाख थी। संस्वीकृति के समय प्रतिभूति कवर भी दो गुणा कवर के जीएलपी अनुबद्ध के बजाय केवल 1.32 गुणा होने के नाते अपर्याप्त था। इस सुविधा की अदला-बदली के समय आईएफसीआई ने एसकेआईएल के ओसीडीज़ पर ₹ 12.92 करोड़ का रिटर्न छोड़ दिया था। पीएमओएल के प्रति बकाया देनदारियाँ ₹ 166.50 करोड़ थी जिसमें ₹ 15.20 करोड़ का ब्याज शामिल था ।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि आईएफसीआई ने फिर भी दोनों सुविधाओं को इस तथ्य के बावजूद मानक परिसम्पतियों के रूप में वर्गीकृत किया कि एसकेआईएल को मूल सुविधाओं को पुन: निर्धारित किया गया था तथा फिर पीडीओईसीएल तथा पीएमओएल को दिए गए ऋणों के साथ अदला-बदली कर दी गई थी।

ग्रुप कम्पनियों में पुरानी सुविधा के साथ नई की अदला-बदली के परिणामस्वरूप इसके एनपीए बनने में गतिरोध आया तथा यह एवरग्रीन हो गई। 31 मार्च 2016 को दोनों सुविधाओं के लिए आईएफसीआई की ₹ 347.59 करोड़, (₹ 46.29 करोड़ के ब्याज सहित) की एक्सपोजर संदेहास्पद बनी रही। इसके अलावा दांडिक ब्याज, लिक्विडेटेड हर्जानों तथा ओसीडीज़ पर रिटर्न को छोड़ने के कारण ₹ 25.57 करोड़[19] की राजस्व हानि हुई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई/दिसम्बर 2014[20] तथा नवम्बर 2016) कि एसकेआईएल को ऋण की संस्वीकृति इसकी वित्तीय स्थिति तथा भावी योजनाओं के आधार पर सोचा-समझा कारोबारी निर्णय था जिसे अर्थव्यवस्था में अप्रत्याशित मंदी के कारण मूर्त रूप नहीं दिया

---

19 पीडीओईसीएल में ₹ 12.65 करोड़ तथा पीएमओएल में ₹ 12.92 करोड़।

20 उत्तर मंत्रालय को जारी ड्राफ्ट पैरा के संबंध में है (नवम्बर 2014) जिसे अब निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है।

जा सका था। एसकेआईएल का संबंधित अकाउंट बंद हो गया है। पीडीओईसीएल के ऋण को सीडीआर के संरक्षण के तहत पुन: संरचित किया गया है। रिलायंस ग्रुप द्वारा पीडीओईसीएल/ पीएमओएल के अधिग्रहण के अनुसार उन्होंने नई शर्तों पर मौजूदा सुविधाओं को पुन: वितपोषित करने के लिए प्रस्ताव रखा है। पीएमओएल को नया ऋण केवल एसकेआईएल में निवेश हेतु परिसम्पति गुणवत्ता को सुधारने के लिए दिया गया था। इसके अतिरिक्त इस संबंध मे वर्तमान प्रतिभूति कवर 1.22 गुणा था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अदला-बदली के परिणामस्वरूप अनवरत चूकों के बावजूद संदेहास्पद सुविधा की एवरग्रीनिंग हुई। प्रतिभूति कवर में सुधार की उम्मीद पर एसटीएल/ओसीडीज़ की संस्वीकृति कर्जदार की खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनजर अविवेकपूर्ण थी। रिलायंस ग्रुप की पुन: वितपोषण शर्ते भी अभी केवल प्रस्ताव चरण पर थी (नवम्बर 2016)। पीएमओएल को सुविधा के संबंध में 1.22 गुणा का प्रतिभूति कवर अभी तक भी सामान्य उधार नीति के दो गुणा के अनुबद्ध से कम है।

अध्याय 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने एनबीएफसी-एनडी-एसआई को दिशा-निर्देश जारी किये जिन्हें आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदंड के रूप में जाना जाता है। इन निर्देशों के अनुसार प्रत्येक एनबीएफसी को; सुपरिभाषित क्रेडिट कमजोरियों की मात्रा और वसूली के लिए समर्थक प्रतिभूति पर निर्भर रहने की सीमा को ध्यान में रखते हुए, अपने ऋण और अग्रिम तथा किसी अन्य प्रकार के क्रेडिट को मानक, अव-मानक, शंकापूर्ण और हानि वाली परिसंपत्तियों में वर्गीकृत करना चाहिए। इन परिसंपत्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रावधान के प्रतिमान भी निर्दिष्ट किये गये हैं। आरबीआई ने ऋण के इक्विटी में परिवर्तन, पुनर्गठन और प्रतिभूति मूल्यांकन में संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किये। आईएफसीआई द्वारा इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा से निम्नलिखित ज्ञात हुआ:

3.1 परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान के लिए आरबीआई के प्रतिमान

आरबीआई अनुबद्ध करता है कि परिसंपत्तियों, जिन के संबंध में ब्याज या मूल पांच महीनों से अधिक बकाया हो, को अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, अनर्जक परिसंपत्ति को अव-मानक, शंकापूर्ण और हानि वाली परिसंपत्तियों में वर्गीकृत किया जाना है और उनके प्रति, किसी खाते के अनर्जक होने, उस रूप में उसकी मान्यता, प्रतिभूति की वसूली और प्रभारित प्रतिभूति के मूल्य में समय के दौरान कमी, के बारे में समय अंतराल को ध्यान में रखने के बाद, प्रावधान तैयार किये जाने अपेक्षित हैं, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-4: आरबीआई के वर्गीकरण और प्रावधान के नियम

परिसंपत्ति की प्रकृति	वर्गीकरण प्रतिमान	प्रावधानिकरण प्रतिमान
1. हानि वाली परिसंपत्तियां	क) वह परिसंपत्ति जिसे एनबीएफसी/आंतरिक/बाह्य लेखापरीक्षा/आरबीआई द्वारा हानि वाली परिसंपत्ति के रूप में पहचाना गया है जिस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया है। ख) कोई परिसंपत्ति जो	संपूर्ण परिसंपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया जायेगा। यदि परिसंपत्ति को किसी कारण से बही खातों में रखने की अनुमति थी, तो बकाया के 100 *प्रतिशत* का प्रावधान किया जाना चाहिए।

	प्रतिभूति की अनुपलब्धता, या इसके मूल्य में क्षरण या कर्जदार द्वारा धोखाधड़ी या चूक के कारण वसूल न हो पाने के खतरे से प्रभावित हो	
2. शंकापूर्ण परिसंपत्तियां	एक परिसंपत्ति जो 16[21] महीनों से अधिक की अवधि तक अव-मानक रहती है।	(क) परिसंपत्ति के उस भाग के प्रति, जो प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा कवर नहीं है, 100 *प्रतिशत* का प्रावधान किया जाना चाहिए। (ख) उपरोक्त मद (क) के अतिरिक्त, परिसंपत्ति के शंकापूर्ण रहने की अवधि के आधार पर, प्रतिभूत भाग के 20% से 50% की सीमा तक (अर्थात: बकाया का संभावित वसूली योग्य मूल्य) का प्रावधान निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिए:
अवधि जिसके लिए परिसंपत्ति को शंकापूर्ण माना गया है।		*प्रावधान (प्रतिशत के रूप में)*
एक वर्ष तक		*20*
एक वर्ष से तीन वर्ष		*30*
तीन वर्ष से अधिक		*50*
3. अव-मानक परिसंपत्तियां	परिसंपत्ति जिसे 16[22] महीनों तक की अवधि के लिए अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	कुल बकाया के 10 *प्रतिशत* का एक सामान्य प्रावधान किया जाएगा।

उपरोक्त प्रावधान के प्रतिमानों की अनुपालना की समीक्षा लेखापरीक्षा में की गई थी और निम्नलिखित कमियां पाई गई:

[21] पहले के 18 महीनों के प्रतिमानों से, 16 महीनों (2015-16 से प्रभावी) के लिए संशोधित किया गया।

[22] पहले के 18 महीनों के प्रतिमानों से, 16 महीनों (2015-16 से प्रभावी) के लिए संशोधित किया गया।

- लवासा कार्पोरेशन लिमिटेड को दिये गये ऋण को उपलब्ध अपर्याप्त प्रतिभूति और कंपनी द्वारा एक परिसमापन याचिका फाईल करने के मद्देनजर उपरोक्त आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार हानि परिसंपत्तियों की अपेक्षा अव-मानक के रूप में गलत प्रकार दर्शाया गया था जिसके कारण 2015-16 में ₹54.18 करोड़ का लाभ अधिक बताया गया।

  प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि बकाया ऋण मूर्त परिसंपत्तियों के रूप में 40 *प्रतिशत* की सीमा तक अतिरिक्त रूप से प्रतिभूत किया गया था और 31 मार्च 2016 को चूक की अवधि के आधार पर 10 *प्रतिशत* प्रावधान किया गया था। उपलब्ध प्रतिभूति अपर्याप्त होने के मद्देनजर उत्तर मान्य नहीं है।

- वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए पीपावाव मरीन और ऑफशोर लिमिटेड (पीएमओएल) को प्रदान की गई क्रेडिट सुविधा अपर्याप्त प्रतिभूति कवर, समूह के विगत खराब ट्रैक रिकॉर्ड के बावजूद आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार संदिग्ध परिसंपत्ति दर्शाने की अपेक्षा मानक परिसंपत्ति दर्शाई गई थी। इसके कारण क्रमश: ₹79.36 करोड़ और ₹151.96 करोड़ तक का अधिक लाभ बताया गया।

  प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि पर्याप्त प्रतिभूति कवर उपलब्ध था।

  उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 1.22 की प्रतिभूति कवर सामान्य उधार नीति के अनुबद्ध अर्थात 2 गुणा प्रतिभूति कवर से अब भी कम थी ।

- विज़डम ग्लोबल इंटरप्राईज़ लिमिटेड (डब्ल्यूजीईएल) को दिये गये ₹38.02 करोड़ के बकाया ऋण के प्रति प्रदान की गई प्रतिभूति विवादास्पद थी और तद्नुसार 100 *प्रतिशत* का प्रावधान ही आवश्यक था जिसके प्रति कंपनी ने आंशिक प्रावधान किया था। इसके परिणामस्वरूप 2015-16 में ₹12.10 करोड़ से अधिक लाभ बताया गया।

  प्रबंधन ने, इस तथ्य के अतिरिक्त कि भूमि विवादास्पद थी, यह तथ्य स्वीकार किया (नवम्बर 2016) कि ऋण के लिए प्रतिभूति यह कृषि भूमि तीसरी पार्टी के कब्जे में थी।

4.2 बकाया मूलधन के ऋण या इक्विटी में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

1. आरबीआई दिशा-निर्देशों (मार्च/जुलाई 2015) के अनुसार यदि ऋण या इक्विटी निवेश बकाया मूलधन के परिवर्तन द्वारा सृजित किया जाता है, तो यह पुनर्गठित अग्रिम के समान परिसंपत्ति श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ऐसे परिवर्तित लेखपत्रों को चालू निवेश के रूप में माना जाएगा और निम्नतया मूल्यांकित किया जाएगा:

(i) मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत इक्विटी, यदि सूचीबद्ध है तो बाजार मूल्य पर या यदि सूचीबद्ध नहीं है तो ब्रेक-अप मूल्य पर मूल्यांकन होगा।

(ii) अनर्जक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत इक्विटी निवेश यदि सूचीबद्ध है तो बाजार मूल्य पर या यदि सूचीबद्ध नहीं है तो ₹ 1 पर मूल्यांकन होना चाहिए।

2. इसके अतिरिक्त, आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऋण के इक्विटी में परिवर्तन को केवल सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में किया जाना चाहिए।

यद्यपि, उपरोक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि:

- पुनर्गठन के भाग के रूप में ऋण के इक्विटी में परिवर्तन करने से प्राप्त इस्सार स्टील लिमिटेड, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और पॉलीजेंटा टेक्नोलॉजिज लिमिटेड के गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर आरबीआई दिशानिर्देश (मार्च/जुलाई 2015) द्वारा निर्दिष्ट चालू निवेश के स्थान पर दीर्घ-अवधि निवेश के अंतर्गत नये निवेश दर्शाए गये थे। इसके परिणामस्वरूप 2014-15 में ₹2.96 करोड़ और 2015-16 में ₹2.05 करोड़ का अधिक लाभ बताया गया।

  प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि चूंकि इन कंपनियों में निवेश एक वर्ष से कम अवधि तक रखने के लिए नहीं किये गये थे, इसलिए ये आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार दीर्घावधि निवेशों के रूप में वर्गीकृत किये गये थे।

  उत्तर मान्य नहीं हैं क्योंकि ये निवेश परिवर्तित परिसंपत्तियां थी जिनके लिए कथित आरबीआई दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया था।

4.3 दीर्घावधि निवेश के लिए लेखाकरण

आरबीआई दिशा-निर्देश (मार्च/जुलाई 2015) अनुबद्ध करते हैं कि दीर्घावधि निवेश भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक अर्थात लेखाकरण मानक-13 के अनुसार मूल्यांकन किये जाने हैं जिसमें यह अपेक्षित था कि अस्थाई के अतिरिक्त कमी लाभ और हानि लेखा में प्रभारित की जानी थी।

यद्यपि, 2014-15 के दौरान, कंपनी ने इक्विटी शेयरों के मूल्य में कमी के प्रति प्रावधान के लिए एक नीति अपनाई जिसके अनुसार कोई भी कमी तब तक प्रभारित नहीं की जाएगी जब तक कि वापसी-खरीद व्यवस्था में चूक न हो और गैर-सूचीबद्ध इक्विटी के बहीखाता

मूल्य में कमी 75 *प्रतिशत* से अधिक न हो। यह उपरोक्त आरबीआई दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच से पता चला कि इस नीति के परिणामस्वरूप, कंपनी ने निवल संपत्ति के क्षरण, सतत नकद हानि, प्रतिशेयर नकारात्मक अर्जन, संचित हानियों और निवेशित कंपनियों द्वारा वापसी-खरीद प्रतिबद्धता न होने/चूक होने के बावजूद 2014-15 में छः इक्विटी[23] निवेशों के संबंध में ₹734.31 करोड़ के दीर्घावधि निवेश के प्रति कोई प्रावधान नहीं किए/अपर्याप्त प्रावधान किए।

2015-16 में भी इसी प्रथा को अपनाने के कारण विगत वर्ष के दौरान उपरोक्त छः कंपनियों में से पांच के संबंध में ₹706.17 करोड़ के दीर्घावधि निवेश के प्रति अपर्याप्त प्रावधान हुए।

केवल बही खाते मूल्य के आधार पर गैर- सूचीबद्ध इक्विटी के मूल्यांकन ने निवेश के सही मूल्य को नहीं दर्शाया। ऐसे गैर-सूचीबद्ध शेयरों के मूल्य में कमी को निवेशों के उचित मूल्य को दर्शाने के लिए उपयुक्त रूप से प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। निवेशों के मूल्यांकन को इस तथ्य से भी पुष्टि मिलती है कि सामान्यत: वित्तपोषण के अंतर्गत सहायता गैर- सूचीबद्ध इक्विटी के रूप में होती है और वापसी-खरीद में चूक कंपनी की एनपीए स्थिति में नहीं दर्शायी जाती है यद्यपि वे आधारभूत रूप से ख़राब निवेश हैं।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि कोई अपर्याप्त प्रावधान नहीं था। तथापि, ये निवेश 2016-17 में नये मूल्यांकन करके पुन: निर्धारित किये जाएंगे।

उत्तरों को इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि वे कंपनियां जिनमें ये निवेश किये गये थे, वापसी-खरीद में कोई प्रतिबद्धता न /चूक होने के अलावा वित्तीय रूप से कमजोर थीं।

4.4 आरबीआई के पुनर्गठन प्रतिमान

एनबीएफसीज़ द्वारा अग्रिमों के पुनर्गठन पर आरबीआई के विवेकपूर्ण प्रतिमानों (मार्च/जुलाई 2015) ने अनुबद्ध किया कि तब तक किसी भी खाते को पुनर्गठन के लिए नहीं लिया जाएगा जब तक कि वित्तीय व्यवहारिकता और कर्जदार से पुन: भुगतान की तर्कपूर्ण निश्चितता नहीं स्थापित हो जाती। निम्नलिखित मामलों में उपरोक्त प्रतिमानों का उल्लंघन पाया गया:

---

23 एबीजी सीमेंट लिमिटेड, गायत्री हाई-टैक हॉटल लिमिटेड, एचपीसीएल मित्तल एनर्जी, गुजरात स्टेट एनर्जी जेनेरेशन लिमिटेड, एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज और चेन्नै नेटवर्क इंफ्रास्ट्रैक्चर।

- कंपनी ने गायत्री एनर्जी वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड (जीईवीपीएल) को पुनर्निर्धारण पैकेज संस्वीकृत किया (जून 2015) और व्यवहारिकता प्रक्षेपणों से ₹150 करोड़ की वापसी-खरीद देयता को इस आधार पर घटाया कि उक्त को जीपीएल (मूल कंपनी) द्वारा वहन किया जाना था और न कि जीइवीपीएल (कर्जदार) द्वारा जिसका खाता पुनर्गठित किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, पुनर्संरचना को जीपीएल द्वारा पुन: भुगतानों की व्यवहारिकता का विश्लेषण किये बिना और इन तथ्यों का संज्ञान लिये बिना अनुमोदन किया गया कि इसकी वित्तीय अवस्था में गिरावट हुई थी तथा जीपीएल नकदी की कमी को झेल रही थी और जनवरी 2015 में ही संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलएफ[24]) के अंतर्गत अपने सभी ऋणों को पुनर्गठित किया गया था। कंपनी का यह कार्य जीइवीपीएल की कमजोर क्रेडिट सुविधा को एवरग्रीन करने का प्रयास था।

  प्रबंधन का उत्तर (नवम्बर 2016), कि जीइवीपीएल और जीपीएल दोनों के प्रक्षेपणों को ध्यान में रखा गया, मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय व्यवहारिकता को स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि विशिष्ट रूप से जीपीएल ऋण को जनवरी 2015 में जेएलएफ के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया था जबकि जीइवीपीएल ऋण जून 2015 में पुनर्गठित हुआ था।

- इंड स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड (आईएसएलएल) और इण्ड स्विफ्ट लिमिटेड (आईएसएल) के संबंध में 2012-13 (आईएसएल और आईएसएलएल में क्रमश: ₹120.94 करोड़ और ₹119.91 करोड़) में कर्जदारों द्वारा उठाई गई हानि, बड़ी वित्त लागत और प्रति शेयर नकारात्मक नकद अर्जन और इस तथ्य कि कर्जदार ने जुलाई 2012 के कार्पोरेट ऋण पुनर्संरचना पैकेज के अनुपालन करने में चूक की थी, के बावजूद पुनर्संरचना (जून 2013) की गई थी। इस प्रकार वित्तीय व्यवहारिकता को स्थापित नहीं किया जा सका।

  प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि दोनों कंपनियों के संबंध में ऋण मार्च 2016 में दिए गये थे। उत्तर वित्तीय व्यवहारिकता स्थापित किये बिना ऋणों की पुनर्संरचना के मामले पर रोशनी नहीं डालता जैसा कि लेखापरीक्षा में इंगित किया गया है।

- आईवीआरसीएल इंदौर गुजरात टॉल लिमिटेड (आईआईजीटीएल), इंदौर और आईवीआरसीएल छेंगापल्ली टॉल लिमिटेड (आईसीटीएल) के संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि दोनों मामलों में वित्तीय व्यवहारिकता के निर्धारण में बाह्य निधियों की उपलब्धता

---

[24] आरबीआई के जेएलएएफ दिशा-निर्देशों के अंतर्गत स्ट्रेस्ड खाते के जल्दी समाधान हेतु एक संयुक्त सुधारात्मक कार्यवाही योजना बनाने के लिए उधारदाताओं की एक समिति।

को परिकल्पित किया, जो वर्तमान में स्वयं (आईसीटीएल) सहित कई अन्य परियोजनाओं में कर्जदारों के निवेशों को बेचने[25] से आने थे और न कि आंतरिक प्रोद्भवन से अर्थात उन परियोजनाओं के नकद प्रवाह से जिनके लिए सुविधा को संस्वीकृत किया गया था। चूंकि निवेशों के लिए बिक्री के विलेखो को अभी पूरा किया जाना शेष था, इसलिए योजनाबद्ध आगामी तीन वर्षों में उनके प्रोद्भवनों की यथार्थता की कल्पना नहीं की जा सकी। इसलिए आरबीआई नियमों के अनुसार वित्तीय व्यवहारिकता को स्थापित किया जाना शेष था। पुनर्संरचना (ब्याज वापसी और अतिरिक्त प्रावधान के कारण) के कारण आईआईजीटीएल और आईसीटीएल के संबंध में लाभ प्रदत्ता पर प्रभाव क्रमश: ₹13.91 करोड़ और ₹13.26 करोड़ था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि कंपनी तीन एसपीवी में हिस्सेदारी की बिक्री में प्रक्रियारत है और बिक्री प्रक्रिया के लिए सभी उधारदाताओं की सहमति भी प्राप्त की जा चुकी है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तथ्य यह है कि पुनर्संरचना के लिए वित्तीय व्यवहारिकता स्थापित करना शेष रहा है क्योंकि एसपीवी की बिक्री पूर्ण नहीं हुई थी।

4.5 आरबीआई द्वारा जारी पूर्वव्यापी पुनर्संरचना के प्रतिमान

आरबीआई प्रतिमानों (मार्च/जुलाई 2015) के अनुसार, एनबीएफसी पूर्वव्यापी प्रभाव से कर्जदारों के खातों की पुनर्संरचना/पुनर्निर्धारण/पुन: मोल-भाव नहीं कर सकता। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मामलों में इन प्रतिमानों का उल्लंघन देखा:

- आईवीआरसीएल गुजरात और आईवीआरसीएल छेंगापल्ली के संबंध में पुनर्संरचना के लिए कर्जदारों के अनुरोध के सम्बन्ध में यह देखा गया कि आईएफसीआई ने पुनर्संरचना 30 जून 2014 से अनुमोदित की अर्थात पुनर्संरचना आवेदन की प्राप्ति (आईवीआरसीएल गुजरात और आईवीआरसीएल छेंगापल्ली के संबंध में क्रमश: अक्टूबर 2014 और नवम्बर 2014) से पहले। उक्त को करने का कारण यह था कि ऋण को एनपीए होने से बचाया जा सके जिसके कारण वर्तमान पांच *प्रतिशत* के स्थान पर 10 *प्रतिशत* के उच्चतर एनपीए प्रावधान करने पड़ते।

---

[25] यह अपने ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु नकद प्रवाह सृजित करने के लिए कंपनी की परिसंपत्तियां बेचने की प्रक्रिया है।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि उनके अनुसार आवेदन की प्राप्ति की तिथि से पहले के ब्याज को भी वित्त-पोषित किया जा सकता है।
उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ ऋणों की पुनर्संरचना करने की आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमति नहीं है।

- बिनानी सीमेंट लिमिटेड (बीसीएल) के संबंध में पुनर्संरचना प्रस्ताव का अनुमोदन (9 दिसम्बर 2014) बीसीएल के पुनर्संरचना अनुरोध (2 अगस्त 2014) की प्राप्ति से पहले की तिथि अर्थात 15 फरवरी 2014 से ऋणों की पुनर्संरचना द्वारा लागू किया गया था जो कि उपरोक्त आरबीआई दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था क्योंकि खाते की पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पुनर्संरचना की गई थी।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि पुनर्संरचना प्रस्ताव 12 अगस्त 2014 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था और मास्टर पुनर्संरचना करार 13 दिसम्बर 2014 को हस्ताक्षरित किया गया था। यद्यपि उत्तर ऋणों की पूर्वव्यापी पुनर्संरचना के मामले का समाधान नहीं दर्शाता जैसा कि लेखापरीक्षा में इंगित किया गया था।

अध्याय 5: बट्टे खाते में डाले गये ऋण

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान (2012-13 से 2015-16), ₹1637.87 करोड़ की मूलधन राशि को कम्पनी ने बट्टे खाते में डाल दिया था चूंकि अपर्याप्त/अप्रवर्तनीय सुरक्षा कवर के कारण वसूली की संभावनाएं क्षीण थी। बट्टे खाते में डाले गये 11 ऋणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि कम्पनी को 2012-13 से 2015-16 के दौरान इन ऋणों को बट्टे खाते में डालने से ₹1235.65 करोड़[26] की हानि हुई थी।

ऋणों की संस्वीकृति और वसूली में विभिन्न कमियों को विशेष रूप से कुछ उदाहरणों द्वारा दर्शाया गया है जो इन्हें बट्टे खाते में डाले जाने के लिए उत्तरदायी हैं:

क. मुरली इन्डस्ट्रीज लिमिटेड

कम्पनी ने मुरली इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) को ₹50 करोड़ के दो ऋण संस्वीकृत किये (जुलाई 2010 और सितम्बर 2010) और क्रमश: ₹50 करोड़, ₹46.5 करोड़ संवितरित किए थे जो एमआईएल के ₹2.08 करोड़ के गिरवी इक्विटी शेयरो से सुरक्षित किये गये थे। उधारकर्ता ने भुगतान में चूक करना प्रारंभ कर दिया (दिसम्बर 2010) और दूसरे ऋण की संस्वीकृति के चार महीने के भीतर कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (दिसम्बर 2010) के लिए अनुरोध किया। सम्पूर्ण मूलधन 96.50 को बट्टे खाते में डाला गया था और वसूल नहीं किया गया ब्याज ₹178.14 करोड़ मूल्य का था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि यद्यपि निवर्तमान सामान्य ऋण नीति के प्रावधान के अनुसार कम्पनी के लिए जिसके शेयर को गिरवी रखा जा रहा था, 'ए' क्रेडिट रेंटिग निर्धारित की गयी थी, उधारकर्ता की क्रमश: 'बीबीबी'+ और 'बीबी'- की निम्न क्रेडिट रेटिंग पर ऋण संस्वीकृत किये गये थे। सामान्य ऋण नीति में भी 1.5:1 का अधिकतम ऋण इक्विटी अनुपात अनुबद्ध था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि उधारकर्ता के डीईआर को विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉड (एफसीसीबी) एवं देय विक्रय कर/केन्द्रीय विक्रय कर को अर्ध इक्विटी मानकर संगणना की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 2007-08 से 2009-10 के बीच कम ऋण इक्विटी अनुपात 0.93 से 2.06 के बीच था जबकि वास्तविक डीईआर 1.94 से 2.06 के बीच था। एमआईएल के शेयर मूल्यो में अत्यधिक अस्थिर[27] गतिविधि के बावजूद कोई अन्य मूर्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गयी थी। लेखापरीखा में यह भी पाया गया कि

---

[26] बट्टे खाते में डाला गया मूलधन ₹561.14 करोड़+वसूला नहीं गया ब्याज ₹ 674.51 करोड़

[27] ₹ 200-250 (जनवरी 2006), ₹ 1200 जुलाई 2007 से ₹ 250 (सितम्बर 2008), ₹ 70 (मार्च 2009) और ₹ 368 (17 मार्च 2010 से ₹ 10 से ₹ 2 के अंकित मूल्य में विभाजित हुआ)

₹ 2.08 करोड़ के गिरवी शेयर मे से आईएफसीआई को निवेश सूची को हस्तान्तरित करने के बजाय 7.89 लाख शेयर गिरवी रखने वाले को (23 मार्च 2011) वापस किये गये थे, जिससे उधारकर्ता को ₹ 2.70 करोड़ तक का अनुचित लाभ विस्तारित किया गया। गिरवी रखे गये शेष शेयरो के विक्रय में लापरवाही की गयी थी जिससे केवल ₹ 47.15 लाख शेयरो को अप्रैल 2016 तक विक्रय किया जा सका था। गिरवी रखते समय शेयरो का मूल्य ₹ 93 से ₹ 95 प्रति शेयर के बीच था, जो कि ₹ 1.8 से ₹ 2 प्रति शेयर की सीमा तक गिर गया था (मार्च 2016)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि कार्यपालक समिति के द्वारा रेटिंग विचलन अनुमोदित था। चूंकि बाजार मूल्य सपरिवर्तन मूल्य से अधिक था, इसलिए इक्विटी शेयरो में संपरिवर्तन की उचित संभावना थी, इसलिए एफसीसीबीज को इक्विटी के रूप में माना गया था। शेयर मूल्य गतिविधि और कारोबार मात्रा की प्रचालित सामान्य ऋणनीति के अनुसार जांच की गयी थी। आईएफसीआई के डीमेट खाते में हस्तांतरित करने के बजाए शेयर असावधानी पूर्वक गिरवी रखने वालो को हस्तांतरित किये गये थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योकि क्रेडिट रेटिंग से विचलन विवेकपूर्ण नही था क्योंकि इस विचलन से प्रतिभूति की गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया था। इस पर विचार किए जाने के बाद भी कि बाजार मुल्य संपरिवर्तन मूल्य की तुलना में उच्च था, एफसीसीबीज से इक्विटी में संपरिवर्तन केवल एक संभावना थी। रूढ़िवादी मापदंड के रूप में एफसीसीबीज को डीईआर की गणना के लिए इक्वटी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए था क्योंकि संपरिवर्तन तो बाद की तिथि में किया जाना था। तथ्य यह है कि शेयर मूल्यों में अस्थिरता के बावजूद कोई अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त नहीं की गयी थी।

ख. श्री मेटालिक्स लिमिटेड

आईएफसीआई ने श्री मेटालिक्स लिमिटेड को वैकल्पिक रूप से सम्पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से ₹ 75 करोड़ की वित्तीय सहायता संस्वीकृत (मई 2011) की थी। प्रथम किश्त ₹ 56 करोड़ मई 2011 से संवितरित की गई थी और सितम्बर 2011 में शेष ₹ 19 करोड़ संवितरित किया गया था। एसएमएल के 49 प्रतिशत असुचीबद्ध इक्विटी शेयरो के गिरवी रखने से और दो प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी के द्वारा सुविधा को सुरक्षित किया गया था। चूंकि एसएमएल ने विलम्ब से भुगतान किया था और मई 2012 से चूक कर रहा था, इसलिए खाता एनपीए बन गया था (दिसम्बर 2012)। जनवरी 2013 में प्रर्वतको की

व्यक्तिगत गारंटी को प्रवर्तित किया गया और एसएमएल ने सकल संपत्ति के मूल्य में ह्रास पर बीआईएफआर को (अगस्त 2014) सन्दर्भ दिया। ₹ 75.34 करोड़ के सम्पूर्ण मूलधन को बट्टे खाते में डाला गया था और ₹ 87.72 करोड़ का ब्याज वसूला नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा कि आईएफसीआई ने कर्जदार द्वारा चूक के मामले में बाहर निकलने के विकल्प की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में एसएमएल के असुचीबद्ध इक्विटी शेयरो को स्वीकार किया था। बाद में पुर्नप्रयासो के बावजूद इन शेयरो का विक्रय नहीं हो सका था (सितम्बर 2012 और फरवरी 2014)। आईएफसीआई ने इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया कि ओडिसा स्टील इकाईयों को कच्चे माल की कमी के कारण बंदी का सामना करना पड़ रहा था। अत: आईएफसीआई कच्चे माल जोखिम को घटाने में असफल रही थी, जिसको सीआरएमडी के द्वारा भी सामने लाया गया था, कि कच्चे माल के मूल्य में अस्थिरता/अयस्क लौह की आपूर्ति की गैर-उपलब्धता आदि एसएमएल की वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसके अतिरिक्त कर्जदार की लाभप्रदता पैमाना संस्वीकृति से पूर्व वर्ष में घटा था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि कम आपूर्ति के कारण कच्चे माल के मूल्यों में संभावित वृद्धि के विषय में उन्हें पता था; चूंकि एसएमएल को एकल और संयुक्त रूप से लौह अयस्क खदान आवंटित किया गया था इसलिए यह अपेक्षित था कि वह इन बाधाओं को दूर करेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कच्चे माल के मूल्य में अस्थिरता/गैर उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण कारक जिसने एसएमएल की वित्तीय निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, इनको मूल्यांकन स्तर पर अनदेखा किया गया था। कम्पनी ने इस तथ्य को भी अनदेखा किया था कि एसएमएल फरवरी 2008 (एसएमएल द्वारा एकल आयोजित) और जनवरी 2006 (संयुक्त रूप से आयोजित) में लौह अयस्क खदानो के आवंटन से तीन से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद भी संस्वीकृति से पहले, लंबित आवश्यक अनुमतियो/संस्वीकृति के कारण खदान अधिकार प्राप्त नहीं कर पाया था।

ग. ग्लॉडाईन वेंचर्स और होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड

आईएफसीआई ने तीन मियादी ऋण ₹ 50 करोड़ (जून 2010 (टीएल-1)), ₹ 25 करोड़ (सितम्बर 2010 (टीएल-2)) और ₹ 25 करोड़ (मई 2011 (टीएल-3)) ग्लॉडाईन वेंचर्स और होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को संस्वीकृत किए थे। ऋणों को प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी और

एक समूह कम्पनी, ग्लोडाईन टेक्नोसर्व लिमिटेड (जीटीएसएल) के 2.5 गुना (प्रथम दो ऋणो के लिए) /2.25 गुना (तीसरे ऋण) इक्विटी शेयरों की जमानत सुरक्षा पर क्रमश: जुलाई 2010, अक्तूबर 2010 और मई 2011 मे संवितरित किए गए थे। कर्जदार द्वारा सभी तीन ऋणो के भुगतान में चूक की गयी (जनवरी/मार्च/अप्रैल 2012) और फरवरी 2013 में व्यक्तिगत गारंटी प्रवर्तित की गई। जीवीएचएल वर्तमान में परिसमापन के तहत हैं। ₹71.59 करोड़ के बकाया मूलधन को बट्टे खाते में डाला गया था और ₹ 67.43 करोड का ब्याज वसूला नहीं गया।

लेखापरीक्षा में देखा कि गिरवीकर्ता कम्पनी (जीटीएसएल) की कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं थी जबकि निर्धारित सामान्य ऋण नीति की आवश्यकताओं के अनुसार कम्पनी जिसके शेयरो का गिरवी रखा गया था उनकी क्रेडिट रेटिंग 'ए' होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्वीकृति से पूर्व वर्ष[28] में शेयर मूल्यों में अधिक अस्थिरता के बावजूद कोई अन्य मूर्त सुरक्षा प्राप्त किये बिना गिरवी रखे गये शेयरो के विरूद्ध सभी ऋण संस्वीकृत किये गये थे। आईएफसीआई ने भी संस्वीकृति की शर्त मे छूट दे दी, जो निर्धारित करती थी कि प्राथमिक प्रतिभूति किसी भी परिस्थिति में निर्गत/वापस नहीं की जायेगी जब तक ऋण का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता और तीन अवसरो पर ₹ 37.81 लाख[29] गिरवी शेयरो को निर्गत किया। कर्जदार मूलधन/ब्याज किस्तो को चुकाने में असफल रहा था, आईएफसीआई ने इस मामले में इवेंट ऑफ डिफाल्ट (ईओडी) की घोषणा की थी (जनवरी /मार्च/अप्रैल 2012)। आईएफसीआई ने ₹ 2.39 लाख गिरवी शेयरो को विक्रय (मई 2012) किया और ₹ 9.90 करोड़ प्राप्त किये। तत्पश्चात जून 2012 से अक्तूबर 2012 तक शेष गिरवी शेयरो का विक्रय नहीं किया गया था यद्यपि संस्वीकृति की शर्तो में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ईओडी की घटना पर प्रतिभूति को प्रवर्तित किया जा सकता है। आईएफसीआई ने जब शेयरो के विक्रय को पुन: आरंभ करने का निर्णय (22 अक्तूबर 2012) लिया था, तब शेयरो के मूल्य पहले से ही ₹ 425.85/शेयर (25 जून 2012) से ₹ 63.45 (19 अक्तूबर 2012) तक नीचे गिर गये थे।

---

[28] 14 जून 2010 और 27 सितंबर 2010 में संस्वीकृत ऋणों के लिए जीटीएसएल का मूल्य 30/7/2009 को ₹ 643.75, 18/09/2009 को ₹389.1, 15/4/2010 को ₹ 756.8, 8/6/2010 को 592 और, 21/9/2010 को ₹ 1041.95।

6 मई 2011 को स्वीकृत ऋण के लिए जीटीएसएल का मूल्य (प्रति शेयर) 8/6/10 को ₹ 592, 21/09/10 को ₹ 1041.95, 9/12/10 को ₹ 643.75, 3/2/11 को ₹ 744.10, 18/2/11 को ₹ 389 और 29/4/11 को ₹ 413.70 था।

[29] मार्च 2011 सितम्बर 2011 और जून 2012 में क्रमश: ₹ 5 लाख, ₹ 17.81 लाख और ₹ 15 लाख था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त/नवम्बर 2016) कि सामान्य व्यापार परिचालन के तहत गिरवी शेयरों के विरुद्ध ऋण की मौजूदा बाजार प्रथा, और सामान्य ऋण नीति को ध्यान में रखते हुए सुविधा को संस्वीकृत और संशोधित किया गया था। यह भी बताया गया कि शेयरो को गिरवी रखना और निर्गत करना एक सामान्य प्रक्रिया थी और कंपनी की संतोषजनक इतिहास को ध्यान में रखते हुए सुविधा को बंद करना और ऋण को रद्द करना एक कठिन और समय लेने वाली प्रक्रिया है।

उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखना चाहिए कि ऋण संस्वीकृति के दौरान कोई मूर्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गयी थी इसलिए समझौते की शर्तों के उल्लंघन में अधिक शेयरो को निर्गत करना कम्पनी के सर्वोत्तम हित में नहीं था। पर्याप्त सुरक्षा कवर की उपलब्धता और ईओडी की घटना के बावजूद, आईएफसीआई ने शेष गिरवी शेयरो[30] का विक्रय नहीं किया (जून 2012 से अक्तूबर 2012)।

घ. जुपिटर बायोसाईंसेंज लिमिटेड

कम्पनी ने जुपिटर बायोसाईंसेज लिमिटेड (जेबीएल) को ₹ 60 करोड़ का एक ऋण (दिसम्बर 2009/फरवरी 2010) संस्वीकृत/संवितरित किया जो कि कर्जदार की चल व अचल परिसम्पत्तियों (तीन विनिर्माता इकाईयां) पर प्रथम समरूप प्रभार, दूसरे प्रभार के आधार पर स्टॉक की गिरवी, ₹ 12 करोड़ के न्यूनतम आपदा विक्रय मूल्य वाले (डीएसवी) अनुप्रासंगिक सुरक्षा के बंधक, इसके प्रवर्तकों के द्वारा धारित जेबीएल के पांच लाख के असुचीबद्ध शेयरो की गिरवी, 9 जून 2010 से इनको सुचीबद्ध करने की शर्त के साथ, प्रवर्तक की व्यक्तिगत गारंटी और सहायक कम्पनी की कारपोरेट गारंटी से सुरक्षित किया जाना था। कर्जदार ने सितम्बर 2010 से प्रारंभ की गयी कुल दी जाने वाली 14 तिमाही किस्तो में से प्रथम तीन तिमाही मूलधन किस्तो प्रत्येक ₹ 4.25 करोड़ की (सितंबर, दिसंबर 2010 और मार्च 2011) का ही पुन: भुगतान किया था। ब्याज और मूलधन के भुगतान में चूक के कारण बाद में ऋण को (अप्रैल/जून 2011 से) वापस लिया गया, व्यक्तिगत गारंटी को लागू किया गया तथा आईएफसीआई के द्वारा एनपीए के रूप में खाते का वर्गीकरण किया गया था (दिसम्बर 2011)। कर्जदारों की संयुक्त बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार कम्पनी द्वारा दो सहवर्ती सम्पत्तियों का (फरवरी 2012), तीन विनिर्माता इकाईयों (मई/अगस्त 2012) पर कब्जा लिया गया था (अप्रैल 2012)। मार्च 2014 में, कर्जदार और इसके निदेशको को कम्पनी ने

[30] जून 2012 में अंतिम तीन महीनों के लिए औसत अंतिम मूल्य ₹ 356.20 /शेयर और सुरक्षा कवर 2.5/2.25 गुना था।

इरादतन चूककर्ता घोषित किया था। बकाया मूलधन ₹ 45.73 करोड़ बट्टे खाते में डाला गया था और ₹ 87.57 करोड़ का ब्याज वसूला नहीं गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया था कि आईएफसीआई ने प्राथमिक प्रतिभूति (परिसम्पत्तियों पर समरुप प्रथम प्रभार) लिए बिना ऋण की राशि को संवितरित किया और संवितरण से पहले, यद्यपि सामान्य ऋण नीति में प्रतिभूति लेना निर्धारित किया गया था, उसके लिए संवितरण की तिथि से तीन महीने की अनुमति दी गयी। इसके देयो की वसूली के लिए आयकर विभाग द्वारा ईकाई-1 के संलग्नक और ईकाई-2 के लिए अन्य उधारदाताओं से अनापत्ति प्रमाणपत्र की प्राप्ति न हाने के कारण तीन ईकाईयो में से केवल एक ईकाई पर कंपनी के पक्ष में समरुप प्रभार का विनिर्माण किया जा सका था। यद्यपि संस्वीकृति की शर्तों में ₹ 12 करोड़ के न्यूनतम आपदा विक्रय मूल्य के साथ संपत्तियों को गिरवी रखना तय किया गया था, कम्पनी ने ₹ 13.37 करोड (₹ 8.45 करोड़ और ₹ 4.92 करोड़) के मूल्यांकन पर दो संपत्तियों (हैदराबाद और कर्नाटक) को गिरवी रखना (फरवरी 2010) स्वीकार किया था। यद्यपि इन संपत्तियों को अंतिम रूप से (अक्तूबर 2012 और नवम्बर 2013) केवल ₹ 1.79 करोड़ के लिए विक्रय किया गया था (हैदराबाद ₹ 1.39 करोड़ और कर्नाटक ₹ 0.40 करोड़) जोकि ₹ 12 करोड़ के निर्धारित न्यूनतम डीएसवी का केवल 14.9 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तकों द्वारा धारित जेबीएल के गिरवी शेयर भी सूचीबद्ध नहीं हो पाये। चूक के मामले में किसी भी व्यवहार्य निकास मोड के बिना सूचीबद्ध न किये गये शेयरो की सशर्त स्वीकृति के परिणामस्वरूप् यह केवल नाम मात्र की सुरक्षा रह गयी थी। उधारकर्ता के ऋण के लिए कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं थी, इस तथ्य के बावजूद कि कर्जदार का अवधि ऋण (₹ 244.12 करोड़) और कार्यशील पूंजी ऋणो (₹ 44.26 करोड़) के रूप में एक्सपोजर था (31 मार्च 2009)।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में (नवम्बर 2016) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियो को स्वीकार किया और उल्लेख किया कि चूको की जांच की जा रही है और कर्मचारियों की जवाबदेही नियत की जाएगी।

ड. केएलजी सिस्टल लिमिटेड

कम्पनी ने केएलजी सिस्टल लिमिटेड (उधारकर्ता), को (अगस्त 2009) ₹ 50 करोड़ का एक ऋण संस्वीकृत और संवितरित किया जिसे उधारकर्ता की सभी अचल परिसंपत्तियों के प्रथम समरूप प्रभार तथा निर्दिष्ट प्राप्तियों का निलंब खाता एवं प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी के

द्वारा सुरक्षित किया गया था। उधारकर्ता ने प्रथम किस्त के संबंध में ₹ 6.25 करोड़ में से ₹ 4.17 करोड़ का भुगतान किया (नवम्बर 2010) और शेष राशि और अगली मूलधन किस्त (फरवरी 2011) के भुगतान के लिए निर्धारित तिथिया को मई 2011 और अगस्त 2011 में संशोधित किया गया था। उधारकर्ता को अप्रैल 2011 में कॉरपोरेट ऋण पुर्नसंरचना (सीडीआर) ईजी के लिए सदर्भित किया गया था और कंपनी ने उधारकर्ता को एक पुनर्गठन पैकेज (जनवरी 2012) संस्वीकृत किया था। तथापि सीडीआर योजना असफल हो गयी थी (मार्च 2013), आईएफसीआई ने ऋण वापस माँग लिया और मई 2013 में प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी को प्रवर्तित किया। जनवरी 2014 में उधारकर्ता द्वारा एक विदेशी निवेश कम्पनी[31] को जारी किये गये एफसीसीबीज को चुकाने में विफलता के कारण माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उधारकर्ता के विरूद्ध समापन आदेश पास किया। ₹ 45.83 करोड़ की बकाया मूलधन राशि को बट्टे खाते में डाला गया था और ₹ 70.78 करोड़ का ब्याज वसूला नहीं गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ऋण संस्वीकृत किया गया यद्यपि अचल परिसंपत्तियो के कवरेज अनुपात के अनुसार सुरक्षा कवर केवल 1.13[32] (एफएसीआर) था, जबकि सामान्य ऋण नीति के अनुसार 1.5 का एफएसीआर अनुबद्ध था। आईएफसीआई ने बिना किसी प्राथमिक सुरक्षा के ऋण राशि का संवितरण किया (सभी अचल परिसंपत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार) और प्रसारित सामान्य ऋण नीति से विचलन में सुरक्षा निर्माण के लिए संवितरण की तिथि से तीन महीनो की अनुमति दी थी जो कि संवितरण से पहले सुरक्षा के निर्माण को अनुबद्ध करती है। समझौते की शर्तो के अनुसार यदि उधारकर्ता 3 महीने के अन्दर प्रतिभूति निर्माण में विफल रहा तो उसे अतिरिक्त ब्याज का भुगतान करना था। आईएफसीआई ने तीन महीनो की निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्रतिभूति के गैर निर्माण के बावजूद ₹ 16.26 लाख (लगभग) के अतिरिक्त ब्याज राशि की छूट दी थी।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2016) कि चल संपत्ति के बंधक रखने की सुरक्षा के निर्माण के बाद ऋणो को संवितरित किया गया था और परिसम्पत्तियों पर प्रभार के विस्तार के लिए एसबीआई (एक ओर अग्रणी) से सिद्धान्तक रूप से अनुमोदन के कारण ₹ 16.26 लाख के अतिरिक्त ब्याज की 50 प्रतिशत की छूट दी गयी।

---

31 बैंक ऑफ न्यूयार्क मैलन, लंदन ब्रांच बनाम केएलजी सिस्टल लिमिटेड।

32 अमूर्त संपति छोडने के बाद।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि बिना प्रथमिक प्रतिभूति का निर्माण किये हुये संवितरण करना अविवेकपूर्ण था क्योंकि एफएसीआर, अनुबद्ध एफएसीआर से कम था। इसके अतिरिक्त, संवितरण के समय चल संपत्तियों का मूल्य अभिलेखित नहीं किया गया था। सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन के आधार पर दण्डस्वरूप ब्याज को छोडना कम्पनी के सर्वोत्तम हित में नहीं था चूंकि प्राथमिक प्रतिभूति का निर्माण नहीं किया गया था।

च. टीआरएस टेकनोलाजी प्राइवेट लिमिटेड

आईएफसीआई ने टीआरएस टैकनोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (टीटीपीएल) को ₹ 100 करोड़ के एक ऋण की संस्वीकृति (फरवरी 2010) दी थी जो कि शिव-वानी आयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड (एसवीओजीएल, प्रवर्तकों) के सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों (2.25 गुना कवर[33]) को गिरवी रखकर और प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी के द्वारा सुरक्षित किया गया था। अतिरिक्त प्रतिभूति के प्रावधान के साथ ऋण का दो[34] बार पुर्निर्धारण किया गया जिसमें टीटीपीएल ने ₹ 90 करोड़ के अनुमानित मूल्य के साथ कुछ चल परिसंपत्तियों (ड्रिलिंग रिग्स) को गिरवी प्रस्तुत किया जिसे कम्पनी ने बिना किसी स्वतंत्र मूल्यांकन के स्वीकार (मार्च 2013) किया था। पुर्नभुगतान में चूकों के कारण, कम्पनी ने गिरवी रखे शेयरों का विक्रय किया और ₹ 15.78 करोड़ की राशि वसूल की। यद्यपि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अन्तर्गत गिरवी परिसम्पत्तियों के विक्रय के लिए (अक्तूबर 2013) प्रारंभ की गयी वसूली कार्रवाई अभी तक लम्बित थी। ₹ 68.85 करोड़ की बकाया ऋण राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया और वसूला नहीं गया ब्याज ₹ 38.84 करोड़ (31 मार्च 2016) था। कर्जदार के द्वारा परिसम्पत्तियों के अधिक मूल्यांकन के संदर्भ में कम्पनी ने इस मामले को आरबीआई को धोखाधड़ी के मामले के रूप में अवगत कराया (जनवरी 2015)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में दी जाने वाली चल संपत्तियों की स्वीकृति के समय उचित सावधानी नहीं बरती गयी चूंकि कम्पनी ने अतिरिक्त प्रतिभूति स्वीकार करते समय (मार्च 2013) एक स्वतंत्र मूल्यांकन करने की बजाए कर्जदार द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन पर, इस तथ्य के बावजूद भरोसा किया कि परिसम्पत्तियों को आठ वर्ष पुराना बताया गया था और कार्य स्थल पर बेकार रखी थी। बाद में एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत कार्रवाई आरंभ करने के लिए किए गए स्वतंत्र मूल्याकन के समय यह ज्ञात हुआ कि इस परिसंपत्ति का मूल्यांकन कर्जदार के ₹ 90 करोड़ के मूल्यांकन के विरूद्ध

---

[33] जिसमें 76.24 लाख शेयर प्रत्यक्ष गिरवी रखे और 28.02 लाख शेयरों का एनडीयू/पीओए था।

[34] प्रवर्तक कम्पनी के साथ नकदी समस्याओं के कारण अप्रैल 2012 और मार्च 2013 में

निम्नतर अर्थात ₹ 13.50 करोड़ (डीएसवी-फरवरी 2014) और ₹ 9.80 करोड़ (जून 2014) था। इस कारण, आरक्षित मूल्य को ₹4.05 करोड़ तक कम करने के बावजूद अब तक (मार्च 2016) एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अन्तर्गत नीलामी में परिसंपत्ति को विक्रय नहीं किया जा सका। कर्जदार की कमजोर वित्तीय स्थिति के बावजूद दूसरा पुर्निधारण (मार्च 2013) किया गया था जबकि पिछले दो वर्षों (2011-12 और 2012-13) के दौरान नकारात्मक नकदी प्रवाह के कारण इसे हानियां हुई थी, इसकी पिछली बकाया देय राशि फरवरी 2013 में इसके गिरवी रखे शेयरों की बिक्री से ₹ 8.60 करोड़ वसूली की गयी थी, पिछले दो वर्षों में निवल संपत्ति नकारात्मक हुई और कर्जदार समूह कम्पनी (एसवीओजीएल) को दिए गए ऋण में ₹ 10.77 करोड़ की राशि की चूक देखी गयी। यहां तक कि गैर निपटान वचनपत्र (एनडीयू)/अटर्नी अधिकार (पीओए) के तहत रखे गए ₹ 28.02 लाख शेयर विक्रय नहीं किये गये थे।

प्रबंधन ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि रिग की प्रतिभूति का स्वतंत्र मूल्यांकन किए बिना इसे स्वीकार किया गया था चूँकि उसने कर्जदार द्वारा प्रदान किए गए बीजकों और बीमा कवर पर विश्वास किया था। यह कहा गया कि गैर निपटान समझौते/अटर्नी अधिकार के तहत रखे गए शेयर विक्रय नहीं किये गए चूँकि इनसे पर्याप्त वसूली संभव नहीं थी। आगे कहा गया कि यह अतिरिक्त प्रतिभूति कवर प्रदान करता था जिसके मूल्यांकन के लिए कोई पद्धति नहीं थी और कम्पनी ने कर्जदार द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन को सद्भाव में स्वीकार किया था। तकनीकी उपकरण होने के वजह से कार्यस्थल जाँच के दौरान इनका मूल्यांकन नहीं किया गया। इसके आगे कहा गया कि नीलामी में रिग विक्रय में असफलता के लिए मूल्यांकन को उत्तदायी नहीं ठहराया जा सकता।

उत्तर मान्य नहीं है चूंकि स्वतंत्र मूल्यांकन किये बिना प्रतिभूति की स्वीकृति कम्पनी के मानक परिचालन प्रक्रियाओं में दोषों को परिलक्षित करती है। कर्जदारों के मूल्यांकन पर निर्भरता औचित्यपूर्ण नहीं थी चूंकि कर्जदार भी रिग का मालिक नहीं था अपितु केवल पट्टेदार ही था। बीमा पॉलिसी में भी जीएलपी के तहत आवश्यक (2012-13) आईएफसीआई का पुनर्ग्रहणाधिकार दर्ज नहीं था। स्वीकृति से पूर्व बंधक रखी गयी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन नहीं करना कम्पनी की ओर से लापरवाही को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति कवर अपर्याप्त बनाया गया। यह तथ्य, कि एनडीयू/पीओए के तहत शेयरों का विक्रय नही किया जा सकता था, स्वीकृत प्रतिभूति की निम्न गुणवत्ता को दर्शाता है चूँकि इनको चूक के मामलो में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता था।

छ. ईएसएस ईएसएस एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड

आईएफसीआई ने (जनवरी 2011) ₹ 50 करोड का एक ऋण ईएसएस ईएसएस एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड (ईईपीएल) को संस्वीकृत किया और 30 मार्च 2011 को इसे संवितरित किया। सुर्या फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एसपीएल, संबंधित समूह की इकाई) के ₹ 101.93 करोड़ के इक्विटी शेयर (ऋण का दोगुना मूल्य) गिरवी रखे गये और प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी की प्रतिभूति भी ली गई। प्रतिभूति की कमी थी (अगस्त/सितम्बर 2011 से) और समझौते के अनुसार प्रतिभूति कवर के टॉप-अप[35] के लिए अतिरिक्त शेयर गिरवी रखे गये थे। बाद में, मूलधन/ब्याज में अनेक चूक हुई और प्रतिभूति कवर 1.58 गुना तक गिर गया (अप्रैल 2012)। ऋण को वापस ले लिया गया और व्यक्तिगत गारंटी को प्रवर्तित किया गया था (मई 2012)। कर्जदार समुह ने बीआईएफआर को दिसम्बर 2013 में संदर्भ दायर किया था। यद्यपि ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्यूनल ने (जनवरी 2016) कर्जदार और गारंटीकर्ता को आईएफसीआई को (जनवरी 2016) ₹ 49.20 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया था। परन्तु वर्तमान तिथि तक कोई भी वसूली नहीं की गयी। कम्पनी द्वारा इसके अधिकांश शेयरो[36] को विक्रय करने के बावजूद अपने सभी बकाया वसूल नहीं कर पायी थी। ₹ 44.21 करोड़ के बकाया मूलधन को बट्टे खाते में डाला गया और वसूला नहीं किया गया ब्याज ₹ 44 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि निवर्तमान सामान्य ऋण नीति के अनुसार कम्पनी जिसके शेयर गिरवी रखे गये थे उस कम्पनी के लिए 'ए' क्रेडिट रेटिंग निर्धारित की गयी थी। परन्तु आईसीआरए के द्वारा एसपीएल को 'एलबीबीबी-[37] नियत की गई थी। कर्जदार की पात्रता मानदंड की जांच नहीं की गयी और ऋण स्वीकृति के दौरान केवल गिरवीकर्ता कम्पनी एसपीएल की पात्रता मानदंड का सत्यापन किया गया था। इसके अतिरिक्त, कर्जदार की निवल संपत्ति केवल ₹ 22 करोड़ थी और पुर्नभुगतान क्षमता का भी उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था क्योंकि इसकी कुल आय ₹ 19 लाख सालाना थी (31 मार्च 2009)। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट जोखिम प्रबंधन विभाग ने अपनी जोखिम टिप्पणी में इसके इक्विटी शेयरो के मूल्य में अपक्षरण के जोखिम के विषय में इंगित किया था, इस तथ्य के बावजूद कम्पनी

---

[35] शेयर मूल्य में 15 प्रतिशत की गिरावट पर प्रतिभूति का टॉप-अप करना होगा अर्थात् अप्रैल 2012 तक 4.87 करोड़ शेयर

[36] मई 2016 तक 9.60 करोड़ शेयरों में से 54 लाख शेयर नहीं बेचे जा सके क्योंकि एसपीएल के शेयर की ट्रेडिंग निलम्बित थी।

[37] दीर्घावधि ऋणों के लिए समय पर पुर्नभुगतान करने के संबंध में सुरक्षा की मध्यम डिग्री का संकेत दिया गया।

ने किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति को प्राप्त किये बिना प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में एसपीएल के शेयरो को स्वीकार किया। कुल गिरवी शेयरो में से 21.43 प्रतिशत मार्च 2014 तक लॉक-इन-पीरियड में थे परन्तु इस तथ्य के बावजूद उनको प्राथमिक प्रतिभूति मे शामिल किया गया। इस तथ्य के बावजूद कि वह मार्च 2014 के बाद ही विक्रय किये जा सकते थे। संस्वीकृति के तुरंत बाद, अधिस्थगन अवधि छह महीने से 12 महीनो के लिए बढा दी गयी और मासिक किस्त की संख्या 24 से बढाकर 48 कर दी गयी जिससे पुर्नभुगतान अवधि का विस्तार किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई/नवम्बर 2016) कि यद्यपि लाभप्रदता और तरलता अनुपात में कमी हुई कुल नकदी अनुमान और उच्च ब्याज दर की उपलब्धता के कारण अधिस्थगन बढाने के साथ-साथ पुर्नभुगतान अवधि का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। यह भी कहा गया कि गिरवी रखे गये शेयरों के बदले में ऋण सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान कर्जदार के वित्तीय पैमानो (पुर्नभुगतान की क्षमता का निर्धारण) पर विचार नही किया गया था। इसके अतिरिक्त कम्पनी ने सीआरएमडी द्वारा इंगित किये गये शेयरो के प्रतिभूति जोखिम के बावजूद किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति के बिना ही शेयरो[38] के संबंध में ऋण संस्वीकृत किया था। मौजूदा वित्तीय परिणामो के कारण समाहित जोखिम को ध्यान में रखते हुए संस्वीकृति की शर्तो में परिवर्तन करना औचित्यपूर्ण नहीं था।

ज. स्थिति इन्श्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

आईएफसीआई ने ₹ 50 करोड़ और ₹ 30 करोड़ के ऋण स्थिति इन्श्योरेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसआईएसपीएल) को जायलोग सिस्टमज लिमिटेड (जेडएसएल), कर्जदार द्वारा प्रवर्तित एक समूह कम्पनी, के शेयरों[39] की 2.25 गुना निर्धारित प्रतिभूति कवर के साथ संस्वीकृत (मार्च 2011 और अगस्त 2011) और संवितरित किये थे। नकदी की कमी के कारण एसआईएसपीएल द्वारा मार्च 2012 से पुर्नभुगतान में चूक हुई और ऋण एनपीए घोषित कर दिये गये (सितम्बर 2013)। मार्च 2016 तक ₹ 41.89 करोड़ की मूलधन राशि

---

38 संस्वीकृति से 52 सप्ताह पहले एसपीएल शेयर का उच्च/निम्न मूल्य एनएसई पर क्रमशः ₹ 356.80/ ₹ 108.55 था।

39 3 माह के औसत के आधार पर ₹ 405 प्रति शेयर (सितम्बर 2011) की दर पर 39.25 लाख शेयर

सम्पूर्ण रूप से बटटे खाते में डाल दी गयी थी और वसूला नहीं गया ब्याज ₹ 24.82 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि क्रेडिट मूल्यांकन दोषपूर्ण था चूंकि कम्पनी के इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद, कि एसआईएसपीएल की कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं थी और ₹ 100 करोड़ की सामान्य ऋण नीति के निर्धारित अनुबंद्ध के प्रति इसकी निवल मालियत ₹ 14.06 करोड़ थी, ऋण संस्वीकृत किया। इसके अतिरिक्त बिना किसी मूर्त प्रतिभूति प्राप्त किये ऋण संस्वीकृत किया गया। इसके स्थान पर कम्पनी ने दो बार गिरवी शेयरों को निर्गत किया (मार्च 2012 और सितम्बर 2012) इसके बावजूद कि कर्जदार बकाया अतिदेय चुकाने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल हुआ था। यह आईएफसीआई के लिए महंगा साबित हुआ चूंकि 17 अक्तूबर 2012 तक ₹ 6.88 करोड़ अतिदेय था और आईएफसीआई ने इसकी वसूली के लिए ₹ 2.44 लाख गिरवी शेयरों को विक्रय करने का निर्णय लिया था। यद्यपि, ₹ 0.90 लाख शेयरों के विक्रय द्वारा केवल ₹2.20 करोड़ की वसूली करने के बाद, यह ज्ञात होने के बावजूद कि कर्जदार अतिदेय चुकाने में बार-बार विफल रहा था, कम्पनी ने कर्जदार के अतिदेय को चुकाने के आश्वासन पर भरोसा किया और विक्रय को रोक दिया (19 अक्तूबर 2012)। चूंकि एसआईएसपीएल अतिदेय चुकाने में दोबारा विफल रहा, आईएफसीआई ने शेयरों का विक्रय पुन: प्रारंभ करने का निर्णय (31 अक्तूबर 2012) लिया परन्तु तब तक शेयरों के मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट[40] आ गयी थी। परिणामस्वरूप यह सभी गिरवी शेयरों के विक्रय से केवल ₹ 22.20 करोड़ ही वसूल कर पाया।

कर्जदार ने माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के सम्मुख मामले को रखा और शेयरों के विक्रय के संबंध में स्थगन आदेश (नवम्बर 2012) प्राप्त कर लिया। इसके बाद, माननीय न्यायालय ने कर्जदार को (दिसम्बर 2012) अतिरिक्त प्रतिभूति प्रदान करने के लिए निर्देशित किया और गिरवी शेयरों के विक्रय के अतिरिक्त आईएफसीआई को दंडात्मक कदम उठाने से रोक दिया। तदनुसार, एसआईएसपीएल ने तीसरे पक्ष के बंधक भूमि के रूप में अतिरिक्त प्रतिभूति प्रस्तुत की। यद्यपि अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में स्वीकार करते समय इसकी स्वामित्व जांच में उचित सावधानी की कमी के परिणामस्वरूप यह एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत अप्रवर्तनीय रही, जब कम्पनी को ज्ञात हुआ (दिसम्बर 2014) कि भूमि के स्वामित्व को धोखाधड़ी से हासिल किया गया था। धोखाधड़ी के मामले के रूप में आरबीआई को

[40] 17 अक्टूबर 2012 को ₹ 282.85 प्रति शेयर से ₹ 134 प्रति शेयर 1 नवम्बर 2012 को

(जुलाई 2015) और केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को (अगस्त 2015) इसकी सूचना विलम्ब से दी गयी थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) चूंकि कर्जदार के पास ऋण सेवा के लिए वित्तीय क्षमता नहीं थी इसे जेडएसएल की वित्तीय सामर्थ्य के आधार पर संस्वीकृत किया गया था जिसके शेयर प्रतिभूति के रूप में रखे गये थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर्जदार की वित्तीय स्थिति कमजोर थी और आईएफसीआई के वित्तीय हितों की रक्षा करने हेतु इस पर उचित ध्यान देना चाहिए था।

झ. रामस्वरूप इंडस्ट्रीज लिमिटेड

कम्पनी ने रामस्वरूप इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरएसआईएल) को ₹ 20 करोड़ और ₹ 11.6 करोड़ के दो कारपोरेट ऋणो की संस्वीकृति (दिसम्बर 2009, मार्च 2010) दी थी जो कि मुख्य रूप से आरएसआईएल के ₹ 78.75 लाख के गिरवी इक्विटी शेयर तीन महीने के ब्याज की ऋण सेवा आरक्षित खाते[41] पर धारणाधिकार और प्रवर्तक की व्यक्तिगत गारंटी के माध्यम से प्रतिभूत थे। मई 2011 में कृषि भूमि को बंधक के रूप मे रखकर अतिरिक्त प्रतिभूत ली गयी थी। नवम्बर 2010 और जून 2011 में ऋण दो बार पुनर्गठित किये गये थे। परन्तु कर्जदार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहा और 15 जुलाई 2011 से चूक करना आरंभ कर दिया था। कर्जदार के सभी विनिर्माण संयत्र बंद थे और निवल मालियत नकारात्मक हो गयी। चूको के कारण जनवरी 2012 से खाता एनपीए में बदल गया था। कर्जदार ने बीआईएफआर के लिए संदर्भ (07 नवम्बर 2012) बनाया जो निरस्त हो गया था (19 फरवरी 2014)। ₹ 24.74 करोड़ के संपूर्ण मूलधन बकायो को बट्टे खाते में डाल दिया गया था और वसूला नहीं गया ब्याज ₹ 37.67 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि इस तथ्य के बावजूद ऋण संस्वीकृत किया गया कि कर्जदार की 3.38 की उच्च ऋण इक्विटी अनुपात (डीईआर) थी तथा उसने पूर्व वर्ष (2008-09) में हानि वहन की थी जबकि सामान्य ऋण नीति के अनुसार 1.5 के अधिकतम डीईआर और पिछले तीन वर्षों से लाभ कमाना अनुबद्ध था। हालांकि प्रथम ऋण की संस्वीकृति से पहले आरएसआईएल के शेयर मुल्यो में अस्थिरता[42] थी, आईएफसीआई ने किसी अन्य मूर्त प्रतिभूति का आग्रह नहीं किया। बकाया देयो को वसूलने के लिए समय में गिरवी रखे गये

---

[41] एक ऐसा खाता है जिसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए ऋण सेवा दायित्वों के बराबर राशि रखी जाती है।

[42] ₹ 70-80 (मार्च 2006), ₹ 130-145 (मार्च 2007), ₹ 190-280 (दिसम्बर 2007 से जनवरी 2008), ₹ 28-32 (दिसम्बर 2008), ₹ 80-85 (दिसम्बर 2009)

इक्विटी शेयरो के विक्रय करने मे शिथिलता हुई थी, आरएसआईएल शेयरो[43] में पर्याप्त मात्रा[44] में कारोबार हुआ था फिर भी कम्पनी ने ₹ 78.75 लाख में से ₹ 9.7 लाख शेयरो का विक्रय किया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया कि 21.50 लाख (निश्चित अवरूद्धता अवधि) के अतिरिक्त गिरवी रखे शेयरो जो कि गैर निपटान वचनपत्र/अटार्नी अधिकार के माध्यम से थे तथा ऋण के पुर्ननिर्धारण और बंधक भूमि की अतिरिक्त प्रतिभूत के कारण शेयर विक्रय नहीं किये गये थे (30 नवम्बर 2010)। सीडीआर को ध्यान मे रखते हुए दूसरा पुनर्निर्धारण अनुमोदित किया गया (जून 2011)।

इन तथ्यों के संबंध में उत्तर को देखा जाना आवश्यक है कि आसानी से लागू की जा सकने वाली प्राथमिक प्रतिभूति के बावजूद गिरवी रखे शेयरों को बकाया देयो की वूसली के लिए समय पर विक्रय नहीं किया गया। नवम्बर 2010 में ऋण पुनर्निर्धारित इस तथ्य के बावजूद किया गया था कि कर्जदार को ऋण पुनर्गठन के लिए सीडीआर सेल को भेजा गया था और निश्चित अवरूद्धता शेयरो का विक्रय नहीं किया जा सकता था जबकि कृषि भूमि का मूल्य बहुत कम था और यह एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत अप्रर्वतनीय थी।

ञ. एलेम ईन्वेस्ट्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और फिन्सिटी ईन्वेस्ट्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

आईएफसीआई ने डीएसपी मेरिल लिंच कैपिटल लिमिटेड के मौजूदा ऋण के पुर्नभुगतान के लिए एलेम ईन्वेस्ट्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (ईआईपीएल) और फिन्सिटी ईन्वेस्ट्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (एफआईपीएल) प्रत्येक को ₹ 50 करोड का मियादी ऋण (अक्तूबर 2008) संस्वीकृत किया था। प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी, व्यवसायिक संपत्ति की गिरवी और मेटास इन्फ्रा लिमिटेड (एमआईएल, समूह की एक इकाई) के गिरवी शेयरो (ऋण का 3.5 गुना) की प्रतिभूति थी। यद्यपि संवितरण से पहले (7 नवम्बर 2008) प्रतिभूति शर्त को संशोधित किया गया था जिसके तहत एमआईएल के 1.03 करोड़ गिरवी शेयर (4.25 गुणा) जिसका मूल्य ₹ 447 करोड़ था, सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लिमिटेड (एससीएसएल) के 9.7 लाख शेयर (0.20 गुणा) ₹ 22.77 करोड़ मूल्य के और अचल संपत्ति (1.25 गुना) की गिरवी की जानी थी और आशय पत्र 10 नवम्बर 2008 को जारी किया गया था।

---

[43] अक्टूबर 2010, नवम्बर 2010, सितम्बर 2014/नवम्बर 2014। ₹ 189.19 लाख की राशी शेयर के विक्रय से प्राप्त हुई।

[44] अक्टूबर-दिसम्बर 2010 और जनवरी 2011 - सितम्बर 2011 के दौरान क्रमश: ₹ 1.36 करोड़ और ₹ 1.39 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग मात्रा एनएसई और बीएसई पर थी।

एफआंइपीएल और ईआईपीएल प्रत्येक को ₹ 42.50 करोड़ (1/4 दिसम्बर 2008) संवितरित किया गया था और शेष ₹ 7.5 करोड की शेष राशि रद्द कर दी गयी थी। (19 जून 2009)।

चूंकि ईआईपीएल और एफआईपीएल समझोते[45] के अनुसार नकदी मार्जिन और प्रतिभूति कवर के लिए टॉप अप उपलब्ध कराने में विफल रहने पर आईएफसीआई ने सुविधा को रद्द कर दिया (7 जनवरी 2009) और खातो के नकलीकरण द्वारा सत्यम कम्प्यूटरस में धोखधडी का पता लगाने के बाद शेयरो की गिरवी को प्रवर्तित किया। सभी शेयरो के विक्रय के माध्यम से ₹ 90.08 करोड़ की राशि वसूली गयी थी जिनमें से प्रवर्तन निदेशालय के दिशा निर्देशो के अनुसार एससीएसएल के विरूद्ध जांच के कारण ₹ 5.35 करोड़ गैर-धारणाधिकार खाते में पडे हुए थे। रिकॉल नोटिस निर्गत किया गया (अक्तूबर 2009) और गारंटियों को परिवर्तित किया (नवम्बर 2009) जो कि ऑनर नहीं हुआ। दोनों ऋणो के संबंध में बकाया मूलधन ₹ 11.11 करोड को बट्टे खाते में डाल दिया गया और वूसल न किया गया ब्याज ₹ 37.84 करोड़ था (31 मार्च 2016)।

समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि कर्जदार की पात्रता मानदंड की जांच नहीं की गयी थी और केवल गिरवीकर्ता कम्पनी, एमआईएल की पात्रता मानदण्ड का ऋणो को संस्वीकृत करते समय सत्यापन किया गया था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने कर्जदार के भुगतान इतिहास/क्रेडिट योग्यता का विश्लेषण करने के लिए अन्य कर्जदारों से विशेष रूप से डीएसपी मेरिल लिंच कैपिटल लिमिटेड से क्रेडिट सूचना रिपोर्ट प्राप्त् नहीं की थी। ऋण बिना किसी मूर्त सुरक्षा के केवल गिरवी शेयरो के संबध में संवितरित किये थे।

यह भी देखा गया कि संस्वीकृति पत्र और आशय पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि व्यवसायिक /अचल संपत्ति को गिरवी बनाया जाना चाहिए था परन्तु आईएफसीआई ने बिना किसी समुचित सावधानी के कृषि भूमि को गिरवी (30 दिसम्बर 2008) रखना स्वीकार कर लिया क्योंकि इस भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि की बजाय आवसीय भूमि मान कर ₹ 84.10 करोड़ (17 दिसम्बर 2008) किया गया था। आईएफसीआई ने प्रतिभूति के रूप में कृषि भूमि को स्वीकार करने से पहले किसी भी कार्यस्थल का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं किया और ना ही भूमि उपयोग का स्वतंत्र सत्यापन कराया। आईएफसीआई ने जनवरी 2016 में इस भूमि का मूल्यांकन किया जिसके अनुसार अनुमानित मूल्य ₹ 4.62 करोड़ था।

---

45 प्रारंभिक गिरवी रखे गये शेयरों के बाजार मूल्य 5% से 20% गिरने पर अतिरिक्त शेयरो से टॉपअप करना होगा और गिरवी शेयरों के बाजार मूल्य में गिरावट अर्थात् 20% से ज्यादा को नकद मार्जिन से क्षतिपूर्ति की जाएगी।

संवितरण के एक महीने के अन्दर ही गिरवी संपत्ति के अधिक मूल्यांकन के विषय में ज्ञात होने के बावजूद कम्पनी ने ईआईपीएल के मामले को आरबीआई को धोखाधडी के मामले की रिपोर्ट करने में लगभग सात वर्ष का विलम्ब किया, और कम्पनी ने अभी तक एफआईपीएल की धोखाधडी के मामले के संबंध में आरबीआई को सूचित नहीं किया है, इस तथ्य के बावजूद कि दोनों मामलो में गिरवी रखी गयी संपत्ति एक ही थी और उसका मूल्यांकन बढाकर किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त, नवम्बर 2016) कि एमआईएल के वित्तीय क्षमताओं के आधार पर ऋण की संस्वीकृति की गयी थी जिनके शेयर ऋण की सुरक्षा के लिए गिरवी रखे गये थे। सत्यम घोटाले के परिणामस्वरूप आईएफसीआई ने तत्काल गिरवी रखने के लिए कम्पनी से आग्रह किया और मूल व्यवसायिक संपत्ति के बजाय कृषि भूमि को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया जैसा कि संस्वीकृति की शर्तो में बताया गया था।

उत्तर तर्क संगत नहीं है क्यांकि क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान कर्जदार (पुर्नभुगतान क्षमता के निर्धारण) के वित्तीय पैमानो पर विचार नहीं किया गया था। यद्यपि आईएफसीआई ने व्यवसायिक/अचल संपत्ति के स्थान पर कृषि भूमि को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया था और यहां तक कि भूमि को 30 दिसम्बर 2008 को गिरवी रखा गया और सत्यम घोटाला 7 जनवरी 2009 को हुआ था।

त. इंड स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड और इंड स्विफ्ट लिमिटेड

आईएफसीआई ने जुलाई/अगस्त 2009 में, इंड स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड (आईएसएलएल) और ₹ 50 करोड का मियादी ऋण संस्वीकृत/ संवितरित किया गया और इंड स्विफ्ट लिमिटेड (आईएसएल) को अक्तूबर/ नवम्बर 2009 में ₹ 50 करोड का मियादी ऋण संस्वीकृत /संवितरित किया गया था। आईएसएलएल और आईएसएल की सभी वर्तमान और भविष्य अचल और चल परिसंपत्तियों पर समरूप प्रभार और प्रवर्तको की व्यक्तिगत गारंटियो की प्रतिभूति थी। दोनो कर्जदारों ने जुलाई 2012 के बाद पुर्नभुगतान में चूक की थी और कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) में चला गया। आईएफसीआई ने सीडीआर में भागीदारी नहीं की और कर्जदारों के देयो के पुर्नगठन के प्रस्तावो को स्वीकार किया था (जून 2013)। पुर्नगठन के बाद भी कर्जदार ने चूक की थी और पुर्नगठित पैकेज को रद्द कर दिया गया (सितम्बर 2014) हालांकि खाता, एनपीए हो गया था (31 मार्च 2014) प्रत्याह्वान प्रस्ताव जारी किया गया (दिसम्बर 2014) और गारंटियो को प्रवर्तित किया गया (जनवरी 2015)। परिसमापन

नोटिस 19 जून 2015 को जारी किये गये थे और जुलाई 2015 में वसूली के लिए मामला दायर किया गया था। आईएफसीआई ने अपने ₹ 62.18 करोड़ के कुल बकाया (दिसम्बर 2015) को एडलवाइस एआरसी लिमिटेड को अभिहस्तांकित किया था (फरवरी 2016) और ₹ 26.88 करोड़[46] की प्रतिभूति प्राप्तियां और नकद प्राप्त किया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि दोनो ऋण केवल कारपोरेट गारंटी की अंतरिम प्रतिभूति के आधार पर संवितरित किये थे और संवितरण की तिथि से एक वर्ष के बाद[47] सभी परिसम्पत्तियां पर प्रभार सृजित किये गये थे (दिसम्बर 2010) । इसके अतिरक्त कम्पनी ने किसी भी अतिरिक्त प्रतिभूति की मांग किए बिना ₹ 158.25 करोड़ का प्रथम समरूप प्रभार अन्य उधारदाताओं के पक्ष में देना जारी रखा (फरवरी, अप्रैल और दिसम्बर 2011)[48] जो कि कर्जदारों द्वारा चूक के मामले में अनेक उधारदाताओ के बीच एक ही प्रतिभूति समान रूप से शेयर की जाएगीं। हालांकि आईसीआरए ने वित्तिय प्रदर्शन में गिरावट और निकट भविष्य में बड़े ऋण के पुर्नभुगतान के संबंध में होने वाले महत्वपूर्ण वित्तिय जोखिम के कारण जून 2012 में बकाया ऋण की रेटिंग को डाउनग्रेड किया।

यह भी आगे देखा गया कि आईएफसीआई ने वूसली के लिए तीव्र कार्रवाई करने के स्थान पर कर्जदारों की बड़ी वित्तीय लागत (2012-13 में ₹ 86.41 करोड़ और ₹ 139.61 करोड आईएसएल अैर आईएसएलएल में क्रमश:), प्रति शेयर नकारात्मक नकदी आय और कर्जदारों द्वारा वहन की गयी हानियों (आईएसएल और आईएसएलएल में ₹ 120.94 करोड़ और ₹ 119.91 करोड़ क्रमश: 2012-13 में) के विषय में अवगत होने के बावजूद देयो का पुर्नगठन किया। कम्पनी अपने ऋण का विक्रय/अभिहस्तांकन के अपने प्रथम प्रयास में विफल रही थी (अक्तूबर 2015) क्योकि कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई थी। इसके बाद, आरक्षित मूल्य 10 प्रतिशत से कम हो गया था (जनवरी 2016) और अंततः केवल एक पार्टी ने बोली प्रस्तुत की थी और अभिहस्तांकन का अनुमोदन ₹ 26.88 करोड़ में किया गया था (फरवरी 2016)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि जब तक आईएसएल न्यूनतम निर्धारित सुरक्षा कवर को बंधक के माध्यम से पूरा कर रहा था तब तक समरूप प्रभार नए ऋणदाताओं के पक्ष में दिये गये थे।

---

[46] ₹ 4.03 करोड़ नकद के रूप में और ₹ 22.85 करोड़ एसआर के रूप में

[47] ऋण के संवितरण से पहले ऋण नीति के आधार पर प्रतिभूति का निर्माण किया जाना चाहिए।

[48] एफएसीआर दिसम्बर 2010, मार्च 2011 और नवम्बर 2011 में क्रमश: 1.69, 1.61 और 1.54 थी।

उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि समरूप आधार पर प्रतिभूति को लागू करके वसूली की शीर्घ कार्रवाई करना कठिन है और इसलिए अन्य ऋणदाताओं को प्रथम समरूप प्रभार सौंपना कम्पनी के सर्वोत्तम हित में नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 35.30 करोड़ की हानि हुई।

बट्टे खाते में डाले गये ऋणों के मामलो में मंत्रालय की प्रतिक्रिया

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2017) कि बट्टे खाते में डाले गये ऋणों सहित अनेक मामले वे हैं जिन्हें संस्वीकृति तब दी गयी थी जब आईएफसीआई एक निजी कम्पनी समझी जाती थी और चूक का पहला उदाहरण भी सरकार के पास बहुमत शेयरधारिता आने से पहले देखा गया था। चूंकि ये विषय बोर्ड स्तर के निर्णय के हैं यह मंत्रालय की टिप्पणी के लिए उपयुक्त नहीं होंगे।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर औचित्यपूर्ण नहीं है कि मार्च 2005 तक सरकार नियंत्रित संस्थाओं की शेयरधारिता 51 प्रतिशत से नीचे गिर जाने के बाद भी आईएफसीआई के लिए ₹ 520.31 करोड़[49] की कुल राशि के अनुदान की दो किस्तें जारी की गयी थी। 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी जब यह मामले संस्वीकृत किये गये थे, सरकार नियंत्रित संस्थाओं की कम्पनी में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी (लगभग 45 से 46 प्रतिशत) थी। बट्टे खाते में डाले गये इन ऋणों का भार भी आईएफसीआई के द्वारा वहन किया गया था जब यह दिसम्बर 2012 में डीम्ड सरकारी कम्पनी बन चुकी थी।

[49] ₹ 300 करोड़ 2005-06 में और ₹ 220.31 करोड़ 2006-07 में

अध्याय 6: अनर्जक परिसंपत्तियां

किसी भी वित्तीय संस्थान में अनर्जक परिसम्पत्तियों (एनपीए) की स्थिति उसकी वित्तीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है और उसका लाभकारिता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि मूलधन या ब्याज की किश्त पांच महीने से अधिक के लिए देय हो जाती है तो ऋणों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना था। एनपीए को आगे अवमानक, संदिग्ध और हानिवाली परिसम्पत्ति में वर्गीकृत किया जाता था। अवमानक परिसम्पत्तियों में वह परिसम्पित्तियां शामिल हैं जो 16 महीने[50] तक के लिए एनपीए रहती है जबकि संदिग्ध परिसम्पत्तियों में वह शामिल है जो 16 महीने से अधिक की अवधि के लिए अवमानक परिसम्पत्तियां रही थी। हानिवाली परिसम्पत्तियों में वह परिसम्पत्तियां आती है जहां कम्पनी द्वारा या आन्तरिक या बाहरी लेखापरीक्षक या आरबीआई द्वारा हानि का पता लगाया गया था, किन्तु राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते में नही डाला गया और एक परिसम्पत्ति जो कर्जदार की ओर से धोखाधडी के कार्य या चूक के कारण प्रतिभूति के मूल्य में अपक्षरण या प्रतिभूति की अनुपलब्धता के कारण गैर वसूली के संभावित खतरे द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी।

6.1 आईएफसीआई में एनपीए की स्थिति

31 मार्च 2016 तक पिछले चार वर्षों के लिए ₹ 3544.54 करोड़ के एनपीए (413 मामले) का श्रेणी वार वर्गीकरण नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका -5: एनपीए की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	**31 मार्च तक विवरण (*संचयी*)**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1.	**ऋणों का वर्गीकरण**				
	मानक परिसम्पत्तियां	12852.42	16538.85	22849.06	23610.60
	अनर्जक परिसम्पत्तियां				
(i)	अवमानक परिसम्पत्तियां	1624.40	1735.96	1306.37	2319.61
(ii)	संदेहपूर्ण परिसम्पत्तियां	288.37	1033.71	1083.51	1114.82
(iii)	हानि परिसम्पत्तियां	1150.13	681.68	227.32	110.11

[50] 2015-16 से 18 महीने के पिछले मानक से संशोधित कर 16 महीने किया गया।

	सकल एनपीए[51] (i+ii+iii)	3062.90	3451.35	2617.20	3544.54
2.	कुल बकाया ऋण	15915.32	19990.2	25466.26	27155.14
3.	सकल एनपीए अनुपात (%)	19.24	17.27	10.28	13.05
4.	वसूला ना गया ब्याज	66113.80	72036.53	87676.77	106752.78
5.	बट्टे खाते डाला गया मूलधन	597.93	1167.91	1832.05	2235.80

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, 31 मार्च 2016 तक कुल एनपीए अनुपात कुल बकाया ऋण का 13.05 प्रतिशत था जो कि उद्योग के अनुपात अर्थात 3 प्रतिशत की तुलना मे काफी अधिक है जैसा पहले के चार्ट 3 में दर्शाया गया है। यह भी देखा गया कि 31 मार्च 2016 तक कुल सकल एनपीए में से, ₹ 2794.58 करोड़ (78 प्रतिशत) की राशि के एनपीए पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पन हुए हैं ।

एनपीए की अधिक प्रतिशतता ऋण आवेदनों के अनुचित निर्धारण और क्रेडिट मूल्यांकन दर्शाता है। लेखापरीक्षा के अधीन अवधि (2012-13 से 2015-16) के दौरान, अवमानक और संदेहपूर्ण परिसम्पत्तियों की राशि में ₹ 1521.66 करोड़ तक वृद्धि हुई। हानिवाली परिसम्पत्तियों में ₹ 1040.02 करोड़ की गिरावट मुख्य रूप से इस अवधि के दौरान ₹ 1637.87 करोड़ बट्टे खाते में डाले गए ऋणों में वृद्धि के कारण थी। यह पाया गया कि एनपीएज के कारण समीक्षा अवधि के दौरान वसूले न गए ब्याज[52] में ₹ 40638.98 करोड़ की वृद्धि हुई। वसूले न गए ब्याज में उपार्जित ब्याज शामिल है जो कि उस तिथि को वापिस ले लिया गया जब से यह परिसम्पत्तियां एनपीए हो गई तथा साथ में ब्याज जो 31 मार्च 2016 तक इन परिसम्पत्तियों पर अर्जित किया जा सकता था यदि यह मामले एनपीए न होते।

मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2017) कि एक बार खाता एनपीए होने पर आरबीआई ब्याज की मान्यता पर रोक लगा देती है।

यद्यपि, यह एक तथ्य है कि आरबीआई खाते के एक बार एनपीए होने पर ब्याज की मान्यता पर रोक लगा देती है। मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के दृष्टिगत देखने की आवश्यकता है कि यह राशि ब्याज आय को दर्शाती है जिसे कम्पनी द्वारा अर्जित किया जाता यदि यह मामले एनपीए न हो जाते। तदनुसार, लेखापरीक्षा आपत्ति को केवल लेखांकन दृष्टिकोण के बजाय उपयुक्तता के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है।

---

51 एनपीए का ब्रेकअप प्रबंधन द्वारा प्रदत्त परिसम्पत्ति वर्गीकरण के अनुसार दिया गया है। तथापि, कुल एनपीए आकडों, संबंधित वर्षो के वित्तीय विवरणानुसार, से इन आंकडों में थोडा अन्तर था।

52 यह वह ब्याज है जो अर्जित किया जाता है यदि यह मामले एनपीए नहीं होते क्योंकि आरबीआई द्वारा निबंधित व्यवस्था के अनुसार एनपीए पर ब्याज को केवल तभी मान्यता दी जाएगी जब इसकी वास्तव में वसूली हो जाये।

6.2 पुनर्गठित ऋणों की स्थिति

कम्पनी ने पुर्नगठित ऋणों का सहारा लिया जैसा कि उधारकर्ता द्वारा धनापूर्ति और, नकदी के प्रवाह की खराब स्थिति, परिचालनात्मक हानियां, रूकी हुई और अधूरी परियोजनाओं, ब्याज/अंतरिम रिटर्नों और मूल किश्तों के पुनर्भुगतान की उधारकर्ता की अक्षमता के कारण अनुरोध किया गया था। पुनर्गठन अग्रिमों के लिए ऐसा पुनर्गठन आरबीआई के विवेकपूर्ण मानदडों के आधार पर अनुमोदित होना चाहिए। पिछले चार वर्षों के लिए कम्पनी द्वारा ऋणों के पुनर्गठन का विवरण नीचे दिया गया हैः

तालिका-6: 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान पुनर्गठित ऋणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2012-13[53]		2013-14		2014-15		2015-16	
	मामले	बकाया राशि	मामले	बकाया राशि	मामले	बकाया राशि	मामले	बकाया राशि
अथ शेष	-	-	3	954.29	12	2031.14	30	4419.64
वर्ष के दौरान पुनर्गठित	13	1488.39	9	1076.85	21	2469.71	4	1022.39
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	उन*	उन*	0	0	03	81.21	3	679.34
अन्त शेष	3	954.29	12	2031.14	30	4419.64	31	4762.69

** आंकडे उपलब्ध नहीं*

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 31 मार्च 2016 को ₹ 4762.69 की राशि के 31 पुनर्गठित ऋण मामले मौजूद थे । पुनर्गठन के परिणामस्वरूप वास्तविक पुनर्भुगतान तिथियों से आगे की पुनर्भुगतान अवधि विस्तारित हुई जिसके दौरान कम्पनी का जोखिम जारी रहा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कुछ क्रेडिट सुविधाओं[54] में उधारकर्ताओं को बार बार पुनर्गठन दिया गया था।

---

53 आरबीआई अनुबंधित प्रपत्र जो 13-14 से संकलित था के अनुसार पुनर्गठित परिसम्पत्तियों के परिचालन के कारण डाटा उपलब्ध नहीं है।

54 गायत्री एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईवीआरसीएल (आईआईजीटीएल) इन्दौर और आईवीआरसीएल, चेंगापल्ली (आईसीटीएल) पीपावाव डिफेंस एंड आफशोर इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड और पीपावाव मरीन आफशोर लिमिटेड इत्यादि

6.3 लेखापरीक्षा आपत्तियों

आईएफसीआई द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार की जाने वाली ऋणों के लिए नीति जिसे सामान्य ऋण नीति कहा जाता है, में अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्देश्यों और क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित है। कम्पनी के हितों की रक्षा के दृष्टिगत कम्पनी द्वारा क्रेडिट मूल्यांकन, संस्वीकृति, वितरण और मानीटरिंग के लिए एक प्रणाली बनाई गई है। लेखापरीक्षा में इन नीतियों के अनुपालन की नमूना जांच एनपीए मामलों के नमूनो की जांच द्वारा की गई थी ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ऋणों का सामान्य ऋण नीति और आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उचित मूल्यांकन और निर्धारण किया गया था ताकि परिसम्पत्ति की गुणवत्ता का अनुरक्षण किया जा सके। लेखापरीक्षा मामलों की जांच से निम्नलिखित का पता चलाः

6.3.1 पूर्ण रूप से प्रावधान किए गए ऋण

यह पाया गया कि निम्नलिखित पांच मामलों में कम्पनी ने 100 प्रतिशत प्रावधान किया था और परिसम्पत्तियों को संदिग्ध वर्गीकृत किया था। ₹ 296.20 करोड़ के पूरे मूल बकाया का पूर्णतः प्रावधान किया गया था और वसूला न गया ब्याज ₹ 119.09 करोड़ था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 415.29 करोड़ की हानि हुई जैसा नीचे चर्चा की गई हैः-

क. ईरा हाऊसिंग एंड डेवलेपर लिमिटेड और हाई प्वाइंट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड

आईएफसीआई ने ₹ 180 करोड़ के दो ऋण ईरा हाऊसिंग एंड डेवलेपर लिमिटेड (ईएचडीएल) को संस्वीकृत किए (अक्तूबर 2009/सितम्बर 2010) और ₹ 100 करोड़ का एक ऋण हाई प्वाइंट इंवेस्टमेंड एंड फाइनेंस लिमिटेड (एचपीआईएफएल), जो ग्रुप कंपनी थी, को संस्वीकृत किया (सितम्बर 2010) और ₹ 233 करोड़[55] वितरित किया गया। प्रतिभूति ईरा इंन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (ईआईईएल), एक ग्रुप कम्पनी, के 2.82 करोड़ इक्विटी शेयरों की जमानत थी, जिसमें सभी तीन ऋणों के 2 से 2.5 गुणा का सुरक्षा कवर था। पलवल में भूमि और भवन को अतिरिक्त सुरक्षा के रूप में गिरवी रखना बाद में स्वीकार किया गया था (2011)[56]। कर्जदार ग्रुप ने ऋणों के पुनर्भुगतान में चूकें की (अक्तूबर 2012) जिन्हें और

---

[55] ईएचडीएलः ₹ 40 करोड़ वितरित किए (अक्टूबर 2009) और ₹ 100 करोड़ (सितम्बर 2010); एचपीआईएफएलः सितम्बर 2010 में ₹ 100 करोड़, संस्वीकृत, ₹ 93 करोड़ संवितरित

[56] सितम्बर 2012 में ₹ 146 करोड़ का मूल्य

प्रतिभूति (बहादुरगढ़ में 22.91 एकड भूमि और पलवल सम्पत्ति से एस्क्रो प्राप्तियाँ की प्राप्ति पर पुनर्निर्धारित (अप्रैल 2013) किया गया था। तथापि, खाता एनपीए हो गया (30 सितम्बर 2013)। ₹ 129.96 करोड़ के बकाया मूल का पूरी तरह से प्रावधान किया गया था और वसूला न गया ब्याज ₹ 54.95 करोड़ था (31 मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋणों को संस्वीकृत करते समय, केवल गिरवीकर्ता कम्पनी (ईआईईएल) के योग्यता मानदण्ड पर विचार किया गया था और उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति पर विचार नहीं किया गया क्योंकि ऋण ईआईईएल के शेयरों के प्रति थे। इसके अलावा, आईएफसीआई ने दोनों उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता के विश्लेषण के लिए डेब्ट सर्विस कवरेज अनुपात की गणना नहीं की थी।

भूमि और सम्पत्ति (अगस्त 2011) को गिरवी रखने से पूर्व आईएफसीआई इस तथ्य का सत्यापन करने में विफल रही कि अधिकतर यूनिटें तीसरे पक्ष को बेच दी गई थी जिससे सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत आईएफसीआई की वसूली की कार्यवाही में रूकावट आ सकती थी । तत्पश्चात कम्पनी के संज्ञान में आया (जनवरी 2013) कि ईएचडीएल और एचपीआईएफएल ने आईएफसीआई से पूर्व अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र मागें बिना फ्लैटों की बिक्री कर दी थी। गिरवी रखने के बाद उधारकर्ता ने आईएफसीआई से एनओसी मांगे बिना और यूनिटों की बिक्री द्वारा सम्पत्ति में दोबारा तीसरे पक्ष का हित सृजित किया जो प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की खराब मानीटरिंग दर्शाता है। यह भी पाया गया कि आईएफसीआई ने पुनर्निर्धारण पैकेज (अप्रैल 2013) के अन्तर्गत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने मे उधारकर्ता की विफलता के बावजूद, जिसे बाद में वापसी लिया गया था (जून 2013) बहादुरगढ़ में ₹ 42.56 करोड़ (अगस्त 2013) मूल्य की 9.63 एकड भूमि और पलवल सम्पत्ति के 30 फ्लैटों की प्रतिभूति (जुलाई 2014) निर्मुक्त की। पुनर्निर्धारण के निरसन के बावजूद, आईएफसीआई ने अपने सभी प्राप्यों की वसूली के लिए प्रतिभूतियां प्रयोग नहीं की और इसके बजाय, यह जानते हुए कि कर्जदार पहले वाले को नहीं निभा पाया था एक समझौता किया (मार्च 2014) इसे भी बाद में रद्द कर दिया गया (अगस्त 2014)। गिरवी रखी गई सम्पित्तयों का प्रत्यक्ष अधिकार लेने के बावजूद (नवम्बर 2014) आईएफसीआई उन्हें बेच नहीं पाई क्योंकि बोलियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। तदन्तर, जब कुछ खरीददारों जिन्होंने फ्लैट खरीदे थे ने सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत बिक्री के आईएफसीआइ की कार्रवाई को चुनौती दी तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पलवल सम्पत्ति की

बिक्री पर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया (सितम्बर 2015)। अन्ततः आईएफसीआई सभी गिरवी रखे शेयरों को बेचकर केवल ₹ 18.25 करोड़ की वसूली कर सका।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई, नवम्बर 2016) कि ऋणों की संस्वीकृति वित्तीय मजबूती और ईआईईएल के आधार पर की गई थी। यह भी कहा गया कि ईएचडीएल और एचपीआईएफएल द्वारा बुकिंग और बिक्री के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी और प्रतिभूतियां प्रमोटरों की प्रतिबद्धता के आधार पर जारी की गई थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उधारकर्ताओं की पुनर्भुगतान क्षमता पर ऋणों की संस्वीकृति करते समय विचार नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य कि आईएफसीआई को गिरवी से पूर्व फ्लैटों की बिक्री के बारे में नहीं पता था, सम्पत्ति विवरण के सत्यापन में कमियां दर्शाता है। मौजूदा चूकों और पुनर्निधारण की शर्तो को मानने में विफलता के बावजूद प्रतिभूतियां जारी करना भी अविवेकपूर्ण था। वसूली के प्रयासों में ढीलापन था क्योंकि आईएफसीआई ने प्रतिभूतियां प्रवर्तित नहीं की और पुनर्निधारण के पैकेज के निरसन (जून 2013) के बावजूद समझौते पर विचार कर रहा था।

ख. कोस्टल प्रोजेक्टस लिमिटेड

आईएफसीआई ने ₹ 100 करोड़ की राशि के कोस्टल प्रोजेक्टस लिमिटेड (सीपीएल) (मार्च 2011) के अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर्स (सीसीडी) लिए जिन्हें सीपीएल के असूचीबद्ध शेयरों की गिरवी के प्रति प्राप्त किया गया था । निकास तंत्र प्रमोटरों के कॉल विकल्प[57] के माध्यम से था और आईएफसीआई के पास पुट विकल्प[58] का अधिकार था। सीपीएल ने चूक करना शुरू कर दिया (जून 2012 से) और आईएफसीआई द्वारा पुट विकल्प का प्रयोग (अक्टूबर 2012) भी उधारकर्ताओं/प्रमोटरों द्वारा सम्मानित नहीं किया गया था। जून 2013 तक पुनर्भुगतान के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश (जनवरी 2013) द्वारा एक निपटान समझौता दर्ज किया गया था किन्तु सीपीएल ने दोबारा देयों के पुनर्भुगतान में चूक की। खाता एनपीए हो गया (अप्रैल 2014) और ₹ 73.41 करोड़ के मूल बकाया का पूरी तरह से प्रावधान किया गया था। वसूला न गया ब्याज ₹ 42.39 करोड़ था (31 मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल 15 प्रतिशत शेयरधारिता प्रतिभूति के रूप में प्राप्त की गई थी जबकि सामान्य ऋण नीति में न्यूनतम 26 प्रतिशत की शेयरधारिता की वचनबद्धता थी।

---

[57] प्रमोटर अंशदान देने के 12 महीने और 18 महीने के बीच अंकित मूल्य पर कॉल विकल्प का प्रयोग कर सकता है।

[58] 18 महीने की समाप्ति पर अंकित मूल्य पर प्रयोग किया जा सकता था यदि प्रमोटर द्वारा कॉल विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता।

क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान, कम्पनी इस तथ्य को नोट करने में विफल रहीं कि प्रमोटरों के निवल सम्पत्ति का बडा हिस्सा सीपीएल के इक्विटी शेयरों में था और कई सम्पत्तियां या तो आय कर विभाग द्वारा कुर्क या अन्य ऋणदाताओं को गिरवी रखी गई थीं। कम्पनी अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रहीं क्योंकि पुट विकल्प खण्ड में जारीकर्ता के किसी प्रतिस्पर्धी को गिरवी शेयरों को न बेचने की एक प्रतिबंधित शर्त थी जिसने निष्कर्षतः कम्पनी के उपलब्ध निकास विकल्प को बंद कर दिया था। मौजूदा सामान्य ऋण नीति में यह निर्धारित है कि प्रभारित प्रतिभूतियों का रूढिवादी आधार पर आवधिक अन्तराल में मूल्यांकन किया जाना है और हर समय निर्धारित मार्जिन बनाए रखना है। तथापि, यह पाया गया कि आईएफसीआई ने ₹ 307.80 प्रति शेयर पर सीपीएल के शेयर के ब्रेकअप मूल्य के बजाय अन्य तुलनात्मक कम्पनियों के सूचीबद्ध शेयरों की औसत कीमत अर्जन अनुपात के आधार पर गैर सूचीबद्ध शेयरों की प्रतिभूति का मूल्यांकन ₹ 797.42 पर किया। इसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति का ₹ 138.15 करोड तक अधिक मूल्यांकन हुआ।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया (मई, नवम्बर 2016) कि केवल 15 प्रतिशत शेयरधारिता प्राप्त की गई थी क्योंकि सीसीडी में निवेश के लिए कोई विशिष्ट योग्यता मानदंड नहीं था। उसने यह स्वीकार किया कि प्रमोटरों की नेट वर्थ का काफी बड़ा भाग उधारकर्ताओं की इक्विटी था। आगे यह कहा गया कि समान्य ऋण नीति के अनुसार असूचीबद्ध शेयरों को अन्तरिक मूल्यांकन के बाद स्वीकार किया जा सकता है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सामान्य ऋण नीति (2010-11) के खण्ड 3.2.1 (iv) में नियंत्रक/निवेश कम्पनी के वित्तपोषण के लिए योग्यता मानदण्ड में निर्दिष्ट किया गया है कि कम से कम 26 प्रतिशत शेयरधारिता बंधक के रूप में प्राप्त की जानी थी। इसके अलावा, प्रबंधन के असूचीबद्ध शेयरों के मूल्यांकन पर दिए गए उपरोक्त जवाब मे इसी खंड का संदर्भ दिया गया है। कंपनी द्वारा अपनाई गयी मूल्यांकन विधि मौजूदा सामान्य ऋण नीति से पृथक थी ।

ग. मंदाकिनी कोल कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी ने मंदाकिनी कोल कम्पनी लिमिटेड (एमसीसीएल) को ₹ 200 करोड़ (अप्रैल 2014) का एक अल्पकालिक ऋण संस्वीकृत किया और ₹ 140 करोड़ संवितरित किया (मई 2014)। ऋण सभी चल परिसम्पत्तियों पर विशिष्ट फर्स्ट चार्ज, उसकी शेयरधारिता की 51 प्रतिशत

वचनबद्धता, लीजहोल्ड खनन अधिकार और तीन कम्पनियों[59] की कारपोरेट गारंटियों के प्रति दिया गया था। चूंकि एमसीसीएल ने ब्याज/मूल भुगतान में चूक की थी (फरवरी/मई 2015), इसलिए कारपोरेट गारंटियां प्रयोग की गई (मई 2015) और आईएफसीआई ने ₹ 99.12 करोड़[60] की वसूली की। वापसी नोटिस (फरवरी 2016) और समाप्ति नोटिस (फरवरी 2016) जारी किया गया था। ऋण पर ₹ 46.69 करोड़ (पूर्णरूप से प्रावधान किए गए) का मूल और ₹ 10.04 करोड़ (31 मार्च 2016) का वसूला न गया ब्याज बकाया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सामान्य ऋण नीति में 1.75 के प्रतिभूति कवर का प्रावधान था जिसमे से स्थायी परिसम्पत्तियों और मूर्त सहायक कम से कम ऋण की राशि के बराबर होने चाहिए, ऋण को बिना किसी स्थायी परिसम्पत्ति के प्रतिभूति कवर के संस्वीकृत किया गया और इसके बजाय ₹ 191 करोड़ मूल्य की चल परिसमपत्तियों को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया गया था। इनमें मुख्य रूप से प्रशासन प्रभारों पर किए गए भुगतान की राशि और डिविजनल वन अधिकारी, औद्योगिक संरचनात्मक विकास निगम इत्यादि द्वारा की गई मांग के प्रति भुगतान शामिल है। इन्हें प्रतिभूति नही कहा जा सकता क्योंकि यह परियोजना व्यय की प्रकृति के हैं। कोयला ब्लॉकों के आबंटन से संबन्धित मामलों और भारी बकाया ऋणों के कारण कर्जदार की रेटिंग सीआरआईएसआईएल द्वारा निगरानी मे रखे जाने के बावजूद संस्वीकृति से पूर्व कर्जदार का व्यापक मूल्यांकन भी नही किया गया था जबकि वाणिज्यिक संचालन अभी शुरू होना था। संस्वीकृति पश्च संशोधन जैसे यदि उधारकर्ता 31 दिसम्बर 2014 तक खनन लाइसेंस/पट्टा अधिकार प्राप्त करने में विफल रहता है तो सुविधा को वापिस लेने के अधिकार का त्याग भी किया गया (मई 2014) जिससे आईएफसीआई के वसूली के अधिकार कमजोर हो गए थे। अनिवार्य पूर्व भुगतान[61] से संबंधित खण्ड भी बिना किसी औचित्य के पूर्व भुगतान अवधि को तीस दिन से साठ दिन तक बढ़ा कर संशोधित किया गया था (मई 2014)। इसके अलावा कोयला ब्लाक आवंटन के रद्द करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश (सितम्बर 2014) के तुरन्त बाद 9 जनवरी 2015 को समाप्त होने वाली 60 दिन की नोटिस अवधि के अन्दर, खान के आबंटन रद्द होने के मामले में, ऋण को वापसी लेने के बजाय, कम्पनी ने कर्जदार के अनुरोध (जनवरी 2015) पर 120

---

59 टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड (टीपीसीएल), जिंदल फोटो लिमिटेड (जेपीएल) एवं मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (एमईआईएल) प्रत्येक के 1/3 ऋण राशि की सीमा तक।

60 टीपीसीएल ने ₹ 47.80 करोड़ (अगस्त 2015) और जेपीएल ने ₹ 51.32 करोड़ (नवम्बर 2015) का भुगतान किया।

61 मंत्रालय द्वारा खान की मनाही/अनावंटन पर आईएफसीआई द्वारा पुट विकल्प का प्रयोग करने से एमसीसीएल को ऋण के पूर्व भुगतान के लिए 30 दिन दिए जाएंगे।

दिनों का एक और विस्तारण प्रदान कर दिया। इसी दौरान, मंदाकिनी कोयला ब्लॉक सभी अधिकारों और स्वत्वाधिकारों के साथ एक नए आबंटी को आबंटित किया गया था। इसके अलावा, उधारकर्ता को उसके ₹ 243.99 करोड़ (₹ 140 करोड़ के आईएफसीआई ऋण सहित) के दावे के प्रति सरकार द्वारा केवल ₹ 5.57 करोड़ प्रस्तावित (मार्च 2015) किए गए थे जो कि कोयला खान अध्यादेश, 2014 के अनुसार भूमि और खान संरचना में निवेश की गई लागत थी।

कम्पनी को समूह में कई ऋणों के कारण एनसीडी के माध्यम से एमआईईएल में ₹ 250 करोड़ (11 फरवरी 2014) का एक्सपोजर भी था। तथापि, कम्पनी ने कारपोरेट गांरटीदाता होने के बावजूद उसके विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं प्रारंभ करने का निर्णय लिया ताकि 31 मार्च 2016 तक उनके पास कम्पनी के ₹ 272.76 करोड़ तक के मौजूदा एक्सपोजर को खतरे में न डाला जाए।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जून, नवम्बर 2016) कि चल परिसम्पत्तियों से 1 एफ़एसीआर (ऋण के बराबर राशि) को औचित्यपूर्ण माना गया था और मंत्रालय द्वारा एमसीसीएल को व्यय की प्रति पूर्ति पर आईएफसीआई का पहला अधिकार होगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चल परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप से प्रशासन प्रभार और डिवीज़नल वन अधिकारी, औद्योगिक संरचनात्मक विकास निगम द्वारा की गई मांगों के प्रति किए गए भुगतान शामिल थे और इन्हें प्रतिभूति नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, कोयला खान अध्यादेश, 2014 की योजनानुसार आईएफसीआई किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा क्योंकि भूमि और खानों में उसका कोई प्रतिभूति हित नहीं है इसलिए ₹ 56.73 करोड़ के प्राप्यों की वसूली की संभावना काफी कम थी।

घ. आरईआई एग्रो लिमिटेड

कम्पनी ने आरईआई एग्रो लिमिटेड (आरईआईएएल) को ₹ 100 करोड़ (जून 2012) का एक कारपोरेट ऋण दिया जो की ऋण के बराबर की राशि के आरईआईएएल के शेयरों को प्रतिभूति के रूप में गिरवी रख कर और सभी स्थायी परिसम्पत्तियों (1.25 गुणा) के समरूप प्रभार पर संस्वीकृत किया गया । ₹ 35 करोड़ का संवितरण केवल शेयरों की प्रतिभूति पर किया गया (जुलाई 2012) और पहला समरूप प्रभार देने के लिए तीन महीनों का विस्तारण दिया गया था। गिरवी के बाद (दिसम्बर 2012) ₹ 65 करोड़ की शेष राशि संवितरित की गई (जनवरी 2013)। चूंकि उधारकर्ता ने देयों के पुनर्भुगतान में चूक की थी (जनवरी 2014),

इसलिए संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) का गठन किया गया और सुधारात्मक कार्य योजना के तहत एक पुनर्गठन समझौता निष्पादित किया गया (जून 2014)। आरईआईएएल ने काफी विलम्ब के बाद केवल दो किश्तों का भुगतान किया और तीसरी किश्त की वसूली शेयरों की बिक्री से की गई थी। 10 जनवरी 2015 को खाता एनपीए हो गया और 18 फरवरी 2015 को सरफेसी नोटिस जारी किया गया था। आईएफसीआई ने सभी गिरवी शेयरों की बिक्री द्वारा ₹ 40.50 करोड़ की राशि की वसूली की। ₹ 31.89 करोड़ (पूर्ण प्रावधान किया गया) का बकाया मूल और ₹ 8.52 करोड़ का ब्याज वसूला नहीं गया था (31 मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आरईआईएएल की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति[62] बिगडने के बावजूद ऋण की संस्वीकृति की गई थी। मौजूदा सामान्य ऋण नीति में अनुबद्ध न्यूनतम 1.5 के प्रति औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात 1.38 था। सीआरएमडी ने अपने जोखिम नोट में कहा था कि अस्थिर बाजार में आरईआईएएल के गिरवी इक्विटी शेयरों के मूल्य के गिरने का खतरा मौजूद है। फोरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (दिसम्बर 2014)[63] और फैक्ट्री विजिट निरीक्षण रिपोर्ट (नवम्बर 2014)[64] में उधारकर्ता के विरूद्व निधियों के विपथन/निकालने और वित्तीय विवरणों को गलत प्रदर्शित करने की गंभीर आपत्तियां पाई गई। अतः प्रतिभूति के मूल्य में काफी कटाव के कारण ₹ 40.41 करोड़ की वसूली संदेहपूर्ण थी[65]।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जून, नवम्बर 2016) कि आईएफसीआई ने आरईआईएएल को ₹ 100 करोड़ की नई सुविधा संस्वीकृत की थी क्योंकि उसकी रेटिंग 'सीएआरआई ए+' थी और पूर्व में उसने अपने आन्तरिक संसाधनों से अल्पावधि पुनर्भुगतान देयताओं को पूरा करने की क्षमता का प्रदर्शन किया था।

उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि वित्तीय मापदंडों का प्रभाव, जो कि 2011-12 में काफी कम हो गए थे , को ऋण की संस्वीकृति के समय देखा जाना चाहिए था।

---

[62] 2011-12 मे 2010 -11 की तुलना मे बढते ऋण (129.14 प्रतिशत तक वृद्धि), ब्याज लागत (57.19 प्रतिशत तक वृद्धि) पीएटी में गिरावट (19.50 प्रतिशत तक) चालू अनुपात (8.08 प्रतिशत तक) और एफएसीआर (38.22 प्रतिशत तक)

[63] लेखापरीक्षकों ने निधियों के उपयोग जैसे संबंधित कम्पनियों में निवेश, संदिग्ध/संबंधित पार्टियों को बिक्री, देनदारों द्वारा पुष्टि न करना इत्यादि अनियमितताएं पाई।

[64] ऋणदाताओं ने यूनिटों/गोदामों में उनके दौरे में स्टाक में भंडार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं पाया, यूनिटें कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण बंद हो गई थी।

[65] स्थायी परिसम्पत्तियों की प्रतिभूति का मूल्य 8 नवम्बर 2014 को ₹ 1778 करोड़ और 31 मार्च 2015 को ₹ 945 करोड़ था।

ङ एसईडब्ल्यू ग्रीन एनर्जी लिमिटेड/एसईडबल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

कम्पनी ने एसईएल की धारित कम्पनी अर्थात एसईडबल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एसआईएल) द्वारा तिमाही रूप से देय 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की अंतरिम रिर्टन के साथ एसईडबल्यू ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसईएल) के ₹ 150 करोड़ के पूरी तरह परिवर्तनीय डिबेंचर (एफसीडी) खरीदे। अंतिम रिर्टन वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 13.5 प्रतिशत थी और एसआईएल द्वारा वापसी खरीद के समय देय थी। 30 अगस्त 2010 को ₹ 50 करोड़ का संवितरण किया गया था। कम्पनी ने एसआईएल[66] के बजाय एसईएल को अंतरिम रिर्टन देने के दायित्व के साथ साथ वापसी खरीद की देयता देकर संस्वीकृति की शर्तों को संशोधित किया और एसआईएल की कॉरपोरेट गारंटी को छोड दिया (अगस्त 2010)। अवितरित ₹ 100 करोड़ की राशि को रद्द कर दिया (मई 2012) क्योंकि एसईएल ने उसका लाभ नहीं उठाया। एफसीडी का 30 अगस्त 2013 को बुलेट किश्त में पुनर्भुगतान किया जाना था। एसईएल के अनुरोध पर, पुनर्भुगतान समय को तीन भागों[67] में भुगतान हेतु विभाजित कर संशोधित किया गया था। (11 सितम्बर 2013)। उधारकर्ता 30 अगस्त 2014 को देय तीसरी किश्त का भुगतान करने में विफल रहा और खाता 31 मार्च 2015 को एनपीए हो गया।

नागपुर में स्थित ₹ 60.06 करोड़ मूल्य (अगस्त 2014) की एक भूमि को प्रतिभूति और एसईएल के 88.66 लाख शेयरों की वचनबद्धता के रूप में गिरवी रखने के प्रति एसआईएल को ₹ 40 करोड़ का एक और ऋण संस्वीकृत किया गया (18 जुलाई 2014)। एसआईएल ने 15 अप्रैल 2015 से पुनर्भुगतान में चूक की और खाता एनपीए हो गया (31 दिसम्बर 2015)। वापसी खरीद के करार के तहत पुनर्भुगतान पाने के लिए एसआईएल ने तामिलनाडु की ₹ 13.43 करोड़ मूल्य की एक और भूमि को गिरवी रखा (9 मई 2016)। कुल मूल बकाया ₹ 54.25 करोड़ था और वसूल न किया गया ब्याज ₹ 9.20 करोड़ था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफसीआई ने एसईएल की एफसीडी केवल एसआईएल की कारपोरेट गारंटी की प्रतिभूति, निदेशक की व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर ली थी और कोई मूर्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की थी। एफसीडी लेते समय, एसआईएल के योग्यता मानदण्ड की जांच की गई और उधारकर्ता (एसईएल) के वित्तीय सूचकों को ध्यान में नहीं रखा गया क्योंकि एसआईएल को एफसीडी वापिस खरीदनी थी। उधारकर्ता की वित्तीय क्षमता पर

[66] यदि एसईएल चूक करता है तो एसआईएल को बायबैक देयता का सम्मान करना था।

[67] 30 अगस्त 2013 तक बुलेट पुनर्भुगतान के बाजय बायबैक को तीन बराबर किश्तो (अगस्त 2013, फरवरी 2014 और अगस्त 2014) में संशोधित किया गया।

उस समय भी विचार नहीं किया गया जब कम्पनी ने संस्वीकृति की शर्तों को संशोधित (अगस्त 2010) कर एसईएल को अन्तरिम रिर्टन का दायी बनाने के साथ साथ वापसी खरीद की देयता भी दी थी। संस्वीकृति नोट में यह भी उल्लेख किया गया था कि एसईएल 2015[68] तक कोई लाभ अर्जित नहीं करेगा जबकि आईएफसीआई को उसकी पुनर्भुगतान देयता अगस्त 2013 तक उत्पन्न होगी।

एसआईएल को ऋण स्वीकृत किया गया जबकि एसआईएल ने सामान्य ऋण नीति में निर्धारित योगयता मानदण्ड को पूरा नहीं किया था क्योंकि 1.20 के बजाय उसका चालू अनुपात 1.02 था; ग्रुप स्तर पर समेकित ऋण इक्विटी अनुपात 3.5 निर्धारित था किन्तु समेकित वित्तों की समीक्षा नहीं की गई थी। सामान्य ऋण नीति में निर्धारित न्यूनतम 2.50 गुणा के प्रति कुल प्रतिभूति कवर 2.25 गुणा था और एसआईएल के डीएससीआर में भी पिछले दो वर्षों से गिरावट आ रही थी और वह 0.86 (2013-14) था। उसके नामिति और स्वतंत्र निदेशक आरबीआई की सूची में थे और इस अन्तर को कार्यकारी समिति ने मंजूरी दे दी थी।

प्रबन्धन ने कहा (जुलाई, नवम्बर 2016) कि यह परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित थे और एसईएल को ऋण एसआईएल की वित्तीय क्षमता के आधार पर दिया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि महत्वपूर्ण जोखिम तत्वों और उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता का मूल्यांकन संस्वीकृति/संशोधन के समय उचित रूप से नहीं किया गया था। ₹ 63.45 करोड़[69] के कुल बकाया ऋण में से, एसईएल के संबंध में ₹ 14.25 करोड़ के मूल का पूर्ण रूप से प्रावधान किया गया था।

6.3.2 संदेहपूर्ण और अवमानक परिसम्पत्तियां

उन मामलों के अतिरिक्त, जहां बकाया राशि पूरी तरह से प्रावधान की गई थी, जैसा ऊपर पैरा 6.3.1 में चर्चा की गई है, लेखापरीक्षा जांच में 18 एनपीए मामलों में कमियों का पता चला जहां ₹ 908.13 करोड़ के वसूले न गए ब्याज सहित ₹ 3799.33 करोड़ की बकाया राशि की वसूली संदेहपूर्ण थी।

---

[68] 2007-2008 और 2008-09 के लिए, लाभ और हानि खाता तैयार नहीं किया गया था क्योंकि एसईएल ने कोई वाणिज्यिक परिचालन नहीं किया था और 2009-10 के लिए ₹ 5 लाख की हानि हुई थी।

[69] मूलः एसईएल--₹ 14.25 करोड़ और एसआईएल-₹ 40 करोड़, ब्याजः एसईएल-₹ 3.19 करोड़ और एसआईएल-₹ 6.01 करोड़

पाई गई कमियों में उधारकर्ताओं के क्रेडिट मूल्यांकन में पाई गई कमियों सहित सामान्य ऋण नीति/संस्वीकृति की शर्तों के प्रावधानों के उल्लंघन, ऋणों की अपर्याप्त मानीटरिंग, वसूली अधिकारों की रक्षा के लिए प्रवर्तनीय प्रतिभूतियां बनाने में कमियां, ऋण प्राथमिक प्रतिभूतियां बनाए बिना वितरित करने और मौजूदा चूकों के बावजूद प्रतिभूतियां जारी करना इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा, ऋणों की अपर्याप्त मानीटरिंग भी प्रतिभूति लागू करने में विलम्बों से स्पष्ट थी।

सामान्य कमियों के साथ 10 मामलों पर आपत्तियां **अनुबंध** - 2 में प्रस्तुत की गई है और आठ एनपीए पर विस्तृत आपत्तियों का यहां विस्तृत ब्यौरा दिया गया हैः

क. श्रावंथी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल)

कम्पनी ने जुलाई 2010 और मई 2011 के बीच श्रावंथी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (एसईपीएल), को जिसे श्रावंथी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (एएसआईपीएल) द्वारा प्रवर्तित किया गया था, को उत्तराखंड मे (225 मे.वा प्रत्येक के दो चरणों में) एक गैस आधारित थर्मल प्लांट के लिए ₹ 1081.34 करोड़ की अडंर राइटिंग सुविधाएं दी और ₹ 113.30 करोड़ के इक्विटी शेयरों के लिए अभिदान किया । संस्वीकृत राशि में से, ₹ 722.60 करोड़[70] अडंर राइटिंग सुविधाओं के लिए और ₹ 94.46 करोड़ इक्विटी अभिदान के लिए जारी किया गया था। यह सुविधाए परियोजना की सभी अचल सम्पत्तियों (वर्तमान और भविष्य) के प्रथम गिरवी (चरण-I और चरण-II की सामान्य सुविधाओं पर प्रथम समरूप प्रभार सहित) के साथ साथ एसईपीएल शेयरों की 51 प्रतिशत प्रतिबद्धता, प्रामोटरों की व्यक्तिगत गारंटी और कारपोरेट गारंटी द्वारा सुरक्षित की गयी थी। क्रेडिट सुविधाओं का पुनर्भुगतान वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से 10.5/12.9 वर्षों में करना था जबकि इक्विटी निवेश के लिए दो अवधियों[71] की समाप्ति पर केवल पुट विकल्प था। चरण-I और चरण-II की परियोजना ₹ 845 करोड़ और ₹ 898 करोड़ की कुल लागत पर निर्मित होना परिकल्पित था और उनका सीओडी प्राप्त करना क्रमशः दिसम्बर 2011 और मार्च 2012 में निर्धारित था। आईएफसीआई और एक्सिस बैंक ने संयुक्त रूप से चरण-I की पूरी ऋण आवश्यकता को अंडरराइट किया। आईएफसीआई ने ₹ 333.75 करोड़ का एक्सपोजर अंडरराइट किया किन्तु सफल रूप से ऋण के भाग को बेचने[72] के बाद अपनी संस्वीकृति को ₹ 148.75 करोड़ तक

---

[70] चरण-I संवितरण 31.8.2010 से 3.2.2011. तक किए गए थे चरण–II संवितरण मार्च 2011 से सितम्बर 2014 तक किए गए

[71] लेने की तिथि से पहले और दूसरे वर्ष के बीच और दोबारा तीसरे और पाँचवे वर्ष के बीच

[72] यह अन्य बैंक को दिए गए अंडरराइट किए गए ऋण का भाग है।

सीमित किया। चरण - II मे आईएफसीआई ने ₹ 673.50 करोड़ की पूरी ऋण आवश्यकता की अंडरराईटिंग की और ₹ 300 करोड़ तीन बैंको को बेच दिया[73]।

चरण-I का भौतिक निर्माण पूरी तरह से पूर्ण हो गया था किन्तु वाणिज्यिक परिचालन प्राप्त नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 420.87 करोड़[74] का लागत आधिक्य, जो कि सरकार से सब्सिडी दरों पर गैस जो विद्युत सृजन के लिए एक आधार-भूत इनपुट हैं की अनुपलब्धता के कारण था। चरण-II का निर्माण 85 से 90 प्रतिशत तक पूरा हुआ था और निधियों की कमी और गैस आबंटन न होने के कारण रोक दिया गया था। कर्जदारों ने चरण-I के लिए दिसम्बर 2011 से दिसम्बर 2014 तक और चरण-II के लिए मार्च 2012 से मार्च 2015 तक दो से तीन बार सीओडी बढ़ा कर ऋण पुनर्गठित किया।

चरण-II में, जब सभी ऋणदाता बैंको, जिन्हें आईएफसीआई ने अंडरराईटिंग वचनबद्धता बेची थी, ने गैस की अनुपलब्धता के कारण क्रेडिट सुविधाएं न देने का निर्णय लिया, कम्पनी ने उधारकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार संवितरण करना जारी रखा और ₹ 100 करोड़ की एक टेक एंड होल्ड प्रतिबद्धता के प्रति[75] ₹ 537.33 करोड़ का संवितरण किया।

जैसा कि एसईपीएल ने मूल और ब्याज के भुगतान में चूक की थी, ₹ 94.46 करोड़ के इक्विटी जोखिम के साथ दोनो चरणों के लिए ₹ 722.60 करोड़ का मूल और ₹ 307.99 करोड़ के ब्याज का बकाया एकत्रित हो गया था। इन परिसम्पत्तियों को 31 मार्च 2014 से कम्पनी की बहियो में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

चूंकि गैस का आवंटन न होने के कारण सीओडी प्राप्त नहीं की जा सकी (चरण-II) और चरण-II की पूर्णता के लिए मियादी ऋण का पूरक निधियन लाने के लिए प्रमोटरों में वित्तीय मजबूती नहीं होने के दृष्टिगत जेएलएफ ने आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार नीतिगत ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2015)। एसडीआर पैकेज में उधारकर्ताओं को बकाया ऋण और ब्याज का कम्पनी के इक्विटी शेयरों में रूपातंरण उनके यथानुपात जोखिम के आधार पर करना शामिल था ताकि कम्पनी के 51 प्रतिशत इक्विटी शेयरों की हिस्सेदारी प्राप्त की जा सके । जेएलएफ द्वारा एसडीआर पैकेज 15 दिसम्बर 2015 को अनुमोदित और अप्रैल 2016 में कार्यान्वित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि :

---

73 स्टेट बैंक आफ पटियाला, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और केनरा बैंक प्रत्येक को ₹ 100 करोड़

74 ₹ 1265.87 करोड़ – ₹ 845 करोड़ अनुमानित लागत

75 यह ऋणदाता द्वारा उसके शेयर के रूप में रखे गए अंडरराइट किए हुए ऋण का भाग है।

i) दोनो चरणों में अडंरराईटिंग और इक्विटी सुविधा संस्वीकृत करते समय योग्यता मानदंडों मे सामान्य ऋण नीति की शर्तो से विचलन थे जैसा नीचे चर्चा की गई है:

- कम्पनी की ऋण नीति के संदर्भ में, उधारकर्ता/प्रमोटर कम्पनी द्वारा क्रेडिट सुविधा का लाभ लेने के लिए पिछले तीन वर्षों में लाभ अर्जित किया होना चाहिए। यद्यपि, उधारकर्ता (एसईपीएल) के साथ साथ प्रमोटर (एसआईपीएल) दोनो ही नवगठित (2009) थे और इस मानदण्ड को पूरा नहीं करते थे, कम्पनी ने ₹ 333.75 करोड़ (चरण I) और ₹ 673.50 करोड़ (चरण-II) की क्रेडिट सुविधा प्रदान की।
- उधारकर्ता (एसईपीएल) के पास अपेक्षित सीआरआईएसआईएल की न्यूनतम बीबीबी (चरण-II) की निवेश क्रेडिट रेटिंग के प्रति कोई रेटिंग नहीं थी ।
- चरण-I में, प्रमोटर कम्पनी की निवल संपत्ति निर्धारित ₹ 200 करोड़ की जगह एसआईपीएल के पास केवल ₹ 1 लाख की प्रदत पूंजी के साथ केवल ₹ 0.82 करोड़ की निवल संपत्ति थी । इस मानदंड मे न केवल ढील दी गई किन्तु इक्विटी में गैर प्रतिभूति के ऋणों को शामिल करके ₹ 52.88 करोड़ पर गलत दर्शाया गया था। इसी प्रकार, चरण-II में ₹ 300 करोड़ के संयुक्त निवल सम्पत्ति के मानदण्ड के प्रति एसआईपीएल और व्यक्तिगत प्रमोटर की निवल संपत्ति केवल ₹ 61.20 करोड़[76] थी जिसमें ढील दी गई थी।

ii) चरण-I के लिए एलओआई जारी होने (30 जुलाई 2010, 23 मई 2011) के दो दिन के अन्दर और चरण-II के लिए उसी दिन (2 अगस्त 2010, 23 मई 2011) उधारकर्ता द्वारा एलओआई में संशोधन करने का अनुरोध किया गया। उधारकर्ता द्वारा अनुरोध किए गए संशोधनों में दोनो चरणों की एलओआई में निर्धारित संवितरण से पूर्व शर्तों के लिए, जैसे गेल के साथ दीर्घकालिक आधार पर 100 मेवा के लिए पक्का गैस आवंटन समझौता करने, और अल्पकालिक आधार पर 125 मे.वा. के लिए पक्का विद्युत खरीद करार (पीपीए) करने को संशोधित किया गया (अगस्त 2010, जून 2011) जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) से केजी बेसिन से गैस का आवंटन सुनिश्चित करने का एक आश्वासन पत्र प्राप्त करने का विकल्प देकर अल्पकालिक पक्के पीपीए करार की आवश्यकता को हटाना था जिससे कर्जदार को आसानी से संवितरण हेतु लाभ दिया गया ।

---

[76] एसआईपीएल की निवल सम्पत्ति ₹ 26.34 करोड़ (फरवरी 2011) और व्यक्तिगत प्रमोटर की निवल सम्पत्ति ₹ 34.86 करोड़ था (मार्च 2011)।

(iii) इक्विटी निवेश बिना किसी दृढ वापसी खरीद करार आश्वासित प्राप्ति या प्रतिभूति के किया गया था तथा केवल एक पुट विकल्प उपलब्ध था जो एक विश्वसनीय प्रतिभूति नहीं थी।

(iv) ₹ 75.33 करोड़ (30 अगस्त 2010) का पहला संवितरण (चरण-I) परिसम्पत्तियों पर प्रभार के पंजीकरण की पूर्व संवितरण की शर्त के उल्लंघन में किया गया था। इसी प्रकार, ₹ 90.38 करोड़ (संवि सं. 3,4, और 7)[77] का चरण-II का संवितरण परियोजना परिसम्पत्ति पर बिना समरूप प्रभार सृजित किए तथा इसके लिए अतिरिक्त समय प्रदान कर जारी किया गया था (नवम्बर 2011 और जून 2012)। इसके अलावा, ₹ 41.80 लाख[78] की अग्रिम राशि की प्राप्ति की संवितरण पूर्व शर्त का भी उल्लंघन किया गया था क्योंकि सितम्बर 2013 और मार्च 2014 के दौरान ₹ 51.68 करोड़[79] की राशि का संवितरण (संवि. सं. 15,16 और 17) अग्रिम राशि की प्राप्ति के बिना जारी किया गया था। इन अग्रिम राशियों को बाद में ऋण खाते में बही समायोजन के रूप में डेबिट किया गया था।

v) चरण-I में, आईएफसीआई ने सिंडिकेशन के बाद (मार्च 2011) ₹ 148.75 करोड़ की कुल ऋण की तय सीमा के प्रति उधारकर्ता को ₹ 153.86 करोड़ (मार्च 2011) संवितरित किए थे जिसके परिणामस्वरूप अंडरराइट की गई प्रतिबद्धता से अधिक संवितरण हुआ। ₹373.50 करोड़ (चरण-II) की अंडरराइट की गई प्रतिबद्धता के प्रति आईएफसीआई ने ₹ 115.05 करोड़[80] का अधिक संवितरण किया जो कि तीनों बैंकों से प्रत्येक बैंक द्वारा ₹ 100 करोड़ के पिछले समझौते पर हस्ताक्षर के बाद था (फरवरी 2012)। विधि विभाग के मत और सीईओ एंव एमडी के अभिकथन के बावजूद (नवम्बर 2012) आईएफसीआई अपनी घटाई गयी प्रतिबद्धता से अधिक जारी करने के लिए बाध्य नहीं था, तो भी ₹ 115.05 करोड़ की राशि अंडरराइट की गई प्रतिबद्धता से अधिक जारी की गई थी।

vi) परियोजना के वित्तीय पक्ष की जांच करते समय, आईएफसीआई ने कई मौजूदा परियोजनाओं में गैस की आपूर्ति की कमी की समस्या के बारे में विचार नहीं किया। तथापि, इस जोखिम को कम आँका गया क्योंकि लेखापरीक्षा ने न तो एमओपीएनजी से कोई ठोस प्रतिबद्धता पाई न किसी घरेलू आपूर्तिकर्ता के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) किया

---

77 ₹ 44.21 करोड़ + ₹ 34.40 करोड़+ ₹ 11.77 करोड़

78 ₹ 13.20 लाख+ ₹ 14.04 लाख+ ₹ 14.56 लाख

79 ₹ 16.32 करोड़+ ₹ 17.36 करोड़+ ₹ 18 करोड़

80 जून 2013 से जुलाई 2014

गया था ताकि एसईपीएल 70 प्रतिशत घरेलू गैस की व्यवस्था कर सकेगा। इनपुट लागत के प्रति कोई संवेदनशील विश्लेषण भी नहीं किया गया था।

vii) चरण-II के लिए ₹ 673.50 करोड़ के पूरे ऋण की प्रतिबद्धता के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन (9 नवम्बर 2010) इस तथ्य की परवाह किए बिना दिया गया था कि मौजूदा चरण-I परियोजना को आवंटित गैस को ही अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। नामिति निदेशक के गैस पाइपलाइन की पूर्णता में विलम्ब की शंकाओं (5 मई 2011) और गैस आवंटन (चरण-I) पर कार्यकारी निदेशक की चिन्ता, जो कि परियोजना को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक था, के बावजूद चरण-II को अनुमोदन दिया गया (23 मई 2011)।

viii) ब्याज/मूल भुगतानों में न्यूनतम ₹ 1.60 करोड़ से अधिकतम ₹ 14.15 करोड़ की चूकों को ₹ 94.72 करोड़ की जारी सात संवितरित राशियों से समायोजित किया गया था जिसमे कम्पनी[81] द्वारा जारी आश्वासन पत्र के प्रति भुगतान भी शामिल थे। यह समायोजन ऋण को एनपीए श्रेणी में आने से बचाने के लिए थे जो आरबीआई के खातों को एवरग्रीन रखने का सहारा न लेने के मानदण्डों के उल्लंघन में था।

श्रांवथी एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड के ऋण खाते के संबंध में आईएफसीआई लिमिटेड के तत्कालीन सीईओ एंव एमडी के विरूद्ध शिकायत के मामले पर जांच रिपोर्ट निदेशक बोर्ड को प्रस्तुत की गई थी (2 जुलाई 2015) जिसने बैंकिंग प्रतिभूति धोखाधडी सैल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों में एफआईआर करने की सहमति प्रदान की।

प्रबन्धन ने योग्यता मानदण्ड (क्रेडिट रेटिंग और उधारकर्ता/प्रमोटर के निवल संपत्ति के संबंध में) में छूट, प्रतिभूति सृजन के प्रति पूर्व संवितरण शर्तों के अनुपालन, के साथ साथ संवितरणों से अग्रिम शुल्क के समायोजन के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते समय कहा कि मामले की जांच सर्तकता विभाग द्वारा की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि नवगठित होने के बावजूद अन्य बैंको ने भी एसईपीएल को ऋण दिए थे; संवितरण पूर्व शर्तों में संशोधन किए गए थे क्योंकि परिभाषित प्राथमिकता के अनुसार परियोजना एमओपीएनजी के क्षेत्राधिकार मे आ गई थी। चरण-II के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन नवम्बर 2010 में दिया गया था जबकि नामिति निदेशक की फीडबैक रिपोर्ट मई 2011 में उसके बाद प्राप्ति हुई थी। चरण-II के लिए ऋण की प्रतिबद्धता ली गई थी क्योंकि परियोजना XI[वी]

[81] अप्रैल 2012 से अगस्त 2012 के बीच अन्य ऋणदाताओं द्वारा खोले गए एलओसी के लिए (संवित सं. 5, 6, 8, 9, 10 एवं 11)

योजना में सीओडी प्राप्त करने हेतु बनाई गयी थी और गैस आवंटन प्रत्याशित था। ₹443.37 करोड़ की प्रतिबद्धता से अधिक संवितरण कानूनी राय लेने से पहले ही किया जा चुका था। ब्याज चूको के बावजूद चरण-II के संबंध में संवितरण जारी कर दिए गए थे ताकि आश्वासन पत्रों (एलओसी) की प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सके। कम्पनी की इक्विटी देने के लिए पुट/काल विकल्प अवैध हो गए थे क्योंकि एसडीआर का प्रयोग कर लिया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक विवेक की मांग थी कि कम्पनी क्रेडिट गुणवत्ता आधार पर निर्णय लेती और अन्य संगठन कैसे कार्य करते हैं उस पर नहीं। संस्वीकृति की महत्वपूर्ण शर्तों में संशोधन तर्कसंगत नहीं था विशेष रूप से गैस आवंटन जिसकी संस्वीकृति की तिथि के समय से पहले से ही कम आपूर्ति थी और यह तथ्य, कि परियोजना उत्तराखंड में स्थित थी जो कि विद्युत आधिक्य वाला राज्य था, को सीआरएमडी के जोखिम मूल्यांकन नोट में बताया गया था। संस्वीकृति के समय परियोजना पहले से ही एमओपीएनजी के क्षेत्राधिकार में थी (सितम्बर 2010)। अतः परियोजना गैस आवंटन के मानदण्ड को पूरा नहीं कर सकी क्योंकि प्राथमिकता विद्युत की कमी वाले राज्यों में स्थित मौजूदा परियोजनाओं को दी जानी थी। अतः आश्वासन पत्र प्राप्त करना आवंटन की गारंटी नहीं थी। चरण-II के लिए क्रेडिट सुविधा का अनुमोदन 23 मई 2011 को कार्यकारी निदेशक के चरण-I में भी गैस उपलब्धता न होने की शंकाओं (9 मई 2011) और इस तथ्य कि बिना घरेलू गैस आपूर्ति के परियोजना व्यवहार्य नहीं हो सकती थी, के बावजूद दिया गया था। यह तथ्य, कि जोखिम लेने के समय कई मौजूदा परियोजनाएं एमओपीएनजी से गैस आबंटन की प्राथमिकता के बाद भी 2010-11 से आरआईएल के केजी-डी 6 ब्लाक से कम गैस उत्पादन के दृष्टिगत पहले ही आपूर्ति की कमी का सामना कर रही थी, की अनदेखी की गई थी। गैस की उपलब्धता की अनिश्चितता के कारण अपनी स्वंय की प्रतिबद्धता जारी न करने के अन्य बैकों के निर्णय आईएफसीआई को यह प्रतिबद्धता लेने के लिए मजबूर नहीं करते क्योंकि वह इसे पहले ही बेच चुका था।

अतः क्रेडिट सुविधा की संस्वीकृति/संवितरण में विवेकपूर्ण निर्णय के अभाव के परिणामस्वरूप ₹ 722.60 करोड़ के बकाया ऋण और ₹ 94.46 करोड़ के इक्विटी निवेश की वसूली न होने के अलावा ₹ 399.74 करोड़ (₹ 307.99 करोड़ जमा ₹ 91.75 करोड़) की इक्विटी राशि पर ब्याज और रिर्टन की वसूली नहीं की जा सकी।

ख. एमवीएल लिमिटेड

एमवीएल लिमिटेड को एमवीएल के इक्विटी शेयरो[82] की 2.5 गुणा प्रतिभूति, प्रमोटर की व्यक्तिगत गारंटी और एमवीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक ग्रुप कम्पनी, की कारपोरेट गांरटी के साथ ₹ 50 करोड़ का एक कारपोरेट ऋण संस्वीकृत और संवितरित किया गया था (मई 2010)। चूंकि एमवीएल ने पुनर्भुगतान में चूक की थी (दिसम्बर 2011) देयों की वसूली के लिए उसके शेयरों को बेच[83] दिया गया था। तथापि, चूक जारी रहने के कारण ऋण एनपीए हो गया (30 सितम्बर 2012)। आईएफसीआई ने ऋण वापिस मांगा और नवम्बर 2012 में गारंटी को भुना लिया। एमवीएल के रियल एस्टेट परियोजना में 76 फ्लैटों की अतिरिक्त प्रतिभूति के साथ ऋण को पुनर्गठित किया गया था (अगस्त 2013)। तथापि उधारकर्ता ने पुनर्गठन पैकेज के नियमों और शर्तों को पूरा नहीं किया था। इसलिए पुनर्गठन पैकेज को रद्द कर दिया गया (जुलाई 2014)। 31 मार्च 2016 तक ऋण का ₹ 43.80 करोड़ का मूल और ₹ 34.39 करोड़ का वसूला न गया ब्याज बकाया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफसीआई ने सीआरएमडी द्वारा अपने जोखिम नोट में यह बताए जाने के बावजूद कि अधिकतर शेयर प्रमोटर के पास थे और इसमें काफी उतार चढाव हो सकते हैं और आईएफसीआई को शेयरों के परिसमापन में कठिनाई आएगी, एमवीएल के शेयर प्राथमिक प्रतिभूति के रूप मे स्वीकार किए। सीआरएमडी ने आगे सचेत किया कि शेयर कीमतें अधिक मूल्य की बताई गई प्रतीत होती है और इसलिए अतिरक्त सहायक प्रतिभूति प्राप्त करने की संभावना ढूंढी जानी चाहिए। आईएफसीआई इस तथ्य को भी संज्ञान मे लेने में विफल रहा कि 2009-10 के लिए प्रक्षेपित वित्तीय विश्लेषणों मे लाभ मे / नकद मे 376.65 प्रतिशत तक और 636.33 प्रतिशत तक वृद्धि दर्शाई गई थी जो उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा, उधारकर्ता के आगामी ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए प्रक्षेपित नकदी प्रवाह और ₹ 291.22 करोड़ मूल्य की आने वाली परियोजनाओं के लिए शेष लागत के वित्तपोषण को भी पर्याप्त रूप से विश्लेषित नहीं किया गया क्योंकि सभी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही थी।

चूक होने के समय (दिसम्बर 2011) पर शेयरों के बेचने के बजाय जब ट्रेडिंग वोल्यूम लगभग 6.58 लाख शेयर प्रति दिन था और प्रतिभूति कवर 2.19 गुणा था (जनवरी 2012) तब आईएफसीआई ने वसूली की कार्रवाई विलिम्बत की। उस समय एमवीएल भुगतान और

---

[82] 11 जून 2010 मे ₹ 152.49 करोड़ मूल्य के 2.25 करोड़ शेयर

[83] जनवरी 2012 में 1.48 लाख, मई 2012 में 0.68 लाख जून 2012 में 1.45 लाख

अतिरिक्त शेयरों/सम्पत्ति गिरवी रख कर प्रतिभूति में वृद्धि करने में विफल रहा। इसके अलावा, पुनर्गठन के समय (अगस्त 2013), आईएफसीआई अपने हित की रक्षा करने में विफल रहा और उसने उन फ्लैटो की अतिरिक्त प्रतिभूति स्वीकार की जो अधिकांशत: अर्ध-निर्मित अवस्था में थे। आईएफ़सीआई की उपरोक्त ऋण को बेचने/देने की कोशिशें (अक्तूबर 2015/अप्रैल 2016/जुलाई 2016) बोलीदाताओं की कमी के कारण विफल हो गई।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई/नवम्बर 2016) कि सभी प्रक्षेपण उधारकर्ताओं के इनपुट पर आधारित थे और उक्त ऋण शेयरों के प्रति ऋण के अन्तर्गत उस समय प्रचलित नीति के अनुसार दिया गया था। उधारकर्ता द्वारा प्रस्तावित उच्च राशि की वसूली के लिए पुनर्गठन प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मूर्त प्रतिभूति शेयरों के परिसमापन में मुश्किल पर सीआरएमडी की आपत्ति के प्रकाश में काफी महत्वपूर्ण है। पुनर्गठन प्रस्ताव की व्यवहार्यता उधारकर्ता के निष्पादन के आधार पर नहीं आँकी गई थी और शेयरों की प्रतिभूति को तभी इस्तेमाल कर लिया जाना चाहिए था जब उधारकर्ता दिसम्बर 2011 में देयों के भुगतान में विफल हो गया था।

ग. एआरएसएस डेवलपर्स लिमिटेड

कम्पनी ने एआरएसएस डेवलपर्स लिमिटेड (एडीएल) को ₹ 100 करोड़ (सीएल-I) (10 मार्च 2011) और ₹ 60 करोड़ (सीएल-II) (20 जनवरी 2012) के दो ऋण संस्वीकृत किए। दोनों ऋणों के प्रति संवितरण क्रमशः ₹ 82 करोड़ (मार्च/अप्रैल 2011) और ₹ 44.39 करोड़ (6 मार्च 2012) किए गए थे जबकि शेष रद्द कर दिया गया था (जून 2012)। सीएल-I की सुरक्षा एआरएसएस इंफ्रा प्रोजेक्टस लिमिटेड (एआईपीएल) (एडीएल की धारक कम्पनी और एआरएसएस ग्रुप की प्रमुख कम्पनी) के 3 गुणा प्रतिभूति कवर के 47.6 लाख गिरवी शेयरों के माध्यम से जबकि सीएल-II की सुरक्षा पश्चिम विहार (नई दिल्ली) स्थित एक मॉल, प्राप्तियों पर विशिष्ट अधिकार और प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी (दोनों ऋण) द्वारा की गई थी।

सीएल-I का प्रतिभूति कवर संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार निर्धारित तीन गुणा से कम था (मई/जून 2011), जो उधारकर्ता बहाल नहीं कर सका। दोनों ऋणों पर बाद में ब्याज की चूकों (मई 2012) के कारण, आईएफसीआई ने जून 2012 में 43.15 लाख गिरवी शेयर बेच दिए थे। चूकों के दृष्टिगत, दोनों ऋण वापिस लिए गए प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी भुना

ली गई और सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारंभ की गई थी (जून 2012)। उधारकर्ता ने कटक के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सरफेसी कार्रवई को चुनौती दी, जिसने दोनों पक्षों को मामले को सौहार्द पूर्ण ढंग से सुलझाने के निर्देश दिए। इसके कारण आईएफसीआई ने सीएल-II को पुनर्निधारित किया (अक्तूबर 2012) और अन्य कानूनी कार्यवाहियां भी वापिस ली, किन्तु उधारकर्ता ने पुनर्निर्धारित ऋण पर भी चूक करना जारी रखा। 31 दिसम्बर 2012 को ऋण खातों को एनपीए वर्गीकृत किया गया। कम्पनी ने दोबारा दोनों ऋणों का पुनर्निर्धारण किया (फरवरी 2013) किन्तु उसे उधारकर्ता द्वारा शर्तो और नियमों के अननुपालन के कारण वापिस लेना पडा था (अगस्त 2013)। आईएफसीआई के निदेशक मण्डल ने उधारकर्ता के साथ बकाया देयों के निपटान के समझौते की स्वीकृति की (नवम्बर 2013) जिसमें आईएफसीआई ने अन्य खण्डों[84] को छोड़कर 30 सितम्बर 2013 तक कुल बकाया ब्याज (₹ 21.66 करोड़) में से ₹ 19.49 करोड़ (90 प्रतिशत) की छूट दी थी। तथापि, उधारकर्ता द्वारा आगे और चूकें करने के कारण बातचीत रद्द करनी पड़ी (27 अगस्त 2014) किन्तु दोबारा उसे बहाल किया गया (दिसम्बर 2014) और अन्ततः वापिस लिया गया (18 मई 2015) कम्पनी ने उधारकर्ता और उसके प्रमोटरों को अप्रैल 2016 में इरादतन चूककर्ता घोषित कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया, कि सामान्य ऋण नीति, जिसमें उस कम्पनी जिसके शेयर गिरवी रखे जाते थे की क्रेडिट रेटिंग 'ए' निर्धारित की थी के प्रति कम्पनी ने 'बीबी' क्रेडिट रेटिंग (एआईपीएल) पर पहला ऋण संस्वीकृत किया जिसे वास्तव में जून 2011 में अर्थात संस्वीकृति के तीन महीने के अन्दर 'डी' (चूककर्त्ता श्रेणी) में पदावनत कर दिया गया था, और अन्ततः अप्रैल 2012 में निलंबित कर दिया गया था। चार वर्षो की लम्बी अवधि के लिए केवल शेयरों के प्रति पहला ऋण संस्वीकृत करना जैसा कि सीआरएमडी द्वारा भी बताया गया था, तथा ग्रुप कम्पनी (एआईपीएल) की बैंकों से पूर्व चूकों और एआईपीएल के शेयर मूल्य के उतार चढाव[85] जैसे महत्वपूर्ण घटकों, पर यथोचित ध्यान नहीं किया गया। संस्वीकृति की शर्तो में स्पष्ट रूप से अनुबधित होने के बावजूद की यदि 25 प्रतिशत तक कीमतों में गिरावट होने पर उधारकर्ता शेयरों को बहाल करने या अपेक्षित रोकड मार्जिन प्रदान करने में विफल रहता है तो शेयरों की बिक्री का प्रावधान था गिरवी रखे

[84] 30.9.13-तक दोनों ऋणों के प्रति मूल ₹ 103.04 करोड़ और ब्याज के ₹ 21.66 करोड़ में से ₹ 25.30 करोड़ का अग्रिम भुगतान, ₹ 77.74 करोड़ की शेष राशि का भुगतान दिसम्बर 2013 से सितम्बर 2016, तक किया जाना था और ₹ 2.17 करोड़ ब्याज को फंडिड ब्याज मियादी ऋण में परिवर्तित किया गया था।

[85] ₹ 1376 का उच्चतम (27 अप्रैल 2010) और ₹ 580 प्रति शेयर का निम्नतम (9 मार्च 2011)

शेयरों की बिक्री में विलम्ब किया गया । अक्तूबर 2011 में शेयर कीमतें 25 प्रतिशत से अधिक तक गिर गई थी। आईएफसीआई, ने शेयरों को बेचने के बजाय अतिरिक्त सम्पत्ति (कृषि भूमि सहित) की गिरवी को स्वीकार किया, जो वास्तवित प्रतिभूति कवर को बहाल नहीं कर सका था। गिरवी रखे 43.15 लाख शेयरों की बाद में बिक्री (जून 2012) प्रति शेयर ₹ 46.34 की औसत कीमत पर की गई थी जिससे केवल ₹20 करोड़ (लगभग) की वसूली की गई थी जबकि अक्तूबर 2011 में औसत कीमत ₹333.48 प्रति शेयर थी। कम्पनी ने उधारकर्ता द्वारा सहायक प्रतिभूति के रूप में दिए गए ₹9.24 लाख लॉक्ड-इन इक्विटी शेयरों (अप्रैल 2013 तक) को वापिस कर दिया (28 अक्तूबर 2011) जिन्हें बाद में बकाया देयों की वसूली के लिए बेचा जा सकता था।

मॉल को गिरवी रखते समय समुचित सावधानी की कमी थी और आईएससीआई को यह पता नहीं था कि सीएल-II की संस्वीकृति से पूर्व कर्जदार पहले ही कुछ दुकानें बेच चुका था। अतः क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान माल सम्पत्ति के मूल्यांकन में पहले से बिकी हुई दुकानों को भी शामिल किया गया था। सीएल-II का लाभ लेने के बाद भी आईएफसीआई के संज्ञान के बिना मॉल में कुछ और सम्पत्तियों को बेचा गया था। सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने के बावजूद (14 जून 2012) आईएफ़सीआई भौतिक कब्जा लेने और बकाया देयों की वसूली करने के लिए उसे एक बार भी बिक्री पर लगाने मे असमर्थ रहा। आईएफसीआई लिमिटेड के तत्कालीन सीईओ और एमडी के विरूद्ध शिकायत के मामले पर आईएफसीआई के सर्तकता विभाग की आन्तरिक जांच रिपोर्ट (3 जून 2015) में भी समान मामले कवर किए गए थे और निष्कर्ष मे यह कहा गया "*कि निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त खाते के साथ व्यवहार करते समय चूकें/ अनियमितताएं/ लापरवाहियां की गई हैं"*/ यह जांच रिपोर्ट निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी (2 जुलाई 2015) जिसने इस ऋण खाते के संबंध में तत्कालीन सीईओ एवं एमडी के विरूद्ध लगाए गए आरोपों के प्रति केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों के बैंकिंग प्रतिभूति धोखाधडी सैल को एफआईआर दर्ज करने की सहमति प्रदान की थी।

प्रबन्धन ने अपने उत्तर में कहा कि सीबीआई को सूचना दी गई थी (जुलाई 2015) कि जाचं की समाप्ति पर, जांचकर्ता ने निष्कर्ष निकाला था कि एडीएल को संस्वीकृत ऋण मे उधारकर्ता को लाभ देने के लिए आईएफसीआई के नियमों और नीतियों के उल्लंघन का पता चलता है।

प्रबंधन का जवाब लेखापरीक्षा के इस कथन की पुष्टि करता है की इस संबंध मे समुचित सावधानी का अभाव था तथा सामान्य ऋण नीति का उल्लंघन था। परिणामस्वरूप, दोनों ऋणों पर 31 मार्च 2016 तक ₹ 160.50 करोड़ के कुल बकाया (₹ 57.39 करोड़ के ब्याज सहित) की वसूली संदिग्ध थी।

घ. बिनानी सीमेंट लिमिटेड

कम्पनी ने बिनानी सीमेंट लिमिटेड (बीसीएल) को बीसीएल की स्थायी परिसम्पत्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार के माध्यम से राशि के दो गुणा की प्रतिभूति, बीसीएल के शेयरों की गिरवी और बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीआईएल), एक ग्रुप धारक कम्पनी की कारपोरेट गारंटी पर ₹ 380 करोड़ के एक दीर्घावधि ऋण की संस्वीकृति और संवितरण किया (सितम्बर/नवम्बर 2013)। बीसीएल ने फरवरी 2014 में अपने भुगतानों में चूक की और अपने देयों के पुनर्निर्धारण का अनुरोध किया (अप्रैल 2014)। आईएफसीआई ने ₹ 485.01 करोड़ अर्थात ₹ 380 करोड़ के वर्तमान ऋण, ₹ 8.79 करोड़ का न चुकाया गया गया व्याज ₹ 36.79 करोड़ के वित्तपोषित ब्याज और ₹59.43 करोड़ का अतिरिक्त एक्सपोज़र का पुनर्निर्धारण पैकेज अनुमोदित किया (9 दिसम्बर 2014)। तथापि, बीसीएल ने पुनर्निधार्रण के बावजूद पुनर्भुगतान में चूक की और पुनर्निर्धारण के लिए अनुबद्ध प्रतिभूति पूर्ण करने में भी विफल रहा। तदनुसार कम्पनी ने ₹496.10 करोड़ के उसके ऋणों को एडेलवेस एसेट रीकन्स्ट्रकशन कम्पनी लिमिटेड को ₹ 74.41 करोड़ नकद प्राप्ति के रूप में और ₹ 421.69 करोड़ प्रतिभूति जमा के रूप में बेच दिए (फरवरी 2016)।

लोखपरीक्षा ने पाया कि बीसीएल ने मौजूदा सामान्य ऋण नीति के कुछ योग्यता मानदण्डों को पूरा नहीं किया था जैसे कि 1.5 के निर्धारित अधिकतम ऋण इक्विटी अनुपात के प्रति उसका अनुपात 1.92, निर्धारित न्यूनतम 1.33 चालू अनुपात के प्रति उसका अनुपात 0.62 और निर्धारित न्यूनतम 1.5 स्थायी परिसम्पत्ति कवरेज अनुपात के प्रति उसका अनुपात 1.37 था। कम्पनी सीआरएमडी के इस कथन पर कार्यवाही करने में भी विफल रही जिसके अनुसार सेवा कवरेज अनुपात की दोबारा जाँच की आवश्यकता थी क्योंकि उसकी नकद प्रवाह की पर्याप्तता उसकी भविष्य की देयताओं की तुलना में कम रोकड संग्रहण[86] उसके समय पर ऋण वापसी को प्रभावित कर सकता था। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-13 के दौरान बीसीएल का समेकित ऋण इक्विटी अनुपात 18.02 था, समेकित हानि ₹ 208

[86] 2020-21 तक ₹ 4,054 करोड़ की ऋण सेवा देयता, 2013-14, में ₹ 625 करोड़ और 2014-15 में ₹ 550 करोड़ 2010-11 में ₹ 152 करोड़ सकल नकद प्राप्तियां और 2011-12 में ₹ 225 करोड़

करोड़ थी तथा इसकी निवल संपत्ति का 48 प्रतिशत तक क्षरण हो चुका था। अन्य ऋणदाताओं की तरह कंपनी को भी अनैच्छिक रूप से अदत्त ब्याज को मियादी ऋण में रूपांतरित करना पडा क्योंकि अभी प्राथमिक प्रतिभूति बनाई जानी थी और आईएससीआई के पक्ष में समरूप प्रभार को सौपने के लिए अन्य ऋणदाताओं से अनापत्ति प्रमाणपत्र अपेक्षित थे।

कम्पनी ने यह स्वीकार करते समय कि उसके पास ऋणदाताओं के संघ के साथ मिलने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, यह भी कहा (अगस्त, नवम्बर 2016) कि विचलनों को संस्वीकृति दी गयी थी। क्योंकि बीसीएल एक प्रतिष्ठित ब्रांड था और स्थिति में सुधार प्रत्याशित था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीसीएल की भारी ऋण सेवा देयताएं बकाया थी और पूर्व वर्षों में सकल रोकड उपार्जन अत्यल्प होने के कारण नकदी की बाधाएं थी और उसने संवितरण की तिथि से तीन महीनों के अन्दर पुनर्भुगतान करने में चूक की थी (फरवरी 2014)।

ङ. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड

कम्पनी ने आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एआईएल) को ₹ 300 करोड़ का एक ऋण संस्वीकृत किया (अगस्त 2013), जिसे सभी स्थायी परिसम्पत्तियों (प्राथमिक प्रतिभूति) पर पहले समरूप प्रभार और सिलवासा में 30 एकड भूमि पर विशिष्ट प्रभार द्वारा सुरिक्षत किया जाना था जिसके लिए संवितरण की तिथि से क्रमशः छः महीने की अवधि (31 मार्च 2014 तक) और 30 दिन (30 अक्तूबर 2013 तक) प्रतिभूति के सृजन हेतु दिए गए थे। सम्पूर्ण ऋण राशि का संवितरण (30 सितम्बर 2013) उधारकर्ता की चल परिसम्पत्तियों पर सहायक प्रभार की अन्तरिम सुरक्षा के प्रति दिया गया था। निर्धारित समय सीमा के अन्दर संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार अपेक्षित प्राथमिक प्रतिभूति का सृजन नहीं किया जा सका और उसके लिए उधारकर्ता को 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया (30 सितंबर 2014 तक)। उधारकर्ता द्वारा चूकों के कारण, संयुकत ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) का गठन किया गया (अप्रैल 2014) और एक सुधारात्मक कार्य योजना बनाई गई जिसके अनुसरण में आईएफसीआई ने उधारकर्ता को ₹ 75 करोड़ का एक अतिरिक्त कारपोरेट ऋण संवितरित किया (31 मार्च 2015)। एसबीआई (प्रमुख ऋणदाता बैंक) ने 31 मार्च 2015 को उधारकर्ता के खाते को एनपीए वगीकृत कर दिया। उधारकर्ता ब्याज के भुगतान (जून 2015) न होने के कारण और ₹ 25 करोड़ प्रत्येक की तीन तिमाही मूल किश्तों (सितम्बर, दिसम्बर 2015 और

मार्च 2016) के पुनर्भुगतान न होने के कारण चूककर्ता था। खाते को एनपीए के रूप में वगीकृत कर दिया गया था और कुल बकाया देय ₹337.44 करोड़ (मार्च 2016) थे (₹37.44 करोड़ के वसूले न गए ब्याज सहित)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफसीआई ने उधारकर्ता के खराब वित्तीय मानदण्डों पर कोई ध्यान नहीं दिया जैसा 3 से अधिक के उच्च ऋण इक्विटी अनुपात[87] के और निम्न डीएससीआर[88] से देखा जा सकता है, जिससे एक कठिन वित्तीय स्थिति और खराब ऋण चुकाने की क्षमता का पता चलता है। उधारकर्ता सामान्य ऋण नीति में निर्धारित अधिकतम ऋण इक्विटी अनुपात और न्यूनतम एफएसीआर और चालू अनुपात[89] से संबंधित निर्धारित योग्यता मानदण्डों को पूरा नहीं करता था । आईएफसीआई ने इस तथ्य की अनदेखी की कि विभिन्न मानकों[90] पर उधारकर्ता का वास्तविक वित्तीय निष्पादन, आईएफसीआई द्वारा कम्पनी को ₹ 110 करोड़ के प्रतिदेय की एनसीडी (फरवरी 2011) की पिछली सुविधा की संस्वीकृति के दौरान अपेक्षित प्रक्षेपणों से काफी कम थे। कम्पनी ने यह जानने के बावजूद कि अपने पक्ष में समरूप प्रभार के सृजन के लिए बड़ी संख्या मे अन्य ऋणदाताओं (32) की एनओसी की आवश्यकता होगी, जो समय खपाने वाला और उधारकर्ता की खराब वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत प्राप्त करना मुश्किल, था विशिष्ट प्रभार सहित पर्याप्त प्रतिभूतियों पर जोर नहीं दिया। संस्वीकृति के तीन वर्षों के बाद भी तीन ऋणदाताओं से समरूप प्रभार की भागीदारी के लिए एनओसी प्रतिक्षित थी (अप्रैल 2016)।

प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार उधारकर्ता की कारपोरेट गारंटी एचएसबीसी[91] लिमिटेड द्वारा भुनाई गई थी और बाम्बे उच्च न्यायालय में उधारकर्ता के विरूद्ध वाइंडिंग अप याचिका दर्ज की गई थी। यद्यपि ऋणदाताओं द्वारा एसडीआर का आह्वान किया गया था (नवम्बर 2015), किन्तु वह निर्धारित समयसीमा के अनुसार प्राप्त नहीं किया जा सका था।

उपरोक्त के दृष्टिगत ₹ 337.44 करोड़ की राशि के ऋण के ऊपर उल्लिखित बकाया देयों के संबंध में वसूली संदिग्ध है। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता को दी गई विभिन्न क्रेडिट

---

[87] 2010-11 से 2012-13

[88] 2011-12 और 2012-13 में 1.08 और 1.16

[89] सामान्य ऋण नीति में निर्धारित डीईआर, एफएसीआर और सीआर 1.5, 1.5, 1.33 थीउधारकर्ता के वास्तविक अनुपात 3.3, 0.98 और 1.12 थे ।

[90] वर्षान्त 31 मार्च 2013 के लिए प्रेक्षेपित बनाम वास्तविक-डीईआर (1.6 व 3.3), एफएसीआर (2.84 ब.0.98), डीएससीआर (1.25 ब 1.17) और चालू अनुपात (2.57 ब 1.12)।

[91] उधारकर्ता की सहायक कंपनी को दिये गए ऋण के मामले मे (आलोक सिंगापूर प्राइवेट लिमिटेड)

सुविधाओं[92] के लिए आईएफसीआई की कुल बकाया देय राशि ₹ 514.87 करोड़ (वसूले न गए ₹ 66.87 करोड़ के ब्याज सहित) थी।

प्रबन्धन ने उत्तर दिया कि एआईएल के ऋणों में वृद्धि हुई क्योंकि पूंजीगत व्यय अधिकतर ऋणों द्वारा वित्तपोषित था और वित्त लागतों में वृद्धि हो रही थी। तथापि, इसके भविष्य की योजना पर विचार करते हुए, लाभ में सुधार अनुमानित था। 31 मार्च 2013 तक प्रथम समरूप प्रभार के लिए एफएसीआर 1.58 गुणा था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कम्पनी को उधारकर्ता के उच्च डीईआर और निम्न डीएससीआर और डीईआर, एफएसीआर और चालू अनुपात से संबंधित जीएलपी के निर्धारित योग्यता मानदण्ड को पूरा न करने के दृष्टिगत सावधानी बरतनी चाहिए थी। ₹ 300 करोड़ के ऋण की संस्वीकृति से पूर्व एनसीडी लेने के दौरान प्रक्षेपित तथ्यों की उपयुक्त मानदंडों पर वास्तविक निष्पादन से तुलना की जानी चाहिए थी ।

च. सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड

कम्पनी ने सुराना इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जुलाई 2010, जनवरी 2011 और नवम्बर 2011 में क्रमशः ₹ 100 करोड़ (सीएल-I), ₹ 60 करोड़ (सीएल-II) और ₹ 25 करोड़ (सीएल-III) की संस्वीकृति दी। ऋणों का संवितरण उधारकर्ता के 71.50 लाख सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और सुराना पावर लिमिटेड (एसपीएल) के छः करोड़ असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के प्रति किया गया था।

उधारकर्ता ने नकदी की समस्याओं के कारण पहली किश्त से ही पुनर्भुगतान में चूक करनी प्रारंभ कर दी (अक्तूबर 2011) और आईएफसीआई को पुनर्गठन का अनुरोध किया। तदनुसार, आईएफसीआई ने छः महीने की छूट प्रदान की (मई 2012) किन्तु उधारकर्ता फिर पुनर्भुगतान में विफल रहा (अगस्त 2012) और कारपोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) किया गया । आईएफसीआई 1 जून 2013 की कट आफ डेट (सीओडी) के साथ सीडीआर पैकेज (फरवरी 2014) की शर्तों से सहमत हो गया। चूंकि उधारकर्ता सीडीआर की शर्तों का सम्मान करने में विफल रहा इसलिए आईएफसीआई ने सीडीआर से वापसी (जनवरी/जुलाई 2015) का निर्णय लिया। कुल मूल बकाया ₹ 157.28 करोड़ और वसूला न गया ब्याज ₹ 154.38 करोड़ था (मार्च 2016)।

[92] रूपये मियादी ऋण, कारपोरेट ऋण और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऋणों की संस्वीकृति ब्याज के बोझ[93] में वृद्धि और लाभ[94] में गिरावट के बावजूद किसी मूर्त प्रतिभूति की प्राप्ति के बिना की गई थी। इसके अलावा, सामान्य ऋण नीति में निर्धारित अधिकतम 45 दिनों (सीएल-II) के प्रति प्रतिभूति की वसूली के लिए अपेक्षित समय 5.83 माह था। इसके अतिरिक्त, उसने ₹ 41 करोड़ (2010) का संचालन घाटा दर्शाया था और सामान्य ऋण नीति में निर्धारित 1.5 न्यूनतम औसत के प्रति डीएसीआर 1.41 था।

सीएल-III की संस्वीकृति नकद प्रवाह की विसंगति को पूरा करने के लिए, सीएल-I के लिए ₹ 12.50 करोड़ की पहली किश्त के भुगतान न होने और बढते ब्याज बोझ के बावजूद की गई थी। इसके अलावा, उसने कुछ पात्रता मानदण्डों[95] को पूरा नहीं किया। अतः कम्पनी, नकद की कमी से संबंधित सीआरएमडी द्वारा व्यक्त सावधानी के बावजूद उधारकर्ता की पुनर्भुगतान क्षमता का निर्धारण करने में विफल रही। इसके अलावा, प्रमुख ऋणदाता होने के बावजूद, आईएफसीआई अपने स्वयं के हितों की रक्षा करने में असफल रहा क्योंकि उसके अपने महत्वपूर्ण देयों (कट ऑफ डेट से पूर्व बकाया ब्याज) का भुगतान नहीं हुआ था जबकि अन्य ऋणदाताओं के संबंध में वह चुका दिये गए थे। निरन्तर चूकों और प्रतिबद्धताओं को पूर्ण न करने के बावजूद अन्य वसूली उपायों जैसे ऋण वापिस लेने, गिरवी शेयरों की बिक्री इत्यादि पर निर्णय काफी देरी से लिए गए थे (फरवरी 2016)।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि उसने सीडीआर में इसलिए भाग लिया था ताकि प्रतिभूति कवर को मजबूत किया जा सके और ब्याज चूक की वसूली की जा सके।

तथापि, तथ्य यह है कि प्रमुख ऋणदाता के रूप में सीडीआर में शामिल होने के बाद भी आईएफसीआई महत्वपूर्ण देयों की वसूली नहीं कर सका जिन्हें अन्य ऋणदाताओं ने वसूल कर लिया था।

छ. लवासा कारपोरेशन लिमिटेड

कम्पनी ने लवासा, पुणे में एक टाउनशिप परियोजना के विकास के लिए लवासा कारपोरेशन लिमिटेड (एलसीएल) को ₹100 करोड़ का एक अल्पावधि ऋण संस्वीकृत/संवितरित किया

---

[93] 2009 में ₹ 35 करोड़ से 2010 मे ₹ 58 करोड़

[94] 2009 में 11 प्रतिशत से 2010 में 4 प्रतिशत

[95] क्रेडिट रेटिंग ('ए' की निर्धारित रेटिंग के प्रति बीबीबी), चालू अनुपात (निर्धारित 1.33 के प्रति 0.91), और ऋण की वसूली के लिए ट्रेडिंग दिन (निर्धारित 45 दिनों के प्रति 117)

(मई 2011)। यह मुख्य रूप से हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड (एचसीसी)[96] की कारपोरेट गारंटी द्वारा सुरक्षित था। ऋण का 26 मई 2012 को एक ही किश्त में पूर्ण रूप से पुनर्भुगतान किया जाना था किन्तु उधारकर्ता के अनुरोध पर इसे दीर्घावधि ऋण के रूप में (अप्रैल 2014 से जनवरी 2018 तक पुनर्भुगतान) पुनर्गठित किया गया (अप्रैल 2012)। निरन्तर चूकों के कारण, कर्जदार को जेएलएफ संदर्भित किया गया, जिसने एक सुधारात्मक कार्रवाई योजना बनाई थी जिसके अनुसरण में आईएफ़सीआई ने लवासा स्थल पर ₹46 करोड़ मूल्य की भूमि की गिरवी, एचसीसी रियल एस्टेट लिमिटेड (एचआरईएल)[97] की कारपोरेट गारंटी और संघ द्वारा प्रतिभूति के रूप में धारित भूमि पर द्वितीय समरूप प्रभार के प्रति ₹30 करोड़[98] का अतिरिक्त ऋण संस्वीकृत किया। 31 मार्च 2015 से खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। आईएफसीआई ने कर्जदार (जुलाई 2015) और कारपोरेट गारंटरों (अगस्त 2015) को समाप्ति नोटिस जारी किया और एचसीसी और एचआरईएल की कारपोरेट गारंटी का प्रयोग किया (जुलाई 2015)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफसीआई को इस तथ्य के बारे में पूरी जानकारी थी कि भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ़), ने उधारकर्ता को लवासा पर निर्माण और विकास कार्य पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे (नवंबर 2010), इसके बावजूद ऋण संस्वीकृति/संवितरित किया गया। इसके अलावा, एमओईएफ ने यह भी पाया (जनवरी 2011) कि उधारकर्ता ने पर्यावरण प्रभाव निर्धारण (ईआईए) अधिसूचनाओं का उल्लंघन किया था और उस पर किया गया निर्माण कार्य अनधिकृत था और ईआरईए अधिसूचना के उल्लंघन में था और पर्यावरण के लिए हानिकारक था। अत: ऋण की संस्वीकृति की तिथि पर उधारकर्ता के पास टाउनशिप परियोजना के लिए एमओईएफ, जीओआई से अन्तिम पर्यावरण मंजूरी नहीं थी। ऋण की संस्वीकृति और संवितरण बिना किसी मूर्त प्रतिभूति की प्राप्ति के जिसे उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में आसानी से लागू किया जा सकता था, केवल उधारकर्ता की समूह कम्पनी (एचसीसी लिमिटेड) की कारपोरेट गारंटी के आधार पर दिया गया था। ऋण को अल्पावधि से दीर्घावधि (21 अप्रैल 2012) में पुनर्गठित करते समय भी कोई मूर्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की गई थी। अतिरिक्त ऋण के मामले में प्रतिभूति (संघ भूमि पर दूसरा समरूप प्रभार), जो कि संवितरण (अप्रैल 2015) से छः महीने में बनाया जानी थी, किन्तु नहीं बनायी गयी थी ।

---

96 फलैगशिप प्रमोटर ग्रुप कम्पनी।

97 एलसीएल की धारक कम्पनी

98 अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015 तक 4 भागों में ₹20.45 करोड़ संवितरित किया गया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा कि एलसीएल को दी गई मौजूदा सुविधा (2011) मई 2009 में दी गई सुविधा के समान थी, जिसका पूरा पुनर्भुगतान मई 2010 में किया गया था। उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग 'केअर-बीबीबी -' थी और गारंटीकर्ता की 'केयर एए -' थी जो पर्यावरणीय मंजूरी सहित विनियामक अनुमोदनों की स्थिति के कारण दी गई थी। प्रबंधन ने आगे कहा (नवम्बर 2016) कि आईएफसीआई को एचसीसी की कारपोरेट गारंटी से बकाया की वसूली की उम्मीद हैं।

यद्यपि, पिछले ऋण की संतोषजनक वापसी भविष्य के ऋणों कि वापसी के लिए एक तर्कसंगत गारंटी नहीं थी। संस्वीकृति के समय, कर्जदार के पास परियोजना के लिए अपेक्षित विनियामक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं थी। प्रथम अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालीन ऋण में परिवर्तित किया गया जिसका पुनर्भुगतान भी योजना के अनुसार नहीं किया जा सका। आईएफसीआई के पास अपने देयों की वसूली के लिए अपर्याप्त प्रतिभूति थी।

31 मार्च 2016 को कुल बकाया देय ₹130.55 करोड़ थे (मूल ₹110.21 करोड़ और वसूला न गया ब्याज ₹20.34 करोड) जिनकी वसूली संदिग्ध थी ।

ज. विज़डम ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड

आईएफसीआई ने विजडम ग्लोबल एंटरप्राइसेस लिमिटेड (डब्ल्यूजीईएल) को कोर प्रोजेक्टस एंड टेकनोलोजिज़ लिमिटेड (सीपीटीएल) (बाद में नाम बदलकर कोर एजूकेशन एंड टेकनोलोजिज़ लि. सीईटीएल) एक ग्रुप कम्पनी के शेयरों के 1.50 गुणा और प्रमोटर की व्यक्तिगत गारंटी के अलावा 0.75 गुणा गैर निपयन वचनपल/पावर आफ एटार्नी की प्रतिभूति पर ₹100 करोड़ का एक कारपोरेट ऋण संस्वीकृत किया (सितम्बर 2010)। तथापि, डब्ल्यूजीईएल ने ब्याज/ऋण देने में चूक की (जनवरी 2013), आईएफसीआई ने सीईटीएल के शेयर बेच दिए (फरवरी से जून 2013 और जनवरी से सितम्बर 2014) और ₹47.90 करोड़[99] की वसूली की। हैदराबाद में 144 एकड कृषि भूमि की अतिरिक्त प्रतिभूति आईएफसीआई और दो अन्य ऋणदाताओं[100] के पक्ष में बनाई गई थी (मई 2013)। सीईटीएल को सीडीआर को भी संदर्भित किया गया था (अक्टूबर 2013)। गिरवी सम्पत्ति के अधिकार पर लम्बित मुकदमेबाजी के कारण मूर्त प्रतिभूति को प्राप्त नहीं किया जा सका। अंतत: आईएफसीआई ने डब्ल्यूजीईएल को दिए ऋण को वापिस मांगा (15 मई 2014) और एसआईसीओएम इंडिया लिमिटेड (संयुक्त ऋणदाता) को आईएफसीआई की ओर से हैदराबाद में गिरवी भूमि

---

[99] ₹44.39 करोड़ + ₹2.88 करोड़ + ₹0.63 करोड़

[100] एसआईसीओएम इंडिया लिमिटेड और आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड

को अधिग्रहित और बेचकर देयों की वसूली के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया था। आईएफसीआई द्वारा डीआरटी में एक मामला दर्ज किया गया (20 फरवरी 2015) जो अभी भी लम्बित है। इसे 30 जून 2014 को एनपीए घोषित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईएफसीआई ने इस तथ्य के बावजूद केवल शेयरों को प्रमुख प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखकर ऋण की संस्वीकृति की, कि सीईटीएल के शेयरों के मूल्य, उसी कर्जदार को दिए गए पूर्व ऋणों (2008 और 2010 में)[101] के संबंध में अस्थिर थे, और उन्हें पुनर्गठित भी किया गया था। आईएफसीआई ने हैदराबाद में कृषि भूमि की अतिरिक्त प्रतिभूति भी स्वीकार की जिसके विरूद्ध सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। इसे भी बिना किसी सत्वाधिकार का पता लगाए और भौतिक निरीक्षण के बिना स्वीकार किया गया था। तदन्तर, फरवरी 2015 में स्थल दौरे के दौरान यह पाया गया कि आन्ध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर भूमि उधारकर्ता के भौतिक कब्जे में नहीं थी और उस पर तीसरी पार्टी का कब्जा था। अत: कम्पनी द्वारा जमीन पर उधारकर्ता का भौतिक कब्जा नहीं होने पर भी उसे गिरवी रखने में समुचित सावधानी की कमी थी। उधारकर्ता की गिरवी सम्पत्ति (हैदाराबाद) पर एक निजी बैंक के पक्ष में सहायक प्रभार का सृजन आईएफसीआई की अनुमति प्राप्त किए बिना किया गया था।

प्रबंधन ने कहा (नवम्बर 2016) कि सूचीबद्ध उद्यमों के शेयरों के प्रति ऋण नीति उस समय प्रचलित कारोबारी पर्यावरण के दृष्टिगत बनाई गई थी। उस कम्पनी को पर्याप्त क्रेडिट गुणवत्ता रेटिंग प्रदान की गई थी जिसके शेयर गिरवी रखे गये थे। कृषि भूमि की प्रतिभूति को दो अन्य ऋणदाताओं के साथ संयुक्त अतिरिक्त प्रतिभूति के रूप में स्वीकार किया गया था क्योंकि प्रतिभूति कवर कम होता जा रहा था। कम्पनी ने स्वीकार किया कि स्वामित्व विलेख जांच नहीं किए जा सके क्योंकि उधारकर्ता ने अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि व्यवसायिक विवेक की मांग मूर्त प्रतिभूति थी क्योंकि शेयरों की अस्थिरता पहले से ही एक ज्ञात कारक था। उक्त रेटिंग सितम्बर 2009 की थी जबकि ऋण की संस्वीकृति सितम्बर 2010 में हुई थी। चूंकि सरफेसी अधिनियम के अन्तर्गत कृषि भूमि के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती इसलिए अतिरिक्त प्रतिभूति ने मौजूदा प्रतिभूति कवर में कोई सुधार नहीं किया। बिना प्रतिभूति दस्तावेजों की प्राप्ति के प्रतिभूति की स्वीकृति यह साबित करती है कि प्रतिभूति मॉनिटरिंग नीति कमजोर थी। इसके परिणामस्वरूप ₹52.36 करोड़ (31 मार्च 2016 तक मूल ₹38.02 करोड़ और ब्याज ₹14.34 करोड़) की वसूली नहीं हुई थी।

---

[101] जुलाई 2008 से अक्टूबर 2008 के बीच ₹ 250 से ₹ 240 प्रति शेयर और अगस्त 2010 में ₹ 262

अध्याय 7: इक्विटी निवेश

विभिन्न कंपनियों के इक्विटी शेयर खरीदना आईएफसीआई द्वारा दी गई एक प्रकार की क्रेडिट सुविधा थी। जीएलपी में निर्धारित मानकों के अनुसार, इन निवेश से बाहर निकलने का विकल्प तीन से आठ वर्षों के बीच था।

आईएफसीआई ने पुनर्गठन, निपटान आदि के रूप में ऋण और ब्याज को इक्विटी में बदलकर या सीधे अभिदान लेकर विभिन्न कंपनियों के गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर अधिग्रहित किए। इन निवेशों से बाहर निकलने का माध्यम या तो सूचीकरण पर बिक्री करके अथवा किए गए वापसी-खरीद करार के अनुसार प्रवर्तकों के माध्यम से विनिवेश करना था।

आईएफसीआई के पास 31 मार्च 2016 तक कुल ₹2082.65 करोड़ के बुक मूल्य पर 353 कम्पनियों के गैर- सूचीबद्ध शेयर थे। गैर-सूचीबद्ध शेयरों का स्थिति-वार सारांश इस प्रकार है:

तालिका-7: 31 मार्च 2016 तक गैर-सूचीबद्ध इक्विटी का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कंपनियों की श्रेणी	सं.	बुक मूल्य
1	संचालन में	52	2024.12
2	बीआईएफआर/एएआईएफआर को संदर्भित	13	17.25
3.	बंद/गैर संचालित	52	16.91
4.	परिसमाप्त	222	13.16
5.	परिसंपत्तियां रखने वाले आधिकारिक परिसमापक	14	11.21
	कुल	**353**	**2082.65**

जैसा कि उपरोक्त से देखा जा सकता है, 353 निवेशित कम्पनियों में से केवल 52 कम्पनियां चालू थी और बाकी कम्पनियां बंद हो गई थी जिसके संबंध में कम्पनी द्वारा 100 प्रतिशत या लगभग 100 प्रतिशत प्रावधान पहले ही किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन 52 चालू कम्पनियों के संबंध में 20 कम्पनियों में ₹98.85 करोड़ के निवेश का मूल्य शून्य हो गया था।

लेखापरीक्षा ने गैर-सूचीबद्ध इक्विटी निवेश के 13 मामलों[102] में से नौ की समीक्षा की जहां महत्वपूर्ण निवेश (₹1644.97 करोड़) किया गया था। इन निवेशों में जोखिम था क्योंकि ये प्रतिभूति-रहित थे। निवेश से बाहर निकलना आसान नहीं था, क्योंकि ये सूचीबद्ध नहीं थे।

[102] चालू कम्पनियों में से

इन मामलों की समीक्षा से पता चला कि इक्विटी निवेश में वापसी-खरीद की चूक हुई थी (अर्थात् जब सहायता प्राप्त संस्थान ने आईएफसीआई द्वारा ली गई इक्विटी की वापसी-खरीद में चूक की)। ये अनर्जक निवेश थे जिससे अभी भी ₹1136.28 करोड़ की वसूली की जानी थी तथा उन पर ₹651.69 करोड़ के प्रतिफल की वसूली नहीं हो पायी थी। लेखापरीक्षा ने इक्विटी निवेश की गैर-वसूली के कारणों का विश्लेषण किया और देखा कि चूक होने के मुख्य कारण कंपनी द्वारा क्रेडिट मूल्यांकन, ऋणग्रस्तता और पुनअर्दायगी क्षमता के मूल्यांकन के साथ-साथ निवेश प्रस्तावों की व्यवहार्यता पर समुचित सावधानी नहीं अपनाना थे।

प्रबंधन की चूक पर प्रकाश डालने वाले इक्विटी निवेश के कुछ निदर्शी मामले इस प्रकार हैं:

लेखा-परीक्षा निष्कर्ष

7.1 ग्लोबल रूरल नेट कं. लिमिटेड और चेन्नई नेटवर्क इंफ्रॉस्ट्रक्चर लिमिटेड

क. कम्पनी ने ग्लोबल रूरल नेट कं. लि. (जीआरएनएल) द्वारा जारी ₹250 करोड़ के पूर्णत: परिवर्तनीय डिबेंचर (एफसीडी) का अभिदान किया (फरवरी 2010) जो कर्जदार के शेष अचल परिसंपत्तियों पर एक नकारात्मक वैध अधिकार[103] और प्रवर्तक कंपनियों (ग्लोबल होल्डिंग कॉरपोरेशन प्रा. लि. और जीटीएल लिमिटेड) से 26 प्रतिशत तक के गैर-निपटान वचनपत्र (एनडीयू) द्वारा प्रतिभूत थे। एफसीडी की अवधि तीन वर्ष थी और आईएफसीआई के पास प्रवर्तक कम्पनियों पर संवितरण की तिथि से 24वें या 36वें महीने की समाप्ति पर एक पुट आप्शन थी। इसकी अवधि के दौरान किसी भी समय यह एफसीडी को इक्विटी शेयरों में भी बदल सकती थी।

कर्जदार ने ₹4.23 करोड़ राशि का बकाया ब्याज (नवम्बर 2011) चुकाने में चूक शुरू कर दी जिससे चूक की एक घटना हुई जिसको देखते हुए आईएफसीआई ने फरवरी 2012 में पुट आप्शन के अपने अधिकार का प्रयोग करने की मंशा जाहिर की (दिसम्बर 2011)। तत्पश्चात, मार्च 2012 में कार्यकारी समिति द्वारा कर्जदारों की पुनर्भुगतान की शर्तों में संशोधन का अनुरोध अनुमोदित किया गया और अगस्त 2012 में संबंधित निपटान करार किया गया। निपटान करार, जो 2013 में समाप्त हुआ, के अनुसार ₹250 करोड़ की एफसीडी को दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें से एक भाग में ₹100 करोड़ के वैकल्पिक परिवर्तनीय

[103] नकारात्मक वैध अधिकार परिसंपत्तियों के मालिक द्वारा कुछ परिसंपत्तियां न बेचने और क्रेडिटर की अनुमति के बिना इन परिसंपत्तियों पर कोई प्रभार न लगाने का एक वचनपत्र है।

ऋण (ओसीएल) तथा दूसरे भाग में ₹150 करोड़ राशि के चेन्नई नेटवर्क इंडिया लिमिटेड (सीएनआईएल), एक समूह कंपनी, के इक्विटी शेयर थे। ओसीएल का 31 मार्च 2013 तक पुनर्भुगतान करना था (1 अप्रैल 2012 से गणना किए गए 13.50 प्रतिशत प्रतिलाभ सहित) जिसे 2 वर्ष तक अर्थात् 31 मार्च 2015 तक और बढ़ाया जा सकता था और फिर पुनर्भुगतान न होने के मामले में आईएफसीआई जीटीएल लिमिटेड पर पुट आप्शन का प्रयोग कर सकती थी। जीआरएनएल ने 31 मार्च 2015 तक ओसीएल को पुनर्भुगतान नहीं किया और आईएफसीआई ने ओसीएल बकाए के पुनर्गठन की फिर से मंजूरी दे दी जिसके अनुसार पुनर्भुगतान की तिथि 31 मार्च 2017 तक बढ़ा दी गई। ओसीएल के प्रति आईएफसीआई के लेखाओं में पूर्ण प्रावधान रखा गया है क्योंकि शेष बकाए के प्रति कोई प्रतिभूति नहीं थी। दूसरे भाग के एफसीडी के संबंध में आईएफसीआई को ₹183.13 करोड़[104] के अपने बकाए के प्रति सीएनआईएल के 20.35 करोड़ गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर प्राप्त हुए (नवम्बर 2013)। आईएफसीआई इन शेयरों को तब तक नहीं बेच सकती थी जब तक सीएनआईएल का जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीआईएल) के साथ विलय और तत्पश्चात जीआईएल शेयरों (जीआरएनएल की दूसरी प्रवर्तक कम्पनी) का सूचीकरण नहीं हो जाए। अभी तक सीएनआईएल और जीआईएल का विलय नहीं हो पाया है।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि आईएफसीआई ने कोई मूर्त प्रतिभूति लिए बिना एक नई निगमित कम्पनी (मई 2009) के एफसीडी का अभिदान किया चूँकि एफसीडी में प्रतिभूति केवल कर्जदार/प्रवर्तक कम्पनियों द्वारा दिया गया वचनपत्र थी। यहां तक कि सीआरएमडी ने भी जीटीएल लिमिटेड से पुनर्भुगतान जोखिम देखा क्योंकि इसकी बही में भारी मात्रा में ऋण थे और नकद प्रवाह बाधित थे जिससे बकाए की वापसी में समस्या आ सकती थी। निपटान करार (अगस्त 2012) की शर्तें आईएफसीआई के हितों के अनुरूप नहीं थी क्योंकि ₹150 करोड़ के एफसीडी सीएनआईएल के गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में बदल दिए गए थे जिसने सीडीआर तंत्र के अंतर्गत पहले ही अपने ऋण का पुनर्गठन करा लिया था और शेयरों की बिक्री में सीमित विनिवेश विकल्पों के साथ प्रतिरोधकारी शर्त थी। चूँकि जीआईएल और सीएनआईएल के विलय के बारे में आईएफसीआई को पहले से पता था (जुलाई 2011) इसलिए जीआईएल, जिसने सीडीआर तंत्र के अंतर्गत अपने ऋणों का पुनर्गठन भी किया था, के शेयर स्वीकार करने की इसकी सहमति कम्पनी के हितों के अनुरूप नहीं थी।

---

[104] 31मार्च 2012 तक ₹32.13 करोड़ के ब्याज के अतिरिक्त ₹151 करोड।

प्रबंधन ने बताया (मार्च/जुलाई 2014[105]/नवम्बर 2016) कि सुविधाओं के लिए ग्लोबल ग्रुप से पुट-ऑप्शन, गैर-निपटान वचनपत्र और एक नकारात्मक वैध अधिकार के रूप में पर्याप्त प्रतिभूति थी जो क्रेडिट संवर्धन के प्रवर्तनीय माध्यम थे। संस्वीकृति के समय प्रतिभूति जोखिम को उचित रूप से साध लिया गया था। प्रस्ताव की संस्वीकृति प्रमुख कम्पनी जीटीएल लिमिटेड (जीटीएल) और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीआरएनएल की एक प्रवर्तक) के सामर्थ्य के पर दी गई थी। निपटान की शर्तें सर्वोत्तम संभव विकल्प थी जिसे विचार-विमर्श के प्रबल दौर के बाद निर्धारित किया गया था और विनिमय अनुपात 1.13:1 तक बढ़ सकता था। ₹100 करोड़ के ओसीएल के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है और कर्जदार के फाइबर ऑप्टिक कारोबार की बिक्री पर पुनर्भुगतान किया जाएगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एक पुट-ऑप्शन, एनडीयू और नकारात्मक वैध अधिकार मूर्त प्रतिभूतियां नहीं थी क्योंकि ये मात्र वचन के रूप में थी और उनके माध्यम से बकाए की वसूली करना कठिन था। विनिमय दर 1.13:1 तक बढ़ने के बावजूद भी जीआईएल के साथ इसके विलय पर सीएनआईएल शेयरों के सूचीकरण से, जीआईएल की भारी ऋणग्रस्तता, ₹ 2893.18 करोड़ की समेकित हानि (मार्च 2016) के कारण निवल संपत्ति में क्षरण तथा जीआईएल के शेयर मूल्यों में आई गिरावट[106] को देखते हुए, शेयर मूल्य बढ़ने की संभावना नहीं थी।

इस प्रकार, कम्पनी के ₹152.48 करोड़ के नहीं वसूले गए ब्याज/कूपन (₹ 90.65 करोड़ (सीएनआईएल इक्विटी पर प्रतिलाभ) तथा ₹61.83 करोड़ (ओसीएल)) सहित ₹ 435.61 करोड़ (₹273.78 करोड़ (इक्विटी) और ₹161.83 करोड़ (ओसीएल)) के एक्सपोजर की वसूली 31 मार्च 2016 तक संदेहपूर्ण थी।

ख. 31 जुलाई 2013 को एक बुलेट किश्त में पुनर्भुगतानयोग्य ₹ 250 करोड़ के निगम ऋण की दूसरी सुविधा इसी ग्लोबल ग्रुप के चेन्नई नेटवर्क इंफ्रॉस्ट्रक्चर लिमिटेड (सीएनआईएल) को संस्वीकृत की गई (जुलाई 2010)। ऋण की प्रतिभूति संवितरण की तिथि से 12 महीनों की समाप्ति और तत्पश्चात् प्रत्येक छमाही पर कॉल विकल्प प्रयोग करने के अधिकार के साथ साथ ऋण राशि की दोगुनी पर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (जीआईएल)

---

105 उत्तर मंत्रालय को जारी ड्रॉफ्ट पैरा से संबंधित है जिसे अब निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है।

106 ₹ 41.45 (10 फरवरी 2010 को संस्वीकृति के समय), ₹ 10.95 (19 मार्च 2012 को एफसीडी के पुनर्गठन पर), ₹ 8.05 (3 अगस्त 2012 को निपटान करार की तिथि पर), ₹ 1.75 (21 नवम्बर 2013 को निपटान करार की समाप्ति पर), ₹ 2.10 (31 मार्च 2016)

के शेयरों (₹41.16 प्रति शेयर की दर पर) पर गैर-निपटान वचन पत्र तथा संस्वीकृत ऋण राशि के बराबर चल संपत्तियों (मार्च 2011 को सृजित) पर अवशेष प्रभार द्वारा ली गई थी।

ब्याज भुगतान में चूक (जून 2011) और संस्वीकृति के एक वर्ष के भीतर प्रतिभूति कवर में गिरावट के कारण कम्पनी ने गिरवी को प्रवर्तित किया और जुलाई-सितम्बर 2011 के बीच 10.31 लाख शेयर बेचकर ₹1.43 करोड़[107] वसूल किया। इस कार्रवाई से आईएफसीआई और ग्लोबल ग्रुप के बीच विवाद हुआ जिससे कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। कर्जदार कम्पनी ने भी अपने ऋण के पुनर्गठन हेतु सीडीआर का रूख किया (जुलाई 2011) हालांकि, घटती तरलता स्थिति और प्रतिभूति कवर सुधारने में कर्जदार की अक्षमता के कारण कम्पनी ने एक निपटान समझौता किया (अगस्त 2012) जिसके अनुसार (i) सीएनआईएल को ₹250.66 करोड़ के कुल बकाया ऋण के लिए गैर-सूचीबद्ध इक्विटी का आबंटन करना था तथा आईएफसीआई को शेष शेयरों की गिरवी को मुक्त करना था और (ii) समामेलित इकाई के विलय[108] और सूचीकरण तक इन इक्विटी शेयरों को बेचा नहीं जा सकता था। जबकि यह भी जीटीएल लिमिटेड या इसके नामिती के पहले अस्वीकृति के अधिकार (आरओएफआर) के अधीन था, जिसका मतलब था कि सूचीकरण के बाद आईएफसीआई इन शेयरों को केवल जीटीएल लिमिटेड (या इसके नामिती) को ही बेच सकती थी और उनके मना करने पर बैंक/वित्तीय संस्थानों को बेच सकती थी न कि किसी प्रतिस्पर्धी को। उपरोक्त निपटान 21 नवम्बर 2013 को पूरा हुआ।

लेखा-परीक्षा ने देखा कि क्रेडिट सुविधायें सामान्य ऋण नीति से विचलन करके प्रदान की गई थी चूँकि जीआईएल (गिरवी रखने वाली कम्पनी) को सभी तीन वर्षों में लाभ के अनुबद्ध प्रावधान के विपरीत 3 में से 2 वर्षों में हानि हुई थी और इसका ऋण इक्विटी अनुपात (डीईआर) अधिकतम अनुबद्ध 1.5 के प्रावधान के विपरीत 2.39 था। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य जानते हुए भी कि प्रक्षेपणों के अनुसार सीएनआईएल (कर्जदार) संचालन के चार वर्ष बाद भी लाभ-अलाभ स्थिति प्राप्त नहीं कर सकती थी, तीन वर्ष बाद पुनर्भुगतानयोग्य ऋण की संस्वीकृति दी गई थी। निपटान समझौता स्वीकार करना एक उच्च जोखिम था क्योंकि पूरे ऋण को गैर-सूचीबद्ध इक्विटी से विनिमय किया गया था। चूँकि सीएनआईएल और जीआईएल का विलय नहीं हो पाया, कम्पनी ₹ 250.66 करोड़ राशि की गैर-सूचीबद्ध इक्विटी

---

107 (₹ 29.78 लाख+₹ 113.47 लाख)

108 सीएनआईएल और जीआईएलके बीच अनुमोदित विलय योजना (जुलाई 2011) में निर्धारित विनिमय दर सीएनआईएल के चार शेयर जीआईएल के एक शेयर से थी।

में निवेश और इस पर ₹124.08 करोड़ की वसूल नहीं हो पाई प्रतिलाभ सहित ₹ 374.74 का अपना बकाया वसूल नहीं कर पाई।

प्रबंधन ने हालांकि यह मानते हुए कि संस्वीकृति के समय कर्जदार की डीईआर काफी अधिक थी, कहा (मार्च 2014/सितम्बर 2014/नवम्बर 2016) कि टॉवर कारोबार के नियोजित विस्तार से जीआईएल और सीएनआईएल की वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना थी। इसने आगे कहा कि सामान्य ऋण नीति में बाद में संशोधन करके शेयरों के प्रति ऋण हेतु ₹25 करोड़ की सीमा लगा दी गई थी। इसने सीडीआर तंत्र के बाहर अपने पूरे ऋण को सीएनआईएल के इक्विटी शेयरों में बदलने का निर्णय लिया। चूँकि अंतिम विनिमय अनुपात का निर्धारण अभी भी किया जा रहा है, इसलिए संभावित विनिमय दर जीआईएल के एक शेयर के लिए सीएनआईएल का 1.13 शेयर बनता है तथा रणनीतिक निवेशक को बिक्री पर वांछित आय प्राप्त हो सकेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि ऋण की संस्वीकृति सामान्य ऋण नीति से विचलन ले कर की गई थी। प्रतिबंधकारी विनिवेश विकल्प के साथ 100 प्रतिशत ऋण को सीएनआईएल के गैर-सूचीबद्ध इक्विटी में बदलने का निर्णय कम्पनी के सर्वोत्तम हित में नहीं था। संभावित विनिमय अनुपात 1.13:1 होने के बावजूद भी कर्जदार ग्रुप कम्पनी (जीआईएल[109]) की भारी ऋणग्रस्तता, ₹ 2893.18 करोड़ की भारी संचित हानि (मार्च 2016) के कारण निवल संपत्ति में कमी तथा जीआईएल[110] के शेयर मूल्यों में गिरावट के कारण मार्क-टू-मार्केट हानि को खारिज़ नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार, कर्जदार के कमजोर क्रेडिट मूल्यांकन और प्रतिबंधकारी विनिवेश विकल्प के साथ कम्पनी के वित्तीय हितों के प्रतिकूल शर्तों पर सीएनआईएल के साथ निपटान समझौता करने के कारण ₹ 374.74 करोड़[111] (मार्च 2016) की वसूली संदिग्ध हो गई।

7.2 अथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड और अथेना इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

आईएफसीआई ने छत्तीसगढ़ में ₹ 6200 करोड़ मूल्य में एक तापीय विद्युत संयंत्र की परियोजना में आंशिक वित्तपोषण के लिए अथेना एनर्जी वेंचर्स प्रा. लिमिटेड (एईवीपीएल और

[109] कम्पनी जिसके साथ सीएनआईएल का विलय होना था।

[110] संस्वीकृति की तिथि 10.02.2010 को जीआईएल का शेयर मूल्य ₹41.45 था, समझौता तिथि 03.08.2012 को ₹ 8.05 था, समझौता समाप्ति की तिथि 21.11.2013 को ₹ 1.75 था और 31.03.2016 को ₹ 2.10 था।

[111] बकाया मूलधन समझौता तिथि को ₹ 250.66 करोड़ तथा अगस्त 2012 से मार्च 2016 तक वसूल नहीं हो पाई आय ₹ 124.08 करोड़ थी।

अन्य[112]) द्वारा विकसित एक विशेष उद्देश्य माध्यम, अथेना छत्तीसगढ़ पावर प्राइवेट लिमिटेड (एसीपीपीएल[113]) में ₹ 250 करोड़ का इक्विटी निवेश (पहली सुविधा) संस्वीकृत किया। इक्विटी निवेश अंतरिम कूपन भुगतान के साथ पांच से सात वर्षों के लिए था और यदि पहला इसे वापस खरीदने में असमर्थ हो तो ज्यूस इंफ्रामैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जेडआईपीएल) (एसीपीपीएल का एक प्रवर्तक) या एआईपी पावर प्रा. लिमिटेड (एआईपीपीपीएल[114]) द्वारा वापस खरीदा जाना था। वापसी-खरीद अप्रैल 2015 या वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) (जुलाई 2014) जो भी पहले हो, से शुरू की जानी थी। उपरोक्त इक्विटी निवेश के अलावा आईएफसीआई द्वारा एसीपीपीएल को संस्वीकृत ₹ 100 करोड़ (जून 2010) के पिछले अल्पावधि ऋण को ₹ 85 करोड़ एसीपीएल में इक्विटी में बदल दिया गया (मार्च 2011) और शेष ₹ 15 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। मार्च 2011 से मार्च 2014 तक चार किस्तों[115] में कुल ₹ 138.54 करोड़ का संवितरण किया गया। दिसम्बर 2013 से कूपन भुगतान में चूक शुरू हुई तथा अप्रैल 2015 में वापसी खरीद में चूक हुई। चूक वाली कुल राशि 31 मार्च 2016 तक ₹ 173.17 करोड़ (₹ 80.81 करोड़ के कूपन सहित) थी।

कम्पनी द्वारा अथेना एनर्जी वेंचर्स प्रा. लि. (एसीपीपीएल का प्रवर्तक) में कम्पनी द्वारा ₹ 124.99 करोड़ (₹ 5 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित ₹ 15 प्रति शेयर पर 8.33 करोड़ शेयर) मूल्य के 10 प्रतिशत इक्विटी में दूसरा निवेश (दूसरी सुविधा) किया गया (जून 2011) जिसमें कोई भी वापसी-खरीद करार, कोई प्रतिभूति, कोई प्रत्याभूत रिटर्न नहीं था और केवल अन्य पक्ष को शेयर बेचने के माध्यम से विनिवेश का विकल्प था। एईवीपीएल में इस इक्विटी एक्सपोजर को बाद में विज इंफ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड (वीआईसीपीएल, अथेना ग्रुप में अन्य निवेशक) को ₹ 177 करोड़ के गैर परिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी) लेकर विनिमय किया गया (तीसरी सुविधा) (मार्च 2013 में परिवर्तित)। यह विनिमय विशेष रूप से आईएफसीआई के एईवीपीएल में 10 प्रतिशत इक्विटी जो की 14 प्रतिशत के रिटर्न के साथ ₹ 124.99 करोड़ राशि के पुनर्भुगतान तथा शेष का उपयोग एईवीपीएल में निवेश करने के लिए था जिसे एसीपीएल में आगे सहायता प्रदान करने हेतु किया जाना था। एनसीडी सुविधा

---

112 पीटीसी ग्रुप, अबीर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड तथा ज्यूस इंफ्रो मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जेडआईपीएल)

113 एसीपीपीएल को अक्टूबर 2010 में बदलकर सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी और इसका नाम अथेना छत्तीसगढ़ पावर लिमिटेड (एसीपीएल) कर दिया गया।

114 अथेना एनर्जी वेंचर्स प्रा. लिमिटेड (एईवीपीएल) का प्रवर्तक

115 ₹ 85 करोड़ (मार्च 2011), ₹ 22.23 करोड़ (नवम्बर 2011), ₹ 14.64 करोड़ (अक्टूबर 2013), ₹ 16.67 करोड़ (मार्च 2014)

एनपीए हो गई (अक्टूबर 2015) तथा 31 मार्च 2016 तक कुल बकाया ₹ 234.44 करोड़ (मूलधन ₹ 177.00 करोड़ तथा बकाया ब्याज ₹ 57.44 करोड़) था।

आईएफसीआई ने एईवीपीएल की इक्विटी बेचने पर चूकग्रस्त रिटर्न के बदले में वीआईसीपीएल द्वारा प्रस्तावित अथेना इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड (एआईपीएल) के ₹ 27.11 करोड़ (₹ 10 प्रति शेयर मूल्य के 2.71 करोड़ शेयर) इक्विटी शेयर स्वीकार किए (अगस्त 2013) (चौथी सुविधा) और वीआईसीपीएल द्वारा वचनबद्धता के साथ कि मार्च 2013 से 16 प्रतिशत ब्याज के साथ 31 दिसम्बर 2013 तक इन शेयरों की खरीद-वापसी हो जानी चाहिए। फिर भी मार्च 2016 तक इसकी खरीद-वापसी नहीं की गई। कूपन सहित कुल बकाया ₹ 42.05 करोड़ (कूपन ₹ 14.94 करोड़) था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एसीपीएल को संस्वीकृति (पहली सुविधा) के दौरान कम्पनी द्वारा अनुचित क्रेडिट मूल्यांकन किया गया था क्योंकि इसने इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया कि एसीपीएल की मुख्य प्रवर्तक अर्थात् एईवीपीएल, जिसे आईएफसीआई को कूपन ब्याज का भुगतान करना था, उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं था क्योंकि संस्वीकृति से पूर्व सभी तीन वर्षों में इसको संचालन/शुद्ध हानि हुई थी। इसी प्रकार, खरीद वापसी के पुनर्भुगतान की क्षमता (जेडआईपीएल, एआईपीपीपीएल) का विश्लेषण नहीं किया गया था क्योंकि संस्वीकृति के समय उनको ₹ 3.15 करोड़ और ₹ 0.46 करोड़ का मामूली लाभ हुआ था, उनके निवेश भी अभी कार्यान्वयन स्तर पर थे और ऋण चुकाने के लिए नकद प्रवाह नहीं थे। कम्पनी प्रवर्तकों की इक्विटी सृजन क्षमता का विश्लेषण करने में भी विफल रही, जिसे ₹ 6200 करोड़ की सम्पूर्ण परियोजना लागत के वित्तपोषण हेतु अपने ऋण की वापसी के अलावा ₹ 1550 करोड़ का योगदान देना था। अपेक्षित इक्विटी बढ़ाने में प्रवर्तकों की असमर्थता भी एक कारक था जिससे परियोजना की लागत और समय में वृद्धि हुई।

लेखापरीक्षा ने एसीपीएल में इक्विटी निवेश की दूसरी, तीसरी और चौथी किश्त जारी करने के दौरान कई कमियां देखी। प्रवर्तकों/निवेशकों से इक्विटी योगदान के अनुरूप 9.22 प्रतिशत और 5.65 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद ₹ 22.23 करोड तथा ₹ 14.65 करोड़ राशि की क्रमश: दूसरी एवं तीसरी किश्त जारी करना (नववम्बर 2011 तथा अक्टूबर 2013), संस्वीकृत शर्तों का उल्लंघन था। इसी प्रकार,₹ 9.59[116] करोड़ की कुल मौजूदा चूक के प्रति कूपन

[116] ₹4.55 करोड़ + ₹5.04 करोड़

भुगतान के लिए केवल ₹ 4.59 करोड़[117] की आंशिक प्राप्ति के बावजूद तीसरी और चौथी किस्त जारी की गई (अक्टूबर 2013, मार्च 2014)।

इसके अतिरिक्त, जेडआईपीएल (एसीपीएल इक्विटी हेतु वापसी खरीद इकाई) की वित्तीय स्थिति कमजोर और अनुपातिक इक्विटी योगदान करने में इसकी विफलता, प्रवर्तकों द्वारा ₹ 673.59 करोड़ का शेष इक्विटी निवेश न करने, विद्युत परियोजनाओं हेतु कोयला प्राप्त करने में कठिनाई, परियोजना लागत ₹ 6200 करोड़ से 34.23 प्रतिशत तक बढ़कर ₹ 8322.23 करोड़ हो जाने के बावजूद ₹ 16.67 करोड़ का इक्विटी निवेश किया गया (मार्च 2014)। वीआईसीपीएल ने ₹ 10.02 करोड़ का कूपन ब्याज जमा नहीं किया था (15 जुलाई 2013) (तीसरी सुविधा), फिर भी आईएफसीआई ने वीआईसीपीएल को प्रदान की गई एनसीडी सुविधा के प्रति अपने बकाए और एसीपीएल तथा एआईपीएल शेयरों की खरीद में चूक के बावजूद वसूली हेतु कार्रवाई नहीं की।

प्रबंधन ने बताया (मई/नवम्बर 2016) कि बाद में संवितरण लक्षित हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए किया गया तथा संस्वीकृति की शर्तों का पालन किया गया था। अंतरिम रिटर्न के भुगतान हेतु और समय देते हुए संवितरण किए गए थे। विज इंफ्रा आईएफसीआई के एसीपीएल में निवेश की खरीददारी के लिए पार्टी नहीं थी। विद्युत क्षेत्र के व्यापक-आर्थिक कारक ने प्रवर्तक समूह के राजस्व को असामान्य रूप से प्रभावित किया। इसलिए कम्पनी को आगे ऋण लेने में सक्षम बनाने हेतु ₹ 16.67 करोड़ का संवितरण किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कर्जदार की जटिल नकदी स्थिति, जैसा कि उनके अंतरिम रिटर्न में ही चूक से देखा जा सकता है, कम्पनी को बार-बार के संवितरण से नहीं रोक पाई। विज इंफ्रा को कूपन सहित एआईपीएल में आईएफसीआई के इक्विटी निवेश की खरीद वापसी करनी थी न कि एसीपीएल में निवेश, जैसा कि उत्तर में बताया गया। उस पर रिटर्न में चूक अभी भी थी, जब संवितरण (तीसरा एवं चौथा) किया गया था। उपरोक्त उल्लिखित कमियों के बावजूद ₹ 16.67 करोड़ की अतिरिक्त किश्त जारी की गई। प्रवर्तकों की वापसी खरीद/कूपन भुगतान क्षमतायें प्रभावित हुए क्योंकि कर्जदार ग्रुप की परियोजनायें अभी कार्यान्वयन स्तर पर थी और उनसे कोई नकद आय नहीं हो रही थी।

प्रवर्तकों की वित्तीय स्थिति से संबंधित समुचित क्रेडिट मूल्यांकन (एसीपीएल, एईवीपीएल) के बिना इक्विटी/एनसीडी की संस्वीकृति और इसी ग्रुप को कई जटिल ऋण सुविधाओं की मंजूरी

---

[117] ₹ 2.16 करोड़ + ₹ 2.43 करोड़

के परिणामस्वरूप ₹ 449.66 करोड़ की गैर वसूली हुई (एनसीडी (वीआईसीपीएल) की संदिग्ध वसूली के बावजूद एसीपीएल और एआईपीएल में ₹ 119.47 करोड़ का इक्विटी निवेश और उस पर ₹ 95.75 करोड़ की आय, जो बाद में ₹ 234.44 करोड़ (मूलधन ₹ 177 करोड़, ब्याज ₹ 57.44 करोड़) का एनपीए हो गया (अक्टूबर 2015))।

7.3 गायत्री हाइटेक होटल्स लिमिटेड एण्ड गायत्री एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

क. आईएफसीआई ने हैदराबाद में एक फाइव स्टार होटल परियोजना के लिए एक नीतिगत निवेशक के तौर पर, गायत्री हाईटेक होटल्स लिमिटेड (जीएचएचएल) में ₹61.10 करोड़ का इक्विटी निवेश संस्वीकृत किया (26 प्रतिशत इक्विटी)। इक्विटी निवेश 36 महीनों के लिए था और पहले संवितरण की तिथि से 33वें महीने और 36वें महीने की समाप्ति पर ₹30 करोड़ और ₹ 31.10 करोड़ की दो किश्तों में गायत्री होटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएचवीपीएल, गायत्री ग्रुप की धारित मानित कम्पनी) व गायत्री प्रोजेक्टस लिमिटेड (जीपीएल समूह की अग्रणी कम्पनी) द्वारा वापस खरीदा जाना था। सम्पूर्ण रिटर्न की दर 18 प्रतिशत थी, जिसका छमाही आधार पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर तथा शेष का 8 प्रतिशत दर पर इक्विटी विनिवेश के साथ भुगतान किया जाना था। राशि ₹ 30 करोड़ (अप्रैल 2010) और ₹ 31.10 करोड़ (जून 2010) की दो किश्तों में वितरित की गई। इक्विटी निवेश दो प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी के साथ खरीद-वापसी करार द्वारा प्रत्याभूत था। कर्जदार ने आईएफसीआई को अंतरिम कूपन के भुगतान में चूक की (अक्टूबर 2012)। ₹ 61.10 करोड़ के कुल बकाए (7 जनवरी 2013 को ₹ 30 करोड़ तथा 7 अप्रैल 2013 को ₹ 31.10 करोड़) में से 7 मार्च 2013 को केवल ₹ 5 करोड़ की इक्विटी का विनिवेश किया गया। शेष वापसी खरीद राशि (₹56.10 करोड़) के लिए कर्जदार द्वारा आस्थगन के अनुरोध पर आईएफसीआई ने पुनर्निर्धारण की मंजूरी दो बार दी[118] (फरवरी 2013 और अगस्त 2015) तथा इस प्रक्रिया में जीपीएल के 41,45,217 अतिरिक्त बंधक शेयर की प्रतिभूति ली। कर्जदार (जीएचएचएल) के ऋण और वापसी-खरीद इकाई (जीपीएल) का क्रमश: ऋण पुनर्निर्धारण/संयुक्त कर्जदार फोरम तंत्र के तत्वाधान में पुनर्निर्धारण किया गया (जून 2014)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इक्विटी निवेश की सुविधा एक ऐसी कर्जदार कंपनी को दी गई (मार्च 2010) जिसने अभी तक वाणिज्यिक संचालन शुरू ही नहीं किया था और जीएलपी के मौजूदा प्रावधानों में निर्धारित मानदंड पूरा नहीं करती थी क्योंकि जीएलपी में ₹500 करोड़ के

[118] जनवरी/अप्रैल 2013 से जनवरी/अप्रैल 2015 तथा फिर जनवरी/अप्रैल 2018

न्यूनतम निवल सम्पत्ति के मानदंड के विपरीत प्रवर्तक कंपनी की निवल सम्पत्ति केवल ₹ 234.34 करोड़ ही थी। संस्वीकृति के समय परियोजना में पहले से ही 21 महीनों[119] की देरी थी और ₹154 करोड़[120] लागत बढ़ गई थी, इस पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया। क्रेडिट मूल्यांकन के दौरान वापसी-खरीद इकाई के डीईआर और एफएसीआर की गणना[121] ऋण भाग से गैर-प्रत्याभूत ऋण को छोड़कर की गई थी। संचालन के चौथे वर्ष में लक्षित लाभांश (7 प्रतिशत) 75% का अधिभोग अनुपात मानते हुए केवल ₹9 करोड़ था जो इस परियोजना में कर्जदार के ₹285 करोड़ के अन्य ऋण के साथ-साथ इस सुविधा को चुकाने के लिए ही अपर्याप्त था। वापसी-खरीद की निर्धारित समय सीमा के पहले पुनर्निर्धारण के दौरान (फरवरी 2013), कम्पनी ने दो प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी लागू नहीं की और बाद में वापसी-खरीद चूक के समय (जनवरी 2015/अप्रैल 2015) बंधक शेयर नहीं बेचे जबकि ये प्रतिभूति के रूप में उपलब्ध थे। इसके बजाय इस सुविधा का फिर से पुनर्निर्धारण कर दिया गया (अगस्त 2015)।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस तथ्य के बावजूद वर्तमान सुविधा दी गई थी कि आईएफसीआई का संबंधित कर्जदार ग्रुप (गायत्री शुगर लि.) के साथ पिछला अनुभव संतोषजनक नहीं था क्योंकि इसको दी गई एक सुविधा को आईएफसीआई के बकाए के निपटान (जुलाई 2008) के माध्यम से पहले ही समाप्त कर दिया गया था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में मानकों से विचलन, कर्जदार ग्रुप कंपनियों में से एक के साथ ओटीएस निपटान के साथ-साथ डी/ई अनुपात की गणना करते समय गैर-प्रत्याभूत ऋण को अलग करने से संबंधित तथ्य स्वीकार कर लिया। इसने यह भी बताया कि जीएचएचएल का नकद प्रवाह महत्वहीन था, वापसी-खरीद और अंतरिम रिटर्न का भुगतान अन्य कम्पनी द्वारा किया जा रहा था और यह सुविधा जीपीएल के बंधक शेयरों द्वारा भी प्रत्याभूत थी।

हालांकि अभी भी तथ्य यह है कि वापसी-खरीद निर्धारित समयसीमा के अनुसार नहीं किया गया और आईएफसीआई ने प्रवर्तकों की व्यक्तिगत प्रतिभूति लागू करने तथा इक्विटी निवेश

---

119 वाणिज्यिक संचालन तिथि-अप्रैल 2009 से जनवरी 2011

120 ₹ 366 करोड़ से ₹ 520 करोड़

121 डीईआर के ऋण अवयव से गैर प्रत्याभूत ऋण और अन्य बैंक ऋण को छोड़कर कंपनी द्वारा गणना किया गया डीईआर 0.2 था, लेकिन इसे शामिल करके वास्तविक डीईआर 1.54 था। इसी प्रकार गैर प्रत्याभूत और अन्य बैंक ऋण को छोड़कर कम्पनी द्वारा निकाला गया एफएसीआर 3.44 था, लेकिन इसे शामिल करके वास्तविक एफएसीआर 0.44 था।

के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रस्तावित बंधक शेयरों को बेचने की बजाए दो अवसरों पर विनिवेश का पुनर्निर्धारण किया।

ख. कम्पनी ने गायत्री एनर्जी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीईवीपीएल) के अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर्स (सीसीडी) का इसके द्वारा विकसित किए जाने हेतु प्रस्तावित दो विद्युत परियोजनाओं (एसपीवी) में जीईवीपीएल के इक्विटी निवेश को आंशिक रूप से वित्तपोषित करते हुए ₹250 करोड़ के निवेश की संस्वीकृति दी (दिसम्बर 2010)। सीसीडी, जीईवीपीएल के 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर, जीईवीपीएल के एक एसपीवी, एनसीसी इंफ्रॉस्ट्रक्चर होल्डिंग लिमिटेड के 10.74 प्रतिशत इक्विटी शेयर द्वारा प्रत्याभूत थे। सीसीडी को चार बराबर किश्तों[122] में गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा (जीपीएल, धारक कम्पनी) या इसके द्वारा खरीद-वापसी न किए जाने के मामले में जीईवीपीएल के दो प्रवर्तकों द्वारा वापस खरीदा जाना था। आईएफसीआई ने मई 2011 में ₹ 150 करोड़ का पहला सीसीडी अभिदान वितरित किया जबकि शेष गैर आहरित धनराशि ₹ 100 करोड़ रद्द कर दी गई (मई 2012)। कर्जदार ने आईएफसीआई को कूपन भुगतान करने में चूक करना शुरू किया (मई 2012) जिसने बाद में विनिवेश और कूपन भुगतान योजना[123] के पुनर्निर्धारण का अनुमोदन किया (जून 2015)। 31 मार्च 2016 तक कुल बकाया राशि ₹ 153.47 करोड़ थी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि जीईवीपीएल को क्रेडिट सुविधाएं संस्वीकृत की गई थी जिसकी प्रदत्त पूँजी केवल ₹ 1.05 करोड़ थी, इसकी अपनी कोई परिचालन आय नहीं थी और यह जीएलपी में निर्धारित पात्रता मानदंड भी पूरा नहीं करती थी क्योंकि प्रवर्तक कम्पनी की निवल सम्पत्ति न्यूनतम ₹ 300 करोड़ के प्रावधान के विपरीत केवल ₹ 280.41 करोड़ थी। इसके अलावा जीपीएल की ₹ 280.41 करोड़ की अपनी निवल सम्पत्ति क्षमता पर ₹ 8812 करोड़ के मूल्य की परियोजनाओं के निष्पादन हेतु अपेक्षित निधि जुटाने की सक्षमता पर भी ध्यान नहीं दिया गया। जीईवीपीएल द्वारा विकसित की जाने वाली दो विद्युत परियोजनाओं का वित्तपोषण 75 प्रतिशत[124] के ऋण अवयव से किया जा रहा था और ₹ 2469 करोड़ का शेष 25 प्रतिशत इक्विटी भाग शामिल करने की प्रवर्तको की क्षमता का मूल्यांकन नहीं किया गया। यहां तक कि ग्रुप की प्रमुख कम्पनी (गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड) भी तीन परियोजनाओं में बढ़े हुए समय और लागत से जूझ रही थी। कम्पनी ने प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के

---

[122] निवेश की तिथि से 42वें (15 नवम्बर 2014), 48वें (15 मई 2015), 54वें (15 निवम्बर 2015) और 60वें (15 मई 2016) महीने की समाप्ति पर।

[123] 15 मई 2016 से 8 बराबर तिमाही किस्तों में विनिवेश तथा 15 फरवरी 2016 से कूपन भुगतान शुरू किया जाना था।

[124] ₹ 7403 करोड़ (₹ 5151 करोड़ + ₹ 2252 करोड़)

संबंध में ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) तथा विद्युत क्रय करार (पीपीए) को अंतिम रूप देने जैसी महत्वपूर्ण संवितरण पूर्व शर्तों से हटाकर सीसीडी निवेश की अन्य शर्तों का रूख किया। जीईवीपीएल और जीएचएचएल को दी गई क्रेडिट सुविधाओं के पुनर्भुगतान में मौजूदा चूक के बावजूद आईएफसीआई ने संबंधित[125] ग्रुप कम्पनी के अन्य प्रीपेड ऋण (2013) के संबंध में ₹50 करोड़ मूल्य की मूर्त प्रतिभूति अवमुक्त कर दी।

प्रबंधन ने इस तर्क कि निवल संपत्ति मापदंड से कम थी, को स्वीकार करते हुये कहा कि उच्च ऋण इक्विटी अनुपात स्वीकार्य मानक था और वित्तीय समापन संभव था। उसने कहा कि ईंधन आपूर्ति करार और विद्युत क्रय करार के क्रियान्वयन में विलम्ब उद्योग की प्रवृत्ति थी और इसलिये आईएफसीआई ने उसके लिये अतिरिक्त समय दिया और नकद प्रवाह पुनर्गठन हेतु पर्याप्त था। इसके अतिरिक्त, उसने यह भी कहा (नवम्बर 2016) कि जीईवीपीएल पुनर्निर्धारण करने के बाद नियमित रूप से कूपन भुगतान कर रही है और मई 2016 में 16 प्रतिशत प्रतिलाभ की आंतरिक दर सहित ₹ 18 करोड़ की वापसी-खरीद की।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर्जदार निर्धारित पात्रता मानदंड पूर्ण नहीं करता और उद्योग की प्रवृत्ति की कर्जदार की मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ तुलना की जानी चाहिये जिसकी अन्य बीओटी परियोजना में लागत बढ़ रही थी। नियमित कूपन भुगतान के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कर्जदार ने अगस्त 2016 और नवम्बर 2016 में देय ₹ 46.59 करोड़ की राशि के मूलधन और ब्याज की दो किश्तों के भुगतान में चूक की। वित्तीय व्यावहारिकता स्थापित नहीं हो सकी, विशेष रूप से तब जब आईएफसीआई द्वारा पुनर्निर्धारण (जून 2015) करने से पूर्व उसकी खराब वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये, जनवरी 2015 में संयुक्त ऋणदाता फोरम के अंतर्गत प्रवर्तक/विनिवेश इकाई के ऋण का पुनर्निर्धारण किया था।

इस प्रकार, अपात्र कर्जदारों को क्रेडिट सुविधा देने और कर्जदारों के क्रेडिट मूल्यांकन में कमी, ग्रुप कंपनियों में एक से अधिक को उधार देने के कारण उपलब्ध प्रतिभूति प्रभावशील न होने के कारण ₹ 56.10 करोड़ की इक्विटी की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, किसी भी मूर्त प्रतिभूति के अभाव से ₹ 153.47 करोड़ (जीईवीपीएल) की वसूली अनिश्चित हुई थी और स्वयं जीपीएल (वापसी-खरीद इकाई) को अन्य ऋण के संबंध में आईएफसीआई को ₹66.16 करोड़ का ऋण चुकाना था।

---

[125] गायत्री प्रॉपर्टी वेंचर्स लिमिटेड (2008)

7.4 एबीजी सीमेंट लिमिटेड और एबीजी एनर्जी (गुजरात) लिमिटेड

आईएफसीआई ने एबीजी सीमेंट लिमिटेड[126] (एबीजीसीएल) और एबीजी एनर्जी (गुजरात) लिमिटेड (एबीजीईजीएल) की इक्विटी में क्रमश: ₹ 63.92 करोड़ और ₹ 36 करोड़ (अक्टूबर 2009) का निवेश किया (अप्रैल 2009)। आईएफसीआई को उपलब्ध विनिवेश विकल्प एबीजीसीएल के संबंध में अतिरिक्त टैग-अलांग[127] अधिकारों के साथ आईपीओ के माध्यम से या दोनों सुविधाओं के लिये एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एबीजीआईएल) पर पुट-ऑप्शन था। नकदी की समस्या के कारण, परियोजना ने अधिक समय और अधिक लागत का सामना किया तथापि, चूक होने पर आईएफसीआई द्वारा दोनों कम्पनियों के लिये पुट-ऑप्शन का प्रयोग किया गया था (नवम्बर 2012 और मार्च 2013) लेकिन उसे एबीजीआईएल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इन निवेशों के संबंध में 31 मार्च 2016 को कुल देयता उस पर ₹ 218.47 करोड़ के रिटर्न के अलावा ₹99.92 करोड़ थी। इसके लिए कम्पनी द्वारा परिसमापन के लिये याचिका दायर कर दी गई (जनवरी 2016)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इक्विटी में निवेश निवर्तमान सामान्य ऋण नीति का उल्लंघन करते हुये किया गया था क्योंकि प्रवर्तक कम्पनी अर्थात एबीजीआईएल की निवल संपत्ति ₹ 500 करोड़ की निर्धारित न्यूनतम निवल संपत्ति के विपरीत ₹ 251 करोड़ थी। ग्रीनफील्ड परियोजना होने के बावजूद आईएफसीआई ने कोई भी मूर्त प्रतिभूति प्राप्त नहीं की थी। परियोजना लागत में 29 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 537.08 करोड़ से) को नजरअंदाज करते हुये इसने संवितरण जारी रखा। इसके अतिरिक्त, शेयरधारण अनुपात बनाये रखने पर अधिक ध्यान देकर और यह तर्क देकर कि पुट-ऑप्शन आईएफसीआई को अधिक लागत और समय के प्रभाव से बचायेगा, इक्विटी में यथानुपात अंशदान जारी रखा। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, एबीजी ग्रुप की अन्य कम्पनी को ₹ 100 करोड़ के सावधि ऋण की एक अन्य सुविधा संवितरित (मार्च 2013) की गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि नवम्बर 2012 और मार्च 2013 में क्रमश: दोनों निवेशों (एबीजी सीमेंट, एबीजी एनर्जी) के लिये आइएफसीआई द्वारा प्रयोग किये गये पुट-ऑप्शन को प्रवर्तक कम्पनी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। यहां तक कि इस ऋण की स्वीकृति के समय जून 2013 तक एबीजीसीएल और एबीजीईजीएल में निवेश के वापसी-खरीद की एबीजीआईएल की वचनबद्धता भी प्रवर्तित नहीं हो पाई।

---

[126] वदराज सीमेंट के रूप में नया नाम

[127] आईपीओ/शेयर की बिक्री के मामले में तृतीय पक्ष को प्रस्तुत शर्तों के समान दावे का अधिकार

प्रबंधन ने कहा (अगस्त, नवम्बर 2016) कि कर्जदार के संसाधनों में भविष्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये और प्रवर्तकों की निधि निवेश करने की क्षमता का अनुमान लगाने के बाद पात्रता मानदंड में छूट दी गई थी। भुगतान, निवेश की गई इक्विटी के अनुपात में, अन्य ऋणदाता द्वारा दी गई राशि और अधिक लागत के लिये अपेक्षित ₹ 183.96 करोड़ की पूर्ण इक्विटी की सहायता देने की एबीजीआईएल की वचनबद्धता पर किया गया था। एबीजी शिपर्याड को ऋण प्रस्तुत प्रतिभूति और उसकी लाभप्रदता पर स्वीकृत किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निवल सम्पत्ति आवश्यकता से विचलन आईएफसीआई के हित में नहीं था। इसके अतिरिक्त, कर्जदार की तनावपूर्ण वित्तीय स्थिति और उसकी पुनर्भुगतान क्षमता प्रभावित करने वाले कारणों पर प्रत्येक स्तर पर समुचित संज्ञान नहीं लिया गया था। बल्कि आईएफसीआई ने कर्जदार/ प्रवर्तक की वचनबद्धता पर विश्वास किया और अन्य ऋणदाताओं का अनुकरण किया। एबीजीसीएल और एबीजीईजीएल के संबंध में उसके प्रवर्तक द्वारा वापसी-खरीद की चूक मौजूद होने के बावजूद एबीजी शिपयार्ड को नया ऋण जारी करना (मार्च 2013) भी आईएफसीआई के हित में नहीं था।

अध्याय 8: निष्कर्ष एवं सिफारिशें

8.1 निष्कर्ष

चूँकि आईएफसीआई एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशियाँ न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) है, अत: यह आवश्यक है कि मूल्यांकन एंव उद्यम के सख्त मानकों का अनुसरण किया जाये एंव मूल्यांकन और क्रेडिट सुविधाओं के विस्तारण की प्रक्रिया के दौरान इसके स्वयं के वित्तीय/वाणिज्यिक हित को उचित महत्व दिया जाये।

अनेक कर्जदारों को आईएफसीआई द्वारा दिए गए ऋणों/निवेशों की संस्वीकृति, संवितरण एंव निगरानी की समीक्षा ने दर्शाया कि आईएफसीआई ने कुछ ऋण लेखाओं की संस्वीकृति, संवितरण एंव निगरानी के दौरान क्रेडिट मूल्यांकन में समुचित सावधानी के सर्वोच्च मानकों का पालन नहीं किया। इसने कुछ दृष्टांतों में स्वयं की सामान्य उधार नीति का अनुपालन नहीं किया एवं न्यूनतम प्रतिभूति कवर, वित्तीय अनुपातों, क्रेडिट रेटिंग आदि से संबंधित विभिन्न अनुबद्ध पात्रता मानदंड में छूट दी थी। संस्वीकृति के दौरान स्वीकृत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन सामान्य उधार नीति में निर्धारित कार्यप्रणाली के साथ सामंजस्य में नहीं था। लेखापरीक्षा ने प्रतिभूति के तौर पर लिए गए अचल सम्पत्तियों के टाइटिल के सत्यापन में समुचित सावधानी की कमी देखी, परिणामस्वरूप इन प्रतिभूतियों के प्रवर्तन एंव गिरवी सम्पत्तियों के संरक्षण में विफलता हुई। यह भी देखा गया कि उन मामलों में जहाँ संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार प्राथमिक प्रतिभूति संवितरण के पूर्व सृजित नहीं की गई थी, इनके एनपीएज़ में परिवर्तित होने के बहुत दृष्टांत हुए थे। भुगतान में चूक एवं ऋणों के एनपीए में परिवर्तित होने के बाद भी प्रतिभूति के प्रवर्तन में विलम्ब था और कुछ दृष्टांत में प्रतिभूति का गैर-प्रवर्तन भी था खासतौर से बकाया शेषों की वसूली के लिए गिरवी रखे इक्विटी शेयरों की बिक्री में विलम्ब हुआ था। लेखापरीक्षा ने प्रावधानीकरण, पुनर्गठन तथा आरबीआई/सीआईबीआईएल में इरादतन चूककर्ता की सूची में शामिल कर्जदारों को ऋण की संस्वीकृति में आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन भी देखा। लेखापरीक्षा ने अन्य कम्पनियों में इक्विटी निवेश के कुछ दृष्टांतों में कम्पनी एवं वापसी-खरीद इकाई के वित्तीय परिणामों का अनुचित क्रेडिट मूल्यांकन/विश्लेषण एवं कर्जदार के असंतोषजनक ऋण वृत्तांत

या ऋण ग्रस्तता देखी। अधिकतम मामलों में वापसी-खरीद में चूक, प्रतिबंधित एग्ज़िट विकल्प एवं मंजूरी के बाद कमजोर निगरानी के साथ समूह कम्पनियों के भीतर बहुत उधारी करने के उदाहरण थे।

मंत्रालय ने कहा (फरवरी 2017) कि सामान्य उधार नीति उधारदाता संस्थानों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के अलावा नीति में निर्धारित शर्तों से जहाँ भी कोई विचलन आवश्यक थे, अनुमोदनों का एक साधन प्रदान करती थी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस रिपोर्ट में उजागर आपत्तियों के आधार पर, कम्पनी को सामान्य उधार नीति की समीक्षा, व्यक्तिगत मामलों की समीक्षा से अभिज्ञात क्षेत्रों में प्रक्रिया को सख्त करने, लापरवाही/धोखाधड़ी के साथ-साथ इरादतन चूककर्ताओं को उधार देने के सभी मामलों में स्टाफ की जिम्मेदारी की जांच की सलाह दे दी गई थी। इसने आगे कहा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आईएफसीआई के प्रति आरोपों सहित कुछ मामलों में यथोचित संवीक्षा पहले से ही आरबीआई, सेबी एंव गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय द्वारा प्रक्रियाधीन थी। इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ इन प्रतिवेदनों के निष्कर्ष कम्पनी को सलाह देने एवं इस मंत्रालय द्वारा की गई आईएफसीआई के निष्पादन की आवधिक समीक्षाओं एवं आगे सुधार करने में प्रयुक्त किए जाऐंगे।

8.2 सिफारिशें

- **क्रेडिट मूल्यांकन तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए;**
- **कम्पनी को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा राशियाँ न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों पर लागू आरबीआई दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए;**
- **कम्पनी को सख्ती से अपनी सामान्य उधार नीति का पालन करना चाहिए और विचलनों की सहायता बार-बार नहीं लेनी चाहिए;**

- **कम्पनी को वित्तीय सहायता की संस्वीकृति के दौरान कर्जदार कम्पनी की वित्तीय स्थिति के साथ गिरवी दाता कम्पनी/वापसी खरीद करने वाली इकाई का भी आंकलन करना चाहिए;**
- **चूक के तुरन्त बाद वसूली की कार्यवाही को उपलब्ध प्रतिभूति प्रवर्तित करते हुए शीघ्र ही आरंभ किए जाने की आवश्यकता है।**

(एच. प्रदीप राव)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक : 05 अप्रैल 2017

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 05 अप्रैल 2017

अनुबंध

अनुबंध-1(पैरा 3.2)

2012-13 से 2015-16 के दौरान स्वीकृत मामलों में मानदंडों में विचलन के विवरण

क्र.सं.	विचलन की श्रेणी	विचलन की प्रकृति	मामले जहां विचलन पाया गया
1.	वित्तीय अनुपात (लाभप्रदता अनुपात, तरलता अनुपात, लीवरेज अनुपात, कवरेज अनुपात) से संबंधित मानदंड से विचलन	1.1. लाभप्रदता अनुपात (जीपी, सकल लाभ, निवल लाभ, ऑपरेटिंग अनुपात)	1. कंट्री कॉलनाइजर्स लिमिटेड 2. फोरम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
		1.2 तरलता अनुपात (चालू अनुपात),	3. आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड 4. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5. एमटेक ऑटो लिमिटेड 6. भूषण स्टील लिमिटेड 7. बिनानी सीमेंट्स लिमिटेड 8. कंट्री कॉलनाइजर्स लिमिटेड 9. इग्जैक्ट डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड 10. जेन्यूइन ऐसेट ऑपरेटरस प्राइवेट लिमिटेड 11. जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड 12. जिंदल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 13. जेपी इस्कॉन लिमिटेड 14. जुबिलेंट लाइफसाइंसेस लिमिटेड 15. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड 16. पलावा ड्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड 17. पुंज लॉयड लिमिटेड 18. रेनबो पेपर्स लिमिटेड 19. रेड्डी स्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 20. आरएसबी ट्रांसमिशन (आई) लिमिटेड 21. श्री रयालसीमा अल्कलीज एंड अलायड केमिकल्स लिमिटेड 22. द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड (15-16) 23. तिलकनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 24. उत्तम गाल्वा मेटालिक्स लिमिटेड 25. विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
		1.3 उच्च लीवरेज अनुपात (ऋण इक्विटी अनुपात, कुल बाहरी देयता टीओएल/मूर्त निवल मूल्य (टीएनडब्ल्यू))	26. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 27. भूषण स्टील लिमिटेड 28. बिनानी सीमेंट्स लिमिटेड 29. एवरग्रोइंग आयरन एंड फिनवेस्ट लिमिटेड 30. इग्जैक्ट डेवलपर्स और प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड

			31. फ्यूचर ब्रांड्स लिमिटेड (डीईआर) 32. फ्यूचर ब्रांड लिमिटेड (टीओएल/टीएनडब्ल्यू) 33. जेन्यूइन ऐसेट ऑपरेटरस प्राइवेट लिमिटेड 34. जय प्रकाश एसोसिएट्स 35. जेपी इस्कॉन लिमिटेड 36. केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड 37. लिज़ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (14-15) 38. लिज़ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (15-16) 39. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड 40. ओमकार रील्टर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड 41. परिनी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड (डीईआर) 42. परिनी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड (टीओएल/टीएनडब्ल्यू) 43. पुराणिक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड 44. रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड 45. श्री नमन हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड 46. वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
		1.4 कवरेज अनुपात (ऋण सेवा कवरेज अनुपात (डीएससीआर), अचल संपत्ति कवरेज अनुपात (एफएसीआर))	47. आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड 48. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 49. एमटेक ऑटो लिमिटेड 50. भूषण स्टील लिमिटेड 51. बिनानी सीमेंट्स लिमिटेड 52. एवरग्रोइंग आयरन एंड फिनवेस्ट लिमिटेड 53. जेन्यूइन ऐसेट ऑपरेटरस प्राइवेट लिमिटेड (एफएसीआर) 54. जेन्यूइन ऐसेट ऑपरेटरस प्राइवेट लिमिटेड (डीएससीआर) 55. ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 56. जय प्रकाश एसोसिएट्स (डीएससीआर) 57. जय प्रकाश एसोसिएट्स (एफएसीआर) 58. जुबिलेंट लाइफसाइंसेज लिमिटेड (डीएससीआर) 59. जुबिलेंट लाइफसाइंसेज लिमिटेड (एफएसीआर) 60. मंगलम बिल्ड-डेवलपर्स लिमिटेड 61. मॉनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (डीएससीआर) 62. मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड (एफएसीआर)

			63. आरईआई एग्रो लिमिटेड 64. सिम्हापुरी एनर्जी लिमिटेड 65. द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड 15-16 66. उत्तम गाल्वा मेटालिक्स लिमिटेड 67. वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
2.	क्रेडिट रेटिंग, न्यूनतम निवल संपत्ति और पूर्व वर्ष की लाभप्रदता से संबंधित मानदंड से विचलन	2.1 कम/कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं	1. आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड 2. कंट्री कॉलोनाइजर्स लिमिटेड 3. इग्जैक्ट डेवलपर्स एण्ड प्रमोटरस प्राइवेट लिमिटेड 4. फोरम प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 5. ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 6. जिंदल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 7. लिचिका प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 8. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 9. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 10. एमटेक ऑटो लिमिटेड 11. कोस्टल एनर्जीन प्राइवेट लिमिटेड 12. एवरग्रोइंग आयरन एंड फिनवेस्ट लिमिटेड 13. लक्ज़ोरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 14. परिनी रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड 15. रेनबो पेपर्स लिमिटेड
		2.2 उधारकर्ता की न्यूनतम निवल संपत्ति	16. एवरग्रोइंग आयरन एंड फिनवेस्ट लिमिटेड 17. इग्जैक्ट डेवलपर्स और प्रमोटरस प्राइवेट लिमिटेड 18. जेन्यूइन ऐसेट ऑपरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड 19. ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 20. लिचिका प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
		2.3 पिछले तीन वर्षों में उधारकर्ता की लाभप्रदता	21. आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड 22. बिनानी सीमेंट्स लिमिटेड 23. इग्जैक्ट डेवलपर्स एण्ड प्रमोटरस प्राईवेट लिमिटेड 24. जेन्यूइन ऐसेट ऑपरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड 25. ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 26. जिंदल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 27. जुबिलेंट लाइफसाइंसेस लिमिटेड 28. लिचिका प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 29. लक्ज़ोरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड,

			30. विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 31. वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
3.	न्यूनतम प्रतिभूति राशि, प्रतिभूति की प्रकृति और उसके मूल्यांकन में छूट.	3.1न्यूनतम प्रतिभूति राशि	1. आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2. अंसल हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 3. ईएमसी लिमिटेड 4. एवरग्रोइंग आयरन एंड फिनवेस्ट लिमिटेड 5. इग्जैक्ट डेवलपर्स एण्ड प्रमोटरस प्राइवेट लिमिटेड 6. गेरा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड 7. ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 8. जिंदल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 9. जुबिलेंट लाइफसाइंसेस लिमिटेड 10. लिचिका प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 11. मंडावा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 12. मंगलम बिल्ड-डेवलपर्स लिमिटेड 13. मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड 14. पलावा डवेलर्स प्राइवेट लिमिटेड 15. पुंज लॉयड लिमिटेड 16. रेनबो पेपर्स लिमिटेड 17. रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड 18. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (14-15) 19. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (15-16) 20. आरएसबी ट्रांसमिशन (आई) लिमिटेड 21. सोभा डेवलपर्स लिमिटेड 22. द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड 14-15 23. द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड 15-16 24. विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 25. वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड.
		3.2 प्रतिभूति (परिसंपत्तियां) का अधिक मूल्यांकन	26. ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 27. जिंदल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 28. मंगलम बिल्ड-डेवलपर्स लिमिटेड 29. पुराणिक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड 30. आरएसबी ट्रांसमिशन (आई) लिमिटेड 31. सिम्हापुरी एनर्जी लिमिटेड 32. वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
		3.3 प्रतिभूति की प्रकृति/अप्रवर्तनीय	33. डीए टोल लिमिटेड 34. केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड

		प्रतिभूति (कृषि भूमि, सेज, बीओटी आदि)	35. मंडावा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड 36. एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड 37. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 38. विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
4.	स्वीकृत शर्तों (शेयरों के प्रति उधार, अग्रिम राशि प्राप्त न होना आदि) के अनुसार अन्य अनुबद्ध शर्तों से विचलन	4.1 शेयर के प्रति उधार ₹ 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिये	1. एवरग्रोइंग आयरन एंड फिनवेस्ट लिमिटेड 2. लिज़ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (14-15) 3. लिज़ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (15-16)
		4.2 अग्रिम राशि/कानूनी शुल्क और अन्य प्रभारों, परिनिर्धारित हर्जाने की गैर- प्राप्ति.	4. एवरग्रोइंग आयरन एंड फिनवेस्ट लिमिटेड 5. फ्यूचर ब्रांड्स लिमिटेड 6. पुराणिक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड 7. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (14-15) 8. रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (15-16) 9. ट्राईमैक्स आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 10. वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड
		4.3 ऋण अवधि में वृद्धि	11. एमटेक ऑटो लिमिटेड 12. डीएलएफ लिमिटेड 13. ईएमसी लिमिटेड 14. जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड 15. जिंदल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 16. सिम्हापुरी एनर्जी लिमिटेड
		4.4 प्रमोटरों का सीमा से अधिक शेयर प्रतिभूत	17. केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड
5.	जानबूझकर चूक करने वालों को स्वीकृति	5.1 जानबूझकर चूक करने वालों की सूची में प्रमोटर	1. मंत्री डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
		5.2 जानबूझकर चूक करने वालों की सूची में निदेशक	2. जुबिलेंट लाइफ साइंसेस लिमिटेड[1] 3. स्यू ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

मुख्य मामलों की स्वीकृति में मानदंडों से विचलन की सूची अनुबंध-1ए में दी गई है।

[1] लोन का पूर्व भुगतान किया गया था (अक्टूबर 2015/अक्टूबर 2016)

अनुबंध-1ए (पैरा 3.2)

सामान्य उधार नीति में अनुबद्ध शर्तों से विचलन की निदर्शी सूची

ए वित्तीय अनुपातों से संबंधित मानदंड में विचलन

क्र.सं.	नाम और स्वीकृति का वर्ष	वित्तीय अनुपात	अनुबद्ध शर्तें	अनुबद्ध शर्तों से विचलन
1.	फ्यूचर ब्रांड्स लिमिटेड (2015-16)	टीओएल/टीएनडब्ल्यू (लीवरेज अनुपात)	4:1	(-3.21) ऋणात्मक निवल मूल्य
2.	परिनी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (2015-16)	टीओएल/टीएनडब्ल्यू (लीवरेज अनुपात)	4:1	27.46:1
3.	वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2015-16)	टीओएल/टीएनडब्ल्यू (लीवरेज अनुपात)	3.5	5.11
4.	रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (2015-16)	टीओएल/टीएनडब्ल्यू (लीवरेज अनुपात)	4:1	4.33:1
5.	मंगलम बिल्ड-डेवलपर्स लिमिटेड (2014-15)	न्यूनतम डीएससीआर (लीवरेज)	1.5	0.74
6.	एमटेक ऑटो लिमिटेड (2015-16)	न्यूनतम डीएससीआर (लीवरेज)	1	0.74
7.	जेन्यूइन ऐसेट ऑपरेटर्स प्राइवेट लिमिटेड (2014-15)	सीआर (तरलता)	1.2	शून्य
8.	इग्जैक्ट डेवलपर्स एण्ड प्रमोटरस प्राइवेट लिमिटेड (2015-16)	सीआर (तरलता)	1.2	0.04
9.	कंट्रीकॉलनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (2012-13)	चालू अनुपात (तरलता अनुपात)	1.33	0.26
10.	श्री रायलसीमा अल्कालीज (2015-16)	सीआर (तरलता)	1	0.59
11.	द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड (2015-16)	सीआर (तरलता)	1.33	0.69
12.	एमटेक ऑटो लिमिटेड (2015-16)	सीआर (तरलता	1.33	0.80
13.	आधुनिक मेटालिक्स लिमिटेड (2013-14)	सीआर (तरलता)	1.33	0.84
14.	उत्तम गाल्वा मेटलिक्स लिमिटेड (2014-15)	सीआर (तरलता)	1.3	0.94
15.	परिनी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	डीईआर	1.6:1	19.71:1

क्र.सं.	नाम और स्वीकृति का वर्ष	वित्तीय अनुपात	अनुबद्ध शर्तें	अनुबद्ध शर्तों से विचलन
	(2015-16)	(लीवरेज अनुपात)	(एकल) 3.5:1 (समेकित)	3.66:1
16.	लिज़ इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड सीएल-III (2015-16)	डीईआर (लीवरेज अनुपात)	2:1	14.13:1
17.	लिज़ इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड सीएल-II (2014-15)	डीईआर (लीवरेज अनुपात)	2:1	8.09:1
18.	एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड (2015-16)	डीईआर (समेकित)	3.5:1	ऋणात्मक निवल मूल्य
19.	ओमकार रीयल्टर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (2013-14)	डीईआर (लीवरेज)	1.5	4.2
20.	पुराणिक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड (2015-16)	डीईआर (लीवरेज अनुपात)	1.6	2.15
21.	केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड (2015-16)	डीईआर (लीवरेज अनुपात)	3:1	4.44:1
22.	एवरग्रोइंग आयरन एंड फिनवेस्ट लिमिटेड (2013-14)	डीईआर (लीवरेज अनुपात)	1.5:1	2:1
23.	फ्यूचर ब्रांड्स लिमिटेड (2015-16)	डीईआर (लीवरेज)	1:1	1.4:1

बी पूर्व वर्ष में लाभ, क्रेडिट रेटिंग, और निवल संपत्ति से संबंधित मानदंड से विचलन

क्र.सं.	नाम और स्वीकृति का वर्ष	वित्तीय मानदंड	अनुबद्ध शर्तें	अनुबद्ध शर्तों से विचलन	टिप्पणियां
1.	परिनी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (2015-16)	क्रेडिट रेटिंग	न्यूनतम बीबीबी-	कोई क्रेडिट रेटिंग नहीं	स्वीकृति के बाद उसे प्रस्तुत करने के लिये समय दिया गया
2.	लक्ज़ोरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (2014)	क्रेडिट रेटिंग	बीबीबी-	कोई बाहरी रेटिंग नहीं	आईएफसीआई रेटिंग 7 थी जो निवेश ग्रेड से कम थी।
3.	एमटेक ऑटो लिमिटेड (2015-16)	क्रेडिट रेटिंग	बीबीबी-	कोई बाहरी रेटिंग नहीं	
4.	इग्जैक्ट डेवलपर्स एण्ड प्रमोटरस प्राइवेट लिमिटेड (2015-16)	क्रेडिट रेटिंग	बीबीबी-	कोई बाहरी रेटिंग नहीं	

क्र.सं.	नाम और स्वीकृति का वर्ष	वित्तीय मानदंड	अनुबद्ध शर्तें	अनुबद्ध शर्तों से विचलन	टिप्पणियां
5.	निर्मल लाइफस्टाइल (2013-14)	क्रेडिट रेटिंग	बीबीबी	स्वीकृति से पूर्व रेटिंग नहीं की गई (सितम्बर 2012)	
6.	जिंदल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2015-16)	क्रेडिट रेटिंग	बीबीबी+ सेबीबीबी - समाप्त होने से 3 माह के अंदर पुन: रेटिंग करना	बीबीबी- 11अगस्त 15 को रेटिंग समाप्त हो गई थी, नवीनीकरण को अभिलेखों में नहीं पाया गया।	
7.	हाइड्रिक फार्म इंपुट्स लिमिटेड (2015-16)	क्रेडिट रेटिंग	बीबीबी-	बीबी	
8.	जेन्यूइन ऐसेट ऑपरेटर प्राइवेट लिमिटेड (2014-15)	उधारकर्त्ता की न्यूनतम निवल संपत्ति	50 करोड़	1 लाख	उधारकर्ता की कम क्रेडिट पात्रता 99.9%निवल संपत्ति की कमी
9.	लिचिका प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (2015-16)	न्यूनतम निवल संपत्ति	₹ 50 करोड़	₹ 0.11 करोड़	
10.	इग्जैक्ट डेवलपर्स एण्ड प्रमोटरस प्राइवेट लिमिटेड (2015-16)	निवल संपत्ति	100	69.05	31% निवल संपत्ति की कमी
11.	एवरग्रोइंग आयरन एंड फिनवेस्ट लिमिटेड (2013-14)	न्यूनतम निवल संपत्ति	₹ 100 करोड़	₹ 79 करोड़	21% निवल संपत्ति की कमी
12.	जेन्यूइन ऐसेट ऑपरेटरस प्राइवेट लिमिटेड (2014-15)	लाभप्रदता	3 वर्षों में से 2	नवगठित कंपनी, कोई लाभ नहीं	
13.	जिंदल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2015-16)	लाभप्रदता	पिछले 3 वर्षों में से 2 में लाभदायक	पिछले 3 वर्षों में हानि हुई	अपात्र उधारकर्ता
14.	लक्ज़ोरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (2014-15)	लाभप्रदता	3 वर्षों में से 2 में लाभदायक	सभी 3 वर्षों में हानि	
15.	वालचंदनगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2015-16)	लाभप्रदता	3 वर्षों में से 2 में लाभदायक	पिछले 2 वर्षों में हानि	अपात्र उधारकर्ता
16.	इग्जैक्ट डेवलपर्स और प्रमोटर प्राइवेट लिमिटेड (2015-16)	लाभप्रदता	3 वर्षों में से 2 में लाभदायक	पिछले 2 वर्षों में हानि	

क्र.सं.	नाम और स्वीकृति का वर्ष	वित्तीय मानदंड	अनुबद्ध शर्तें	अनुबद्ध शर्तों से विचलन	टिप्पणियां
17.	लिचिका प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (2015-16)	लाभप्रदता	पिछले 3 वर्षों में से 2 में लाभदायक	पिछले 2 वर्षों में हानि	
18.	कंट्रीकॉलनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड (2012-13)	लाभप्रदता	स्वीकृति से पूर्व पिछले 3 वर्षों में लाभदायक होना।	पालन नहीं किया गया	

सी सुरक्षा महत्व से संबंधित मानदंड में विचलन

क्र.सं.	नाम और स्वीकृति का वर्ष	अनुबद्ध प्रतिभूति शर्तें	अनुबद्ध शर्तों से विचलन	टिप्पणियां
1.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (2013-14)	न्यूनतम प्रतिभूति राशि	1.26 (मूर्त)	0.79 (मूर्त)
2.	द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड (2014-15)	न्यूनतम प्रतिभूति राशि	2 गुना	1.25 गुना
3.	सोभा डेवलपर्स लिमिटेड (2013-14)	न्यूनतम प्रतिभूति राशि	2 गुना (मूर्त)	1.25 गुना मूर्त
4.	ईएमसी लिमिटेड (2014-15)	न्यूनतम प्रतिभूति राशि	2 गुना	1.5 गुना
5.	जिंदल रेल इन्फ्रा लिमिटेड (2015-16)	न्यूनतम प्रतिभूति राशि अचल परिसंपत्ति पर पहले प्रभार का 2 गुना होनी चाहिये	1.25	निर्धारित से कम प्रतिभूति ली गई
6.	एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड (2015-16)	प्रतिभूति प्रवर्तनीयता	प्रतिभूति बीओटी परियोजना के लिये पट्टे पर ली गई भूमि के समरूप प्रभार थी	बीओटी की प्रवर्तन क्षमता संदेहजनक थी
7.	केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड (2015-16)	प्रतिभूति प्रवर्तनीयता की प्रकृति	सशर्त के आधार पर कृषि भूमि की स्वीकृति	इसलिये प्रवर्तनीयता मुश्किल है।
8.	डीए टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड (2014-15)	परियोजना परिसंपत्ति पर प्रभार	परियोजना नकद प्रवाह पर प्रभार	विचलन में अप्रवर्तनीय प्रतिभूति शामिल थी।

9.	जिंदल रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2015-16)	परिसंपत्तियों के बही-मूल्य के अनुसार मूल्यांकन	भूमि के पुराने बिक्री मूल्य पर आधारित मूल्यांकन	विचलन के कारण प्रतिभूति राशि का अधिक मूल्यांकन हुआ
10.	आरएसबी ट्रांसमिशन (आई) लिमिटेड (2015-16)	बही-मूल्य के अनुसार मूल्यांकन	मूल्यांकन आपात बिक्री मूल्य पर किया गया था।	फलस्वरूप प्रतिभूति राशि का अधिक मूल्यांकन हुआ

डी अन्य अनुबद्ध शर्तो से संबंधित मानदंड से विचलन

क्र.सं.	नाम और स्वीकृति का वर्ष	मानदंड	अनुबद्ध शर्तें	अनुबद्ध शर्तों से विचलन	टिप्पणियां
1.	लिज़ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड सीएल-।।। (2015-16)	शेयर की प्रतिभूति राशि के प्रति उधार	₹ 25 करोड़ का अधिकतम लोन	₹ 70 करोड़ स्वीकृत लोन	नियमों का उल्लंघन करते हुये ₹ 45 करोड़ के अधिक ऋण की स्वीकृति
2.	लिज़ इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड सीएल-।। (2014-15)	शेयर की प्रतिभूति राशि के प्रति उधार	₹ 25 करोड़ का अधिकतम लोन	₹ 50 करोड़	₹ 25 करोड़ का अतिरिक्त स्वीकृत ऋण
3.	गोयल एमजी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड (2015-16)	पूर्व भुगतान प्रीमियम	2% (कभी भी)	विलम्ब के बाद 0.50%	उधारकर्ता को 1.5% का अनुचित लाभ दिया गया
4.	पुराणिक बिल्डर्स (2015-16)	पूर्व भुगतान प्रीमियम	हर समय 2%	स्वीकृति के 1 वर्ष बाद 0% किया	उधारकर्ता को अनुचित लाभ
5.	द इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड (2015-16)	पूर्व भुगतान प्रीमियम	2%	1%	1% कम किया
6.	जिंदल रेल इन्फ्रा (2015-16) 2 लोन	ऋण अवधि	6 वर्ष	10 वर्ष	अवधि में चार वर्ष बढ़ाने से अधिक जोखिम का पूर्वानुमान
7.	एम्टेक ऑटो लिमिटेड (2015-16)	ऋण अवधि	6 वर्ष .	10 वर्ष	अवधि में चार वर्ष बढ़ाने से अधिक जोखिम का पूर्वानुमान

8.	जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (2014-15)	ऋण अवधि	2 वर्ष के अधिस्थगन अवधि सहित अधिकतम 6 वर्ष (स्वीकृति नोट में प्रतिमानक 6 की बजाय 8 के रूप में दर्शाये गये)	3 वर्ष के विलम्ब सहित 10 वर्ष	

अनुबंध-2 (पैरा 6.3.2)

सामान्य आपत्तियों वाले 10 एनपीए मामले

क्रम सं.	**उधारकर्ता का नाम**	**संस्वीकृति की तिथि एवं राशि (₹करोड़ में)**	**31मार्च 2016 तक कुल देय (मूलधन एवं ब्याज) (₹करोड़ में)**	**लेखा-परीक्षा आपत्तियां**	**प्रबंधन का उत्तर तथा खण्डन**
1	*आईवीआरसीएल इन्दौर गुजरात टॉल लिमिटेड तथा आईवीआरसीएल चेंगापल्ली टॉल लिमिटेड*	सितम्बर 2010 (₹250 करोड़*) *आईआईजीटीएल तथा आईसीटीएल दोनों को सीसीडीज के रूप में ₹125 करोड़	₹249.99 करोड़ (मूलधन)	•सुविधा को पात्रता मानदण्ड के उल्लंघन में संस्वीकृत किया गया था चूंकि प्रवर्तक कम्पनी ने 2010 में (संस्वीकृति से पूर्व वर्ष) हानि वहन की थी। •प्रवर्तक कम्पनी का 2015 तक, जब सीसीडीज वापसी-खरीद हेतु देय थे, तीन वर्षों के लिए नकारात्मक निवल नकद प्रवाह (प्रक्षेपित वित्त) था। •निवेश को सीआरएमडी द्वारा उच्च राजस्व जोखिम के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बावजूद संस्वीकृत किया गया। •चूक होने (जनवरी से सितम्बर 2014) के बावजूद तथा प्रवर्तक कम्पनी के सीडीआर संदर्भित होने पर ₹7000 करोड़ के ऋण के	प्रबंधन ने उत्तर दिया कि वापसी-खरीद करार ने आईएफसीआई को संरक्षित किया। इसके अलावा, सीसीडीज को खरीदने की ऋणी के नकद प्रवाह से परिकल्पना नहीं की गई। नकदी के लघु-कालीन खिंचाव के संदर्भ में ऋणियों के अनुरोध पर संवितरण किए गए। उत्तर न्यायोचित नहीं है क्योंकि कॉल अथवा पुट विकल्प केवल वापसी-खरीद हेतु थे तथा प्रवर्तक की क्षमता भी स्थापित नहीं हुई थी क्योंकि पात्रता शर्त का उल्लंघन हुआ था। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2016 तक

				पुनर्गठन होने पर बावजूद (जनवरी 2014) आईसीटीएल को ₹23.37 करोड़ का अनुचित संवितरण हुआ था।	₹249.99 करोड़ की वसूली संदेहास्पद हुई तथा पुनर्गठन पर ₹27.17 करोड़ की हानि हुई।
2	*एसवीओजीएल ऑयल एंड गैस एनर्जी लिमिटेड*	मई 2010 (₹135 करोड़)	₹185.42 करोड़ (₹114.77 + 70.65)	•ऋण एक उच्च ऋणग्रस्त उधारकर्ता को संस्वीकृत किया गया जिसकी 31 मार्च 2010 को ₹1687 करोड़ की दीर्घावधि देनदारियाँ थी। इसे सीआरएमडी द्वारा भी बताया गया। •ऋण को अधिक डीई अनुपात, कम एफएसीआर के साथ पात्रता मानदण्ड के विचलन में संस्वीकृत किया गया। ₹185.42 करोड़ के बकायों की वसूली की संभावना इसके ₹37 करोड़ (मार्च 2015) के निवल संपत्ति तथा मार्च 2014 से नकारात्मक नकद प्रोदभवन के मद्देनजर विशेषतया किसी एक्सक्लूसिव प्रतिभूति के अभाव में काफी क्षीण है।	प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि डीईआर, जो 1.77:1 था, में आगे सुधार की संभावना थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उधारकर्ता का डीईआर ऋण की संस्वीकृति के पश्चात बेहद खराब हुआ (2010 में 1.77 से 2014 में 5.79 तथा 2015 में 82.97 तक)।
3	*रेनबो पेपर्स लिमिटेड*	नवम्बर 2013 (₹100 करोड़)	₹110.08 करोड़ (₹ 100 करोड़ + ₹ 10.08 करोड़)	•संस्वीकृति से पूर्व एक नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उधारकर्ता की रेटिंग सीआरआईएसआईएल बीबीबी- होने (जुलाई 2013) के बावजूद ऋण संस्वीकृत किया गया। •ऋण को जीएलपी के अनुसार दो गुना	प्रबंधन ने स्वीकार किया कि उधारकर्ता स्वीकृति से पूर्व लघु कालीन तरलता क्रंच का सामना कर रहा था। संवितरित सुविधा को शेयरों के प्रति ऋण (एलएएस) के रूप में नहीं माना जा सकता चूंकि चल

				प्रतिभूति के मानदण्ड से विचलन में एक गुना कवर के साथ दिया गया चूंकि तब तक मूर्त प्रतिभूति सृजित नहीं हुई थी । •अपनी बकाया राशि की वसूली हेतु ₹64.30 लाख (दिसम्बर 2014) के गिरवी शेयरों की बिक्री तथा ब्याज में चूक (अगस्त 2014) के बावजूद ₹20 करोड़ का तीसरा संवितरण (मार्च 2015) जारी किया गया। •गिरवी शेयरों की बिक्री से वसूली अप्रभावी रही चूंकि बिक्री में प्रत्येक बार निरन्तर विलम्ब के साथ शेयर मूल्य में ₹80.35 से ₹54.10 (सितम्बर 2014, अगस्त 2015) तक कमी हुई जो कम्पनी के हित में नहीं था।	परिसम्पत्तियों पर अवशेष प्रभार था। अंतिम संवितरण के समय ₹20 करोड़ के ब्याज की चूक नहीं थी। उत्तर असमर्थनीय है क्योंकि स्वीकृति के समय उधारकर्ता की चिंतनीय वित्तीय स्थिति की नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निम्नतर क्रेडिट रेटिंग तथा निर्धारित वित्तीय जोखिमों के गैर- समाधान से पुष्टि होती है । इसके अलावा, जब संवितरण किया गया तो कम्पनी के पास अन्य मूर्त प्रतिभूति नहीं थी तथा इस प्रकार ऋण को एलएएस माना जाना चाहिए था। तीसरे संवितरण को ऋणकर्ता की पिछली चूकों के बावजूद रिलीज किया गया (अगस्त 2014) जिसे गिरवी शेयरों की बिक्री के माध्यम से वसूला गया (दिसम्बर 2014)। इस प्रकार दोषपूर्ण क्रेडिट मूल्यांकन के परिणामस्वरूप ₹110.08 करोड़ की वसूली संदेहास्पद थी ।
4	*आर्चिड केमिकल्स एंड*	मार्च 2011 (₹150 करोड़)	₹117.68 करोड़	ऋण को निम्नलिखित तथ्य के बावजूद संस्वीकृत किया गया कि:	प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016)कि परिचालन हानि कुछ असाधारण कारणों से

	फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड		(₹91.99 करोड़+ ₹25.69 करोड़)	• उधारकर्ता ने 2009-10 में ₹565 करोड़ की परिचालन हानि वहन की थी तथा अन्य आय के कारण ही लाभ कमाया था। • ब्याज भार ₹81 करोड़ (2008) से बढ कर ₹241 करोड़ (2010) हो गया तथा लाभ-प्रदता 2008 में 28 प्रतिशत से 2010 में बिक्री के 14 प्रतिशत (नकारात्मक) तक कम हो गई थी।	थी जिस पर संस्वीकृति नोट में विचार किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एनपीए के अग्रणी संकेत अर्थात वित्तीय स्वास्थ्य, ब्याज भार, लाभ-प्रदता आदि को नजरअंदाज किया गया।
5	*विविमेड लैब्स लिमिटेड*	सितम्बर 2013 (₹100 करोड़)	₹75 करोड़ (मूलधन)	•आईएफसीआई स्वीकृति से पूर्व वीएलएल के दीर्घावधि दायित्वों में भारी वृद्धि[2], तनावपूर्ण लाभ-प्रदता मार्जिन[3] के साथ बढ़े हुए ब्याज भार[4] के प्रभाव का विश्लेषण करने में विफल रही थी। •आईएफसीआई ने अधिक पुन: भुगतान दायित्व के कारण तनावपूर्ण ऋण-सेवा क्षमता के पूर्व संकेतकों (जनवरी 2014) के बावजूद विलम्ब से, दिसम्बर 2015 में, बकायों की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई आरम्भ की तथा तथ्य यह है कि अंतिम प्रतिभूति सृजित नहीं की गई थी।	प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि अतिदेय के भुगतान के बाद रिकॉल नोटिस के खण्डन के समय (जनवरी 2016) वीएलएल को पुन: भुगतान अनुसूची का पालन करने तथा समय पर बकायों का भुगतान करने हेतु निर्देश दिए गए। इसने आगे कहा कि वीएलएल अपनी एक इकाई की बिक्री प्रक्रिया से चूक का भुगतान करेगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आईएफसीआई द्वारा रिकॉल नोटिस के खण्डन के बावजूद

[2] 2011 में ₹131.90 करोड़ से 2013 में ₹431.02 करोड तक

[3] ईबीआईटीडीए,पीएटी मार्जिन 21.05 प्रतिशत तथा 11.74 प्रतिशत (2010-11) से 17.83 प्रतिशत तथा 7.54 प्रतिशत (2012-13) तक गिर गए ।

[4] (2011 में ₹22.10 करोड़ से 2013 में ₹40.93 करोड़)

					वीएलएल पुन:भगतान अनुसूची का पालन करने में फिर से विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹9.64 करोड़ की चूक हुई (अक्तूबर 2016)।
6	*नीसा लेजर लिमिटेड*	फरवरी/ मार्च 2010 (₹30 करोड़/₹15 करोड़ लघु अवधि ऋण (एसटीएल) जुलाई 2010 (₹11 करोड़ दीर्घावधि ऋण (एलटीएल))	₹134.51 करोड़ (₹56 करोड़+ ₹78.51 करोड़)	•लेखा-परीखा ने पाया कि सामान्य उधार नीति के पात्रता मानदण्ड डीएससीआर, चालू अनुपात तथा उधारकर्ता की न्यूनतम निवल संपत्ति की आवश्यकता से संस्वीकृति के समय विचलन किया गया। •मियादी ऋणों हेतु तथा अगस्त 2010 में ₹26 करोड़ के मियादी ऋणों के अनिवार्यत: परिवर्तनीय अधिमान शेयर (सीसीपीएस) में परिवर्तन के लिए प्रतिभूतियों को भी पूर्ण रूप से सृजित नहीं किया गया था। •आईएफसीआई ने ऋण की प्रकृति उधार से इक्विटी में बदल कर मूर्त प्रतिभूति लिए बिना ऋण को अधिमान शेयरों (अगस्त 2010) में परिवर्तित कर लिया । •एनएलएल निधियों के विपथन के कारण सीडीआर की शर्तों का अनुपालन करने में विफल हुआ क्योंकि इसने कुछ ऋणदाताओं के आंशिक बकायों के पुन: भुगतान में धन का उपयोग किया तथा शेष राशि को कुछ	प्रबंधन ने ऋण राशि के विपथन को स्वीकार करते हुए कहा (जून/नवम्बर 2016) कि लघु अवधि ऋण होने के नाते डीएससीआर को संगणित नहीं किया गया। ऋण के सीसीपीएस में परिवर्तन को 20 प्रतिशत के आकर्षक प्रतिलाभ के कारण संस्वीकृत किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आईएफसीआई उधारकर्ता के डीएससीआर का विश्लेषण करने में विफल हुआ क्योंकि बाद में वापसी-खरीद मे चूक खराब पुन: भुगतान क्षमता के कारण थी। ऋणकर्ता की वि.व. 2010 में 20 प्रतिशत प्र.व. के प्रतिलाभ का भुगतान करने की पुन: भुगतान क्षमता का उचित प्रकार से विश्लेषण नही किया गया चूंकि पीएटी ₹26

				होटल सम्पत्तियों को पुन: फर्नीश करने के लिए उपयोग किया।	करोड के कम सकल नकद अर्जन के साथ अत्यल्प ₹12 करोड़ था। आईएफसीआई ने पर्याप्त प्रवर्तनीय प्रतिभूति सृजन हुए बिना अनावश्यक जोखिम[5] लिया। इस प्रकार, ऋणों के रूप में ₹56.81 करोड़ तथा ₹77.70 करोड़ (सीसीपीएस) की वसूली के अवसर क्षीण थे।
7	*जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड*	फरवरी 2011 तथा अगस्त 2011 (₹100 करोड़ तथा ₹60 करोड़)	₹23.24 करोड़	• सामान्य उधार नीति से विचलन थे क्योंकि 2 वर्षों के लिए 1.33 के न्यूनतम अनुबंधित के प्रति छ: अनुपात क्रमश: 1.0 तथा 0.99 थी जबकि गिरवी शेयरों की वसूली हेतु औसत व्यापार दिवस अधिकतम अनुबद्ध 45 दिनों के प्रति 50 दिन थे। • कम्पनी ने उधारकर्ता के लगभग ₹ 118.81 करोड़ की राशि के गिरवी शेयरो के विनिमय में केवल ₹50 करोड़ (अगस्त 2012) की बैंक गारंटी की प्रतिभूति स्वीकार की।	प्रबंधन ने उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि ऋण को जेबीआईएल की 'बीबीबी' की क्रेडिट रेटिंग तथा इसके कुल विक्रय में वृद्धि तथा ग्रुप की प्रतिष्ठा के संदर्भ में संस्वीकृत किया गया। यह भी कहा कि जेबीएल के पास असूचीबद्ध शेयरो की पर्याप्त प्रतिभूति थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विक्रय में वृद्धि के बावजूद, जेबीआईएल की वित्तीय स्थिति खराब थी क्योंकि इसका लाभ बहुत लचीला था तथा ऋण-ग्रस्तता भी काफी अधिक बढ़ी थी। इसके अतिरिक्त,

[5] लघु अवधि ऋणो के दीर्घावधि में तथा ऋण के इक्विटी में रूपान्तरण का जोखिम

					जेबीआईएल को 22 सितम्बर 2015 को बीआईएफआर में पंजीकृत किया गया। इस प्रकार, ₹ 23.24 करोड़ की वसूली संदेहास्पद है।
8	*साहस्रा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड*	अक्तूबर 2010 (₹35 करोड़)	₹26.94 करोड़ (मूलधन बकाया ₹ 17.86 करोड़ तथा ₹ 9.08 करोड़ का न वसूला गया ब्याज	• कम्पनी ने क्यूरा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की सहायक प्रतिभूति को इस तथ्य का पता होने के बावजूद स्वीकार किया कि इसकी व्यापार मात्रा निवर्तमान सामान्य ऋण नीति द्वारा अनुबंधित 45 दिनों में शेयरों की वसूली के लिए आईएफसीआई हेतु पर्याप्त नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप, कम्पनी कुल 24.9 लाख गिरवी शेयरो में से केवल 4.29 लाख शेयर ही बेच सकी (दिसम्बर 2015 तक)। • ₹ 11.50 करोड़ के एकमुश्त निपटान का प्रस्ताव (जून 2015) भी विफल हुआ।	प्रबंधन ने उत्तर दिया कि सीटीएल के शेयरो की गिरवी को केवल समर्थक के रूप में लिया गया प्रमुख प्रतिभूति के रूप में नहीं तथा यह कम व्यापार मात्रा के कारण बिक्री नहीं कर सका। उत्तर लेखापरीक्षा की इस आपत्ति का समर्थन करता है कि इस प्रतिभूति की स्वीकृति कम्पनी के हित में नहीं थी तथा इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.94[6] करोड़ की वसूली संदेहास्पद हुई।
9	*इन्दू टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड*	सितम्बर 2008 (₹60 करोड़, आबंटित ₹9.90 करोड़)	₹12.15 करोड़ (₹7.67 करोड़ + ₹4.48 करोड़)	• प्रतिभूति में कमी थी क्योंकि गिरवी रखी भूमि एक एसईजेड भूमि थी। • इसे प्रीवेंशन आफ मनी लॉड्रिंग अधिनियम, 2002 (पीएमएल अधिनियम) के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अटैच किया गया	प्रबंधन ने उत्तर दिया कि ऋण को भूमि की प्राथमिक प्रतिभूति तथा कॉर्पोरेट गारंटी के रूप में अतिरिक्त प्रतिभूति के प्रति संस्वीकृति किया गया था तथा आईपीएल के शेयरो की गिरवी को ऋण को और प्रतिभूत

[6] अन्य गिरवी समर्थक सम्पति की बिक्री (अप्रैल 2016) से उगाही राशि, ₹26.94 करोड़ में से ₹1.72 करोड़ की वसूली हुई

				था (फरवरी 2015) तथा आईटीपीएल को आबंटित भूमि के संदर्भ में सीबीआई ने क्विड प्रो को का मामला दर्ज किया था। • कॉर्पोरेट गारंटर मई 2012 से सीडीआर में था।	करने हेतु लिया गया था। इसके अलावा एसईजेड भूमि के रूप में परिसम्पत्ति को औद्योगिक भूमि होने के नाते अभी भी प्रवर्तित किया जा सकता है परन्तु हस्तांतरितीकोइसेकेवल औद्योगिक प्रयोजनों हेतु उपयोग करना होगा । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्राथमिक प्रतिभूति ईडी द्वारा अटेचमेंट के अन्तर्गत है तथा अतिरिक्त प्रतिभूति से वसूली के अवसर क्षीण हैं। इससे बचा जा सकता था यदि खराब प्रतिभूति के आधार पर ऋण को संस्वीकृति करते समय उचित सावधानी ली जाती ।
10	*सिडार इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड*	मई 2011 (₹ 100 करोड़, आवंटित ₹20 करोड़)	₹ 9.38 करोड़ (₹ 5.65 करोड़ + ₹ 3.73 करोड़)	• बढ़ते ऋण[7] तथा ब्याज भार[8] के कारण सीआईपीएल की असहज पुन: भुगतान क्षमता से परिचित होने के बावजूद, आईएफसीआई ने गिरवी सम्पत्ति की अतिरिक्त प्रतिभूति स्वीकार की (सितम्बर	प्रबंधन ने उत्तर दिया कि शेयरों की बिक्री रोक दी गयी थी क्योंकि सीआईपीएल प्रतिभूति कवर को गिरवी के माध्यम से संवर्धित करने के लिए सहमत था। इसके अलावा, प्रवर्तकों के साथ कम्पनी द्वारा

[7] ₹ 740 करोड़ (2009-10) से ₹ 1567 करोड़ (2011-12)

[8] ₹ 72 करोड़ (2009-10) से ₹ 163 करोड़ (2011-12)

				2012) जिसके वास्तविक दस्तावेज पहले ही 2009 में इसके कार्यालय में छापे के दौरान आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा ले लिए गए थे । • शेयरों को बेचने (14.9.2012 को अनुमोदित) की बजाय, आईएफसीआई ने सीआईपीएल के प्रतिभूति कवर के संवंर्धन के आश्वासन पर विश्वास किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 65 प्रति शेयर (14 सितम्बर 2012) की तुलना में ₹ 35/शेयर की औसत से केवल ₹ 6.35 करोड़ की वसूली (12.10.2012) हो पायी । • एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के माध्यम से गिरवी रखी गई सम्पत्ति की नीलामी भी दो बार (फरवरी तथा मार्च 2015) विफल रही।	अनुवर्ती कार्रवाई करने के बावजूद भी आईटीडी द्वारा जब्त वास्तविक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके । कम्पनी का उत्तर स्वंय इस तथ्य का समर्थन करता है कि वास्तविक दस्तावेजों के बिना गिरवी रखी गई सम्पत्ति की स्वीकृति इसके वित्तीय हित की सुरक्षा के विरूद्ध थी क्योंकि इससे शेयरों की बिक्री में भी विलम्ब हुआ जिसके परिणामस्वरूप कम उगाही हुई जिससे ₹9.38 करोड़ की हानि हुई।

शब्दावली एवं संकेताक्षर

शब्दावली

क्रम सं.	शब्द	विवरण
1.	ऋण का अभिहस्तांकन	दिए गए मूल्य पर प्रतिभूतिकरण कम्पनियों/ परिसम्पत्ति पुनर्निमाण कम्पनियों (एआरसी) को वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनर्जक परिसम्पत्तियों (एनपीएज)/स्ट्रेस्ड एकाउंट की बिक्री। इस प्रकार प्रतिभूतिकरण कम्पनियों /एआरसी द्वारा अधिग्रहित एनपीए/स्ट्रेस्ड एकाउंट को इनके द्वारा स्थापित ट्रस्ट में स्थानांतरित किया जाता है। जिसके प्रति वित्तीय संस्थाओं को प्रतिभूति प्राप्तियां (एसआर) जारी की जाती है जिसका भुगतान अधिग्रहण की वास्तविक तिथि से पांच वर्षों की अवधि के अन्दर (आठ वर्षों तक बढाने योग्य) किया जाना है। यदि प्रतिभूतिकरण कम्पनी/एआरसी आठ वर्षों की अधिकतम अवधि के अन्दर एनपीए का निपटान नहीं करती तो प्रतिभूति प्राप्तियों के रूप में निवेश को वित्तीय संस्थाओं के बही लेखाओं से हटाया जाना है।
2.	शेयरों का ब्रेक -अप मूल्य	अमूर्त सम्पत्तियों एवम् पुनर्मूल्यांकन संग्रहण द्वारा कम किए गए इक्विटी पूंजी तथा रिज़र्व को इक्विटी शेयरो द्वारा विभाजन।
3.	शेयरों की वापसी खरीद	निवेशी कम्पनी जिसकी इक्विटी को निवेशक तथा निवेशित कम्पनी के बीच किए गए करार की शर्तों में दी गई समय-सीमा के अनुसार निवेशक द्वारा लिया गया है, के द्वारा स्वयं के शेयरों की खरीद।
4.	कॉल ऑप्शन	कॉल ऑप्शन एक वचनबद्धता है जो जारीकर्ता को निर्दिष्ट समयावधि के अन्दर एक निर्दिष्ट मूल्य पर स्टॉक, बांड खरीदने का अधिकार देती है।
5.	संयुक्त ऋणदाताओं का मंच एवं सुधारात्मक कार्य योजना	''वित्तीय समस्याओं की प्रारम्भिक पहचान, समाधान के लिए शीघ्र कार्रवाई तथा ऋणदाताओं के लिए निष्पक्ष वसूली: अर्थव्यवस्था में समस्या वाली परिसम्पत्तियों को रिवाइटलाइज करने के लिए कार्यढांचा'' पर दिनांक 21 मार्च 2014 के आरबीआई के दिशानिर्देशो के अनुसार जब एक खाते को विशेष वर्णित खाता -2 (61 से 180 दिनो के बीच अतिदेय मूलधन/ब्याज भुगतान) के रूप में सूचित किया जाता है तो ऋणदाताओं को संयुक्त ऋणतादाओं का मंच

		(जेएलएफ) कही जाने वाली एक समिति का अनिवार्य रूप से निर्माण करना चाहिए जो खाते में समस्या के जल्द समाधान हेतु सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) बनाएगी। सीएपी का लक्ष्य अंतर्निहित परिसम्पत्तियों के साथ-साथ ऋणदाताओं के ऋण का आर्थिक मूल्य संरक्षित करने हेतु एक व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करना है। जेएलएफ द्वारा सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) के तहत विकल्प में सामान्य रूप से पुनर्गठन, सुधार तथा वसूली शामिल होगी।
6.	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर	अधिमान शेयर जो एक पूर्वनिर्धारित समय चक्र के पश्चात अथवा निर्दिष्ट तिथि पर कम्पनी के इक्विटी शेयरो में परिवर्तित हो जाते है।
7.	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय ऋण-पत्र	ऋण प्रतिभूति का एक प्रकार जहां ऋण-पत्र का पूर्ण मूल्य स्वीकृति की शर्तों के अनुसार भविष्य में इक्विटी शेयरो में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय होता है।
8.	कम्पनी ऋण पुनर्गठन	यह देनदार-लेनदार करार तथा अंत: लेनदार करार पर आधारित एक स्वैच्छिक प्रणाली है जो सभी के संबंधित लाभ के लिए बीआईएफआर, डीआरटी तथा अन्य कानूनी कार्रवाईयों के क्षेत्र से बाहर आन्तरिक या बाह्य कारको से प्रभावित व्यवहार्य निगमित इकाईयों के निगम ऋणो के पुनर्गठन के लिए समय पर तथा पारदर्शी तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए ढांचा प्रदान करती है।
9.	क्रेडिट सूचना प्रतिवेदन	उधारकर्ता के पिछले ऋण का ब्यौरा देते हुए अन्य मौजूदा ऋणदाताओं से प्राप्त प्रतिवेदन।
10.	वाणिज्यिक परिचालन तिथि	वह चरण जब परियोजना निर्माण समाप्त होता है तथा वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होता है।
11.	कट-ऑफ तिथि	वह तिथि जिससे पुनर्गठन प्रभावी है।
12.	समर्थक प्रतिभूति	प्राथमिक प्रतिभूति के अतिरिक्त दी गई प्रतिभूति
13.	कूपन	करार की शर्तों के अनुसार ऋण/इक्विटी पर निर्धारित प्रतिलाभ
14.	चालू अनुपात	एक तरलता अनुपात जो यह निर्धारित करता है कि क्या कम्पनी के पास अपने लघुकालीन दायित्वो को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है। फॉर्मुला = $\frac{\text{चालू परिसम्पत्तियां}}{\text{चालू देनदारियां}}$

15.	ऋण-इक्विटी अनुपात	एक लीवरेज अनुपात है जो यह दर्शाता है कि एक कम्पनी अपनी संपत्तियों के वित्तपोषण हेतु शेयर धारको की इक्विटी में प्रस्तुत धनराशि के मुकाबले कितना ऋण उपयोग कर रही है। फॉर्मूला = दीर्घावधि ऋण / इक्विटी शेयर पूंजी+मुक्त रिजर्व
16.	बट्टा-गत नकद प्रवाह	यह एक मूल्यांकन पद्धति है जो वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए आगामी नकद प्रवाहों को बट्टा-गत करके इसका उपयोग निवेश की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए करता है।
17.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण की सेवा के लिए उपलब्ध नकद का वास्तविक ऋण दायित्व से अनुपात। फॉर्मूला= पीएटी+ मूल्यह्रास+ ब्याज / परिपक्व होने वाला वार्षिक दायित्व+ ब्याज मौजूदा डीएससीआर को मौजूदा वित्तीय विवरणो में उपलब्ध सूचना के आधार पर संगणित किया जाता है। क्रेडिट सुविधा की अवधि के दौरान प्रक्षेपित डीएससीआर को आगामी वित्तीय प्रक्षेपणो के आधार पर संगणित किया जाता है।
18.	आपात बिक्री मूल्य	न्यूनतम मूल्य जिसकी ऋणदाता सम्पत्ति की बिक्री के मामले में उगाही करने की उम्मीद की जाती है।
19.	चूक की घटना	ऋणदाता तथा ऋणी के बीच किए गए ऋण करार में वर्णित घटनाएं जिनके होने पर चूक की घटना होती है। इसमें ऋण शर्तों के अनुपालन की विफलता, ऋणी की अपने ऋण का भुगतान की अक्षमता, कुछ निर्दिष्ट प्रतिशतता से शेयरो के मूल्य में गिरावट, गिरवी शेयरो के मूल्य में 25 प्रतिशत से अधिक की गिरावट, 3 कार्यकारी दिवसो के अन्दर नकद मार्जिन प्रदान करने की विफलता आदि सम्मिलित है।
20.	एस्क्रो लेखा	यह विशिष्ट रूप से एक परियोजना के लिए सृजित बैंक खाता है। परियोजना से संबंधित सभी आय और व्ययो को एस्क्रो लेखा के माध्यम से भेजा जाना है। ऋणी ऋणदाता की अनुमति के बिना एस्क्रो लेखा में जमा का आहरण नहीं कर सकता है।

21.	अचल परिसम्पत्ति कवरेज अनुपात	वह अनुपात जो दीर्घकालीन ऋण देयताओं को अचल परिसम्पत्तियों से कवर करने की कम्पनी की क्षमता का निर्धारण करता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि एक कम्पनी के दीर्घ कालीन ऋणो को अकसर अचल परिसम्पत्ति से सुरक्षित किया जाता है। फार्मूला= $\frac{\text{निवल अचल परिसम्पत्ति + सीडब्ल्यूआईपी}}{\text{मियादी ऋण}}$
22.	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड	जारीकर्ता की घरेलू मुद्रा से भिन्न मुद्रा में जारी ऋण प्रतिभूति का एक प्रकार है। ये बांड सामान्य तौर पर बांडधारक के विवेक से बांड की अवधि के दौरान कम्पनी के इक्विटी शेयरो की पूर्वनिर्धारित राशि के अन्दर परिवर्तित हो सकते है।
23.	पूर्ण रूप से परिवर्तनीय ऋण-पत्र	ऋण प्रतिभूति का एक प्रकार है जहां ऋण पत्र-की पूर्ण राशि संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार भविष्य में इक्विटी शेयरो में परिवर्तनीय होती है।
24.	अपरिवर्तनीय ऋण-पत्र	ऋण प्रतिभूति का एक प्रकार है जिसे भविष्य में इक्विटी शेयरो के अन्दर परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
25.	वित्तपोषित ब्याज मियादी ऋण	बकाया ब्याज राशि जिसे मियादी ऋण में परिवर्तित किया जाता है।
26.	हरित क्षेत्र परियोजना	निवेश के पूर्णतया नए क्षेत्र में एक गतिविधि।
27.	ब्याज कवरेज अनुपात	यह निर्धारित करने हेतु एक अनुपात कि कम्पनी अपने बकाया ऋण पर ब्याज व्यय के भुगतान कितनी सरलता से कर सकती है। फार्मूला =$\frac{\text{पीएटी+ ब्याज}}{\text{ब्याज}}$
28.	अन्तरिम प्रतिभूति	संस्वीकृति की शर्तों के अनुसार प्राथमिक प्रतिभूति के सृजन होने तक ऋणकर्ता से प्राप्त की गई प्रतिभूति।
29.	अग्रणी बैंक	एक बैंक जो प्रतिभूति की अंडर-राइटिंग प्रक्रिया को प्रबंधित करता है अथवा ऋणदाताओं के संघ का नेतृत्व करता है।
30.	शेयरों का लॉक -इन पीरियड	वह अवधि जिसके दौरान शेयरों को बेचा नहीं जा सकता।
31.	स्थगन अवधि	ऋण अवधि के दौरान की वह अवधि जब ऋणी को मूलधन/कूपन के किसी पुन: भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती।

32.	गैर-निपटान वचनपत्र/मुख्तारनामा	इस व्यवस्था में शेयरो को एजेंट/ट्रस्टी के साथ एस्क्रो लेखा में जमा किया जाता है। यदि कोई चूक होती है तो एजेंट/ट्रस्टी इन शेयरो का निपटान एनडीयू व्यवस्थाओं के अनुसार तथा ऋणदाता के निर्देशो के आधार पर करेगा।
33.	निवल वर्तमान मूल्य हानि	क्रेडिट सुविधा के पुनर्गठन की शर्तों पर फिर से बातचीत करने के कारण ऋणदाता द्वारा वहन की गई मूलधन अथवा ब्याज की हानि।
34.	वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण-पत्र	ऋण-पत्र जिसे पूर्व निर्धारित मूल्य पर एक निश्चित अवधि के समाप्त होने पर इक्विटी शेयरो में परिवर्तित किया जा सकता है यदि धारक ऐसा करना चाहे।
35.	समरूप प्रभार	यह प्रभार ऋणी कम्पनी की निर्दिष्ट परिसम्पतियों में सभी समरूप ऋणदाताओं को समान अधिकार प्रदान करता है।
36.	मूल्य अर्जन अनुपात	यह एक कम्पनी के शेयर मूल्य का इसकी प्रति शेयर आय के प्रति अनुपात है। इसे वर्तमान इक्विटी शेयर मूल्य को इसकी प्रति शेयर आय से भाग करके संगणित किया जाता है।
37.	पुट ऑप्शन	एक पुट आप्शन एक वचनबद्धता है जो निवेशक को निर्दिष्ट समय में निर्दिष्ट राशि के स्टॉक बांड को बेचने का अधिकार देता है।
38.	स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एस्सेट (एस4ए)	यह बड़े स्ट्रेस्ड खातो के निपटान के लिए आरबीआई की एक योजना है। यह स्ट्रेस्ड ऋणी के लिए वहनीय ऋण स्तर के निर्धारण तथा वहनीय और अवहनीय ऋण के अन्दर बकाया ऋण के द्विशखन की परिकल्पना करती है। अवहनीय ऋण को इक्विटी सम्बंधित उपकरणो में परिवर्तित किया जाएगा जिसे एक बाद की तिथि पर चुकाया जा सकता है।
39.	द्वितीय प्रभार	प्रथम प्रभार की संतुष्टि होने के पश्चात प्रतिभूति पर इस प्रभार में अपनी देयताएं प्राप्त होती है।
40.	वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का	इस अधिनियम के तहत प्रतिभूति प्राप्त क्रेडिटरो (बैंक तथा वित्तीय संस्थान) के पास प्रतिभूति हित लागू करने का अधिकार होता है। यह बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानो को गिरवी सम्पत्तियों पर कब्जा करने तथा बकाया ऋण देयताओं की वसूली करने के लिए इनकी नीलामी करने की

	प्रवर्तन अधिनियम, 2002	अनुमति देता है। हालांकि कृषि भूमि को इस अधिनियम की सीमा से छूट प्राप्त है।
41.	अल्प-अवधि ऋण	यह एक वर्ष से कम अवधि में पुन: भुगतान होने के लिए निर्धारित ऋण है।
42.	विशेष आर्थिक क्षेत्र	यह एक राज्य के अन्दर एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें अधिकतर देश में प्रचलित व्यवस्थाओं से अधिक उदार आर्थिक नीतियां तथा शासन व्यवस्थाओं के लिए एक विशिष्ट कानूनी कार्यढांचा प्रदान किया जाता है।
43.	विशेष प्रयोजन माध्यम	एक परियेाजना चालू करने, वित्तीय व्यवस्थाओं के सरलीकरण अथवा वित्तीय साधन के सृजन जैसे बेहतर परिभाषित प्रयोजन के लिए सृजित एक कानूनी इकाई है।
44.	सामरिक ऋण नवीनीकरण	दिनांक 8 जून 2015/23 जुलाई 2015 के आरबीआई दिशा-निर्देशो के अनुसार, यह एक ऋण नवीनीकरण तंत्र है जिसमें ऋणदाताओं की ऋण देयता (मूलधन तथा बकाया ब्याज) को ऋणी कम्पनी के इक्विटी शेयरो में परिवर्तित किया जाता है ताकि ऋणी कम्पनी में अधिकतर शेयरहोल्डिंग अधिग्रहित की जा सके। पश्च परिवर्तन सभी ऋणदाताओं को ऋणी कम्पनी द्वारा जारी इक्विटी शेयरो का 51 प्रतिशत अथवा अधिक को सामूहिक रूप से धारण करना चाहिए तथा उचित अवधि में ऋणदाताओं को एक नए प्रवर्तक के लिए ऋणी कम्पनी में अपना इक्विटी स्वामित्व छोड देना चाहिए।
45.	अधीन प्रभार	यह एक प्रतिभूति पर बकाया प्रभार है जो अपनी देयताओं को सभी अन्य प्रभारों को चुकाने के पश्चात प्राप्त करता है।
46.	ट्रस्ट तथा अवरोधन खाता	एक तंत्र जिसमें परियोजना के सभी राजस्वो को पदनामित टीआरए एजेंट के साथ अनुरक्षित एक एकल खाते के अन्दर संचालित किया जाता है। ऋणी से विचार विमर्श में ऋणदाता आवधिक हस्तांतरण तथा टीआरए में उपलब्ध निधियों के उपयोग हेतु एक विस्तृत अधिदेश बनाता है। ऋणदाता को भुगतान ऋणी से किसी व्यवधान के बिना टीआरए एजेंट द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना है। यह अवसंरचना परियोजना के वित्तपोषण में एक सामान्य विशेषता है।

47.	ऋण की अंडर-राइटिंग	एक व्यवस्था जिसमें अग्रणी बैंक/वित्तीय संस्थान एक वचन देता है कि यदि ऋण को पूर्ण रूप से सब्सक्राइब नहीं किया जाता तो अंडरराइटर गैर-अभिदत्त भाग को अवशोषित करने का विकल्प चुन सकता है अथवा यह अन्य ऋणदाताओं को अपने ऋण के शेयर को बनाए रखने के पश्चात ऋण के अंडरसब्सक्राइब्ड भाग को बेच सकता है।
48.	असूचीबद्ध/अनुद्धरित शेयर	वह शेयर जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है।
49.	वसूला न गया ब्याज	आरबीआई दिशा-निर्देशो के अनुसार अनर्जक परिसम्पत्ति पर अर्जित ब्याज को आय स्वीकृति पर आय विवरण में मान्यता नहीं दी जाती। अनर्जक परिसम्पत्ति पर अर्जित ब्याज को आय विवरण में केवल तब मान्यता दी जा सकती है जब यह वास्तव में नकद में प्राप्त हुआ हो।

संकेताक्षर

क्र. सं.	शब्द	पूर्ण रूप
1.	एएआईएफआर	औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्संरचना अपीलीय प्राधिकरण
2.	एआरसी	परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी
3.	बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्संरचना बोर्ड
4.	बीओटी	निर्माण, संचालन और हस्तांतरण
5.	सीएपी	सुधारात्मक कार्रवाई योजना
6.	सीएआरई	क्रेडिट एनालिसिस एण्ड रिसर्च लिमिटेड
7.	सीबीआई	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
8.	सीसीडी	अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर
9.	सीसीपीएस	अनिवार्यत: परिवर्तनीय अधिमान शेयर
10.	सीडीआर	कंपनी ऋण पुनर्संरचना
11.	सीडीआर-ईजी	कंपनी ऋण पुनर्संरचना - सशक्त समूह
12.	सीआईबीआईएल	भारतीय साख सूचना ब्यूरो लिमिटेड
13.	सीआईसी	क्रेडिट और निवेश समिति
14.	सीआईआर	क्रेडिट जानकारी रिपोर्ट
15.	सीएल	कॉर्पोरेट ऋण
16.	सीओडी	वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (परियोजनाओं के लिए) और कट ऑफ डेट (पुनर्संरचना)
17.	सीआरएमडी	क्रेडिट जोखिम प्रबंधन विभाग
18.	डीईआर	ऋण इक्विटी अनुपात
19.	डीएफएस	वित्तीय सेवा विभाग
20.	डीआरटी	ऋण वसूली न्यायाधिकरण
21.	डीएससीआर	ऋण सेवा कवरेज अनुपात
22.	डीएसआरए	ऋण सेवा रिजर्व खाता
23.	डीएसवी	आपात बिक्री मूल्य
24.	ईबीआईटीडीए	ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले अर्जन

25.	ईसी	कार्यकारी समिति
26.	ईआईए	पर्यावरण प्रभाव आकलन
27.	ईओडी	चूक की घटना
28.	एफएसीआर	अचल परिसंपत्ति कवरेज अनुपात
29.	एफसीसीबी	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड
30.	एफसीडी	पूर्णत: परिवर्तनीय डिबेंचर
31.	एफआई	वित्तीय संस्थान
32.	एफआईटीएल	वित्तपोषित ब्याज अवधि ऋण
33.	एफएसए	ईंधन आपूर्ति समझौता
34.	जीएलपी	सामान्य उधार नीति
35.	जीओआई	भारत सरकार
36.	आईसीआरए	भारत की निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
37.	आईपीओ	आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
38.	आईटीडी	आयकर विभाग
39.	जेएलएफ	संयुक्त ऋणदाता मंच
40.	एलओआई	आशय पत्र
41.	एमओईएफ	पर्यावरण और वन मंत्रालय
42.	एमओएफ	वित्त मत्रांलय
43.	एमओपीएनजी	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
44.	एमडब्ल्यू	मेगावाट
45.	एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
46.	एनबीएफसी-एनडी-एसआई	प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण जमा राशियाँ न स्वीकारने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
47.	एनसीडी	अपरिवर्तनीय डिबेंचर
48.	एनडीयू/पीओए	गैर-निपटान वचन पत्र / मुख्तारनामा
49.	एनओसी	अनापत्ति प्रमाण पत्र
50.	एनपीए	अनर्जक परिसंपत्ति
51.	एनपीवी हानि	निवल वर्तमान मूल्य हानि

52.	ओसीडी	वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर
53.	ओसीएल	वैकल्पिक परिवर्तनीय ऋण
54.	ओएफसीडी	वैकल्पिक पूर्णत: परिवर्तनीय डिबेंचर
55.	पीएटी	कर के बाद लाभ
56.	पीई अनुपात	मूल्य अर्जन अनुपात
57.	पीपीए	उर्जा क्रय समझौता
58.	पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक
59.	आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
60.	आरओएफआर	पहले इनकार का अधिकार
61.	एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002	वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002
62.	एसडीआर	सामरिक ऋण पुन: संरचना
63.	एसईजेड	विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र
64.	एसपीवी	विशिष्ट उद्देश्य माध्यम
65.	एसआर	प्रतिभूति रसीद
66.	एसटीएल	अल्पावधि ऋण
67.	टीएल	अवधि ऋण
68.	टीआरए	ट्रस्ट और अवरोधन खाता

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in